अष्टम माला, खंड 53, अंक 1

बुधवार, 11 अक्तूबर, 1989
19 आश्विन, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र—दूसरा भाग
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 53 में अंक 1 से 3 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 53, चौवहवां सत्र-दूसरा भाग, 1989/1911 (शक)

अंक 1, बुधवार, 11 अक्तूबर, 1989/19 आश्विन, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1—3
सभा पटल पर रखे गए पत्र	11—13
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	13
नियम 377 के अधीन मामले	13—16
(एक) समस्तीपुर और दरभंगा के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता डा० गौरी शंकर राजहंस	14
(दो) उत्तर प्रदेश में कैराना में चौबीस घंटे टेलीफोन सेवा प्रदान किए जाने के लिए वहां टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता श्री अख्तर हसन	14
(तीन) गुजरात में, विशेष रूप से अहमदाबाद में, कपड़ा मिलों में छंटनी किए जाने के परिणामस्वरूप मजदूरों के बेरोजगार हो जाने के मामले में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की मांग श्री हरुभाई मेहता	14
(चार) हैदराबाद और भुवनेश्वर के बीच वायुदूत सेवा बहाल किए जाने की मांग श्री के० प्रधानी	14
(पांच) पालघाट (केरल) में एक औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता श्री वी० एस० विजयराघवन	15
(छः) उड़ीसा के आस्का क्षेत्र में चीनी कारखाने लगाए जाने की आवश्यकता श्री सोमनाथ रथ	15
(सात) गन्ने के लिए लाभप्रद मूल्यों की घोषणा किए जाने की आवश्यकता श्री काली प्रसाद पांडेय	15
(आठ) बुनकरों को "न लाभ न हानि" के आधार पर धागा उपलब्ध कराए जाने और नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े को आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता डा० फूलरेणु गुहा	16

विषय	पृष्ठ
प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक	16—29 एवं 35—50
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	16
श्री एन० टोम्बी सिंह	20
डा० गौरी शंकर राजहंस	22
श्री शांताराम नायक	24
श्री राम भगत पासवान	26
श्री गोपेश्वर	27
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	50
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	29—35
नेहरू रोजगार योजना	
श्री राजीव गांधी	29
सीमा-शुल्क (संशोधन), विधेयक	50—67
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ए० के० पांजा	50
श्री सोमनाथ रथ	53
श्री आर० जीवरत्नम	54
श्री राम सिंह यादव	55
श्री जगन्नाथ पटनायक	57
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	58
श्री गिरधारी लाल व्यास	60
श्री उत्तमभाई ह० पटेल	62
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	62
डा० गौरी शंकर राजहंस	63
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ए० के० पांजा	67

विषय	पृष्ठ
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90	64
विवरण	
श्री बी० के० गढ़वी	64
नियम 193 के अधीन चर्चा	67—100
देश में साम्प्रदायिक स्थिति	
प्रो० सैफुद्दीन सोज	67
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	74
श्री उत्तम राठौड़	77
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	80
श्री हरुभाई मेहता	85
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी,	94
कार्य-मंत्रणा समिति	100
75वां प्रतिवेदन	

लोक सभा

बुधवार, 11 अक्तूबर, 1989/19 आश्विन, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम 1-1/2 महीने से अधिक के अन्तराल के बाद आज मिले हैं । बड़े दुख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना है कि हमारे दो वर्तमान सदस्य अर्थात् श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय और श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी तथा तीन भूतपूर्व साथी अर्थात् सर्वश्री बदलू राम शुक्ल, सरजू पांडेय और शिव कुमार शास्त्री अब हमारे बीच नहीं रहे हैं ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय पश्चिम बंगाल के आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे । श्री मुखोपाध्याय 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे । इससे पहले 1952-67 और 1972-76 के दौरान वे पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे ।

श्री मुखोपाध्याय एक प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता थे और अनेक ट्रेड यूनियनों में संबद्ध थे । वे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिके सदस्य भी रहे थे । वे दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और दुर्गापुर केमिकल्स लिमिटेड के 1972-76 के दौरान निदेशक रहे । वे बाल कल्याण कार्य में गहरी रुचि रखते थे ।

श्री मुखोपाध्याय ने बहुत से देशों की यात्रा की । उन्हें "भारत समाज उन्नयन रत्न" की उपाधि से सम्मानित किया गया था तथा विश्व उन्नयन संसद, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल ने उन्हें "राष्ट्रीय संसद आचार्य" पद प्रदान किया था ।

श्री मुखोपाध्याय का 62 वर्ष की आयु में 20 अगस्त, 1989 को नई दिल्ली में निधन हुआ ।

श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के चन्दौली निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा की वर्तमान सदस्य थीं ।

गेशे से कृषक और उद्योगपति श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अथक

कार्य किया। वे लड़कियों के खेल-कूद में भी गहरी रुचि रखती थीं तथा अखिल भारतीय महिला क्रिकेट संघ की अध्यक्ष भी रही थीं।

एक कुशल संसदविज्ञ श्रीमती त्रिपाठी जुलाई से नवम्बर, 1986 तक प्राक्कलन समिति की सदस्य तथा बाद में नवम्बर, 1986 से अप्रैल, 1988 तक इसकी सभापति रहीं। श्रीमती त्रिपाठी नवम्बर, 1986 से अप्रैल, 1988 तक संसदीय वेतन समिति की सभापति भी रहीं।

श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी का 58 वर्ष की आयु में 7 सितम्बर 1989 को वाराणसी में निधन हुआ।

श्री बदलू राम शुक्ल 1971-77 के दौरान उत्तर प्रदेश के बहराइच निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले 1960-62 में वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से वकील श्री शुक्ल एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षाविद् थे। वे अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से संबद्ध थे। उन्होंने छात्रों और अध्यापकों के कल्याण के लिए अनथक कार्य किया।

श्री शुक्ल का 73 वर्ष की आयु में 5 अगस्त, 1989 को उत्तर प्रदेश में बहराइच में निधन हुआ।

श्री सरजू पाण्डेय 1957 से 1967 के दौरान दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। वे उत्तर प्रदेश के बसरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। बाद में 1967 से 1977 के दौरान चौथी और पांचवी लोक सभा में वे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। श्री पाण्डेय उत्तर विधान परिषद के वर्तमान सदस्य थे।

एक गतिशील राजनीतिक कार्यकर्ता और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री पाण्डेय ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। भारत छोड़ो आन्दोलन में उनका योगदान स्मरणीय रहेगा। श्री पांडेय ही के नेतृत्व में 1942 में बलिया जिले में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी।

एक प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री पांडेय लगभग पांच दशक तक सक्रिय राजनीति में रहे तथा इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में अनेक श्रमिक और कृषक आन्दोलनों का नेतृत्व किया और वे अनेक बार जेल गए। श्री पांडेय ने हमेशा गरीबों और निचले वर्ग के लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया।

श्री पांडेय का 70 वर्ष की आयु में 25 अगस्त, 1989 को मास्को में निधन हुआ।

श्री शिव कुमार शास्त्री 1967-77 के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे।

पेशे से अध्यापक और कृषक श्री शास्त्री एक प्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया। वे अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में कई पदों पर सम्बद्ध रहे। श्री शास्त्री आगरा विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वे प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे थे।

श्री शास्त्री बड़े अच्छे लेखक थे तथा उन्होंने हिन्दी में अनेक पुस्तकें लिखी थीं।

श्री शास्त्री का 74 वर्ष की आयु में 3 सितम्बर, 1989 को नई दिल्ली में निधन हुआ।

हम अपने इन साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे यकीन है यह कि सभा मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

यह सभा अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए अब थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके। मैं एक-एक करके आप सभी की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मैं सभी को एक-एक करके सुन सकता हूं। मैं एक समय में एक समस्या को ही सुन सकता हूं। यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुन सकता हूं? आप ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? एक-एक करके। प्रो० सोज।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है····· (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : अध्यक्ष महोदय··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला ने मुझे एक स्थगत प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने भी मुझे एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। श्री बनातवाला, मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे अनुमति दे दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब, मेरी बात सुनिए। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : आप पहले साम्प्रदायिक स्थिति पर मेरे स्थगन प्रस्ताव को लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। मैंने इस पर पूर्ण रूप से विचार किया है और मैं आपके कथन से सहमत हूं। मुझे आपकी भावनाओं के प्रति पूरी सहानुभूति है।

श्री जी० एम० बनातवाला : बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आप गृह मंत्री को सलाह दें कि वह एक वक्तव्य दें। जब देश के विभिन्न भागों में अनेक लोग मारे गए हैं तो सरकार एक मूक दर्शक कैसे बनी रह सकती है ?

श्री जी० एम० बनातवाला . सरकार की तरफ से एक वक्तव्य हो···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। भारतीय जनता पार्टी गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न कर रही है। मेरे पास समाचार पत्रों का पूरा बंडल है··· (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या रहा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसी बारे में स्पष्ट करना चाह रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया इसे स्पष्ट करने के लिए मुझे एक मिनट दीजिए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए; मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं कैसे आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं माननीय अध्यक्ष के ध्यान में कुछ ला रहा हूं···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर इसी समय कार्यवाही शुरू की जाए। सभा इस साम्प्रदायिक स्थिति के प्रति एक मूल दर्शक बनी नहीं रह सकती ··(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम साम्प्रदायिक स्थिति, संविधान एवं हिन्दु-मुस्लिम एकता के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं। वे घृणा और अराजकता फैला रहे हैं। इस हमले को रोका जाना चाहिए। (**व्यवधान**) समाचार पत्र कर रहे हैं कि हमें अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए···(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं सत्तापक्ष के सदस्यों की तरफ से भी कहना चाहती हूं कि हमें साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं। (**व्यवधान**)

हम किसी भी समय, यथा शीघ्र चर्चा कर सकते हैं।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : अन्य मामलों को फिलहाल छोड़ा जा सकता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : सरकार मूक क्यों बनी हुई है ?

श्रीमती शीला दीक्षित : सरकार मूक नहीं है। हम इसके प्रति जागरूक हैं। हम चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमने हाल ही में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया है। आप हर पार्टी को धर्म निरपेक्ष चाहते थे। (**व्यवधान**) हम इस संबंध में माननीय अध्यक्ष के विचार सुनना चाहते हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : हम तत्काल चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : गृह मन्त्री यहां पर क्यों नहीं हैं ?

श्री हृदभाई मेहता : आज ही चर्चा हो जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। यदि अब इसी समय संसद हस्तक्षेप नहीं करती है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। **(व्यवधान)** राज्य सरकारें तो इस प्रकार हाथ उठा रही हैं जैसे कि वे पूर्णतया असहाय हों। संसद को अपना प्रभाव दिखाना है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन सोज : यदि आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकते तो नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : साम्प्रदायिक स्थिति पर मेरे स्थगन प्रस्ताव को इसी समय लीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह सरकार के विरुद्ध नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? क्या मेरी बात सुनने के लिए आप में धैर्य है ? हम सभी इस मुद्दे पर सहमत हैं और कोई भी समझदार व्यक्ति इस बारे असहमत नहीं होगा कि यह हमारी राष्ट्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता इत्यादि के लिए खतरे का सबसे खराब रूप है। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न यही है कि हमारा इसके प्रति क्या रवैया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, आप ठीक कहते हैं। लेकिन आप इस पर किस प्रकार से जोर देंगे ? मैं इसे पारित नहीं कर सकूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या आप यह निर्णय दे रहे हैं कि यह पारित नहीं होगा इसलिए आप इसे अनुमति नहीं दे रहे हैं ? क्या तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। यही तो समस्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। सारी सभा का भी वही मत है जो आपका है और ये सभी मेरे साथ इस बात पर सहमत हैं कि नियम 193 के अधीन चर्चा की जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला : स्थगन प्रस्ताव में निन्दा का तत्व होता है।

अध्यक्ष महोदय : निन्दा करने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम इस बारे में चर्चा आज ही चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय लेना तो सभा पर निर्भर करता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : संसदीय कार्य मन्त्री चर्चा के लिए सहमत हैं। लेकिन गृह मन्त्री ने यहां आने की परवाह नहीं की।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं चाहता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू हो। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, जब हम सबकी यही राय है तो आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? कम से कम इस विषय पर मतभेद नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस पर सहमत होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : स्थिति की गम्भीरता के मुताबिक स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि मैं चर्चा के लिए पहले ही सहमत हूं और यहां पर चर्चा के लिए सर्वसम्मत अनुमति है। मैं यही कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, कुछ बातें हैं जो सर्वसम्मति से की जाती हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है। मैं यही कह रहा हूं। मैं इसके लिए नियम 193 के अधीन अनुमति दूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, यह आज ही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं, ठीक है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इसका विरोध करता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं जा रही है। इसे अनुमति क्यों नहीं दी जा रही ? इसे अनुमति न देने का उचित कारण क्या है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कारण नहीं बताऊंगा। मैं कभी कारण नहीं बताता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय के संबंध में समूची सभा सहमत है तथा इस पर विचार और कार्यवाही करने की सर्वसम्मति है। श्री बनातवाला इस विषय पर सर्वसम्मति है।

श्री जी० एम० बनातवाला : परन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए.....

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। समूची सभा की सर्वसम्मति का आशय इस गंभीरता से है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

श्री जी० एम० बनातवाला : स्थगन प्रस्ताव में निंदा सम्मिलित है। यह गंभीरता का मुद्दा है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : आप किसकी निंदा कर रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : हम आपकी निंदा करने के लिए यहां हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं पढ़ने में आऊंगा तो, फिर आप कहेंगे कि आप क्या कहते हैं।

[अनुवाद]

केवल यह समस्या है। आप इसे क्यों नहीं समझते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो कार्यवाही वृत्तांत में मेरा कड़ा विरोध सम्मिलित कर लिया जाए। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आज नियम 193 के अधीन चर्चा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप जब निर्णय करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम इसे आज चाहते हैं। यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नियम 193 के अधीन चर्चा आज होनी चाहिए।

श्रीमती शीला दीक्षित : राज्य सभा में भी चर्चा हो रही है। हम गृहमन्त्री की सुविधा देखेंगे और यदि वह व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं·····(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज ही कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : हम आज 4 बजे शुरू करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया आज ही चर्चा कीजिए। कल नहीं।

श्रीमती शीला दीक्षित : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, कई अखबारों में खबर है कि राम शिला पूजन और राम शिला मन्दिर के न्यास को लेकर सरकार और विश्व हिन्दू परिषद में समझौता हुआ है। हम चाहते हैं कि उस समझौते के बारे में, होम मिनिस्टर बयान दें।

[अनुवाद]

इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम सरकार से एक वक्तव्य चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शाहबुद्दीन जी, जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो इसका जवाब भी आयेगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : पहले बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : वह आज ही आ जाएगा।

[अनुवाद]

हम इसे 4 बजे शुरू करेंगे।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उन्हें आज एक वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : 4 बजे करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मेरी एक व्यक्तिगत शिकायत है। अन्ना द्रविड़

मुन्नेत्र कड़गम प्रथम और द्वितीय के साथ एकीकरण के बाद वहां मेरे दल के दस सदस्य हैं। हमें अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। यह पहली बात है।

अध्यक्ष महोदय : यहां इन बातों पर चर्चा नहीं होती है ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने पहले ही नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलू जी, सभा में इन बातों की चर्चा नहीं होती है।

श्री पी० कुलनवेईवेलू : मैंने पहले ही अगस्त में नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : हमने इसके संबंध में प्रत्येक कदम उठाया है। आप आकर मेरी बात सुनिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं यहां अपने कार्य की चर्चा नहीं करूंगा। आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं आपके कक्ष में आऊंगा। मैंने पहले ही नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं। कोई अनुचित कार्य नहीं होगा अथवा ऐसा कुछ हुआ होगा। जब आप मेरे पास आयेंगे तो मैं आपको बता दूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप आइए मैं जवाब दूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह दूसरी बात है। मैंने नोटिस दिया है·····

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन लूंगा, आप शोर क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे वायदा किया है।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : कृपया, मेरी बात सुनिए। मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर आज की चर्चा में विचार किया जाएगा। हम इस पर 4 बजे चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : दूसरे नोटिस के संबंध में···**(व्यवधान)***

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। श्री कुलनदईवेलू की बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, सारे देश में हरिजनों का कत्ले-आम हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो रहा है, वह उसी में आ रहा है।

[अनुवाद]

हम कर रहे हैं।

श्री राम धन : अभी उत्तर प्रदेश में हरिजन मारे गए हैं। वहां जनता दल और उत्तर प्रदेश सरकार शरारती लोगों का इस काम में होंसला बढ़ा रहे हैं और इसी की वजह से हरिजनों का कत्ले-आम हो रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको 4 बजे टाइम मिलेगा, इसमें बोलिएगा।

श्री राम धन : यह विषय बहुत गंभीर है। इस पर अलग से डिस्कशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : दोनों साथ ही हैं। अब आप दूसरों को सुनने दीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक(पणजी): संयुक्त राज्य अमेरिकाके न्यायालय के मुकद्दमे में श्री मोरारजी देसाई यह सिद्ध नहीं कर पाए कि वह सी० आई० ए० के एजेन्ट नहीं हैं इसका अभिप्राय यह है कि जनता सरकार सी० आई० ए० की सरकार थी। (व्यवधान) मुकद्दमा हारने के बाद यह सिद्ध हो गया है। मुकद्दमों में हार का आशय यह है कि जनता पार्टी का शासन वस्तुतः सी० आई० ए० का शासन था क्योंकि यह सिद्ध हो गया है। श्री मोरारजी देसाई ने इस बात पर मुकद्दमा चलाया था कि वह सी० आई० ए० के एजेन्ट नहीं हैं। मुकद्दमा हारने का क्या आशय है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं मेरा इससे क्या लेन-देन है।

श्री शांताराम नायक : मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ? (व्यवधान) जनता पार्टी के शासन के दौरान वह कार्यपालिका के अध्यक्ष थे।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : क्या हम इसे हल्के-फुल्के ढंग से ले सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे क्या संबंध है ?

श्री शांताराम नायक : महोदय, आपका बहुत अधिक संबंध है। जनता शासन में वह भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री-कार्यपालिका के अध्यक्ष थे। (व्यवधान)

श्री हरभाई मेहता : यह सिद्ध हो चुका है। यह गंभीर मामला है। हम इस पर सरसरी तौर पर कैसे ले सकते हैं ?

श्री शांताराम नायक : संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय ने निर्णय दिया है कि लेखक की टिप्पणियां कुछ दस्तावेजों पर आधारित हैं, न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी।

[हिन्दी]

श्री हरभाई मेहता : भारत सरकार मोरारजी देसाई के बारे में क्या कह रही है ?

श्री शांताराम नायक : न्यायालय ने लेखक के वक्तव्य को प्रमाणित किया है तथा अपनी सहमति दी है।

श्री हरभाई मेहता : इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

श्री शांताराम नायक : इसका तात्पर्य यह है कि इस देश में जनता पार्टी का शासन वस्तुतः सी० आई० ए० का शासन था (**व्यवधान**)

श्री हरभाई मेहता : इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक होना चाहिए।

श्री हरभाई मेहता : यह भारतीय सुरक्षा से सम्बद्ध है। मान-हानि के मुकद्दमे की हार से क्या आशय है ? मैं आशयों को नहीं जानता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हम गृहमन्त्री का वक्तव्य चाहते हैं कि वे क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री शांताराम नायक : यह राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण मामला है। जनता शासन के दौरान वह भारत के प्रधानमन्त्री थे। आप यह क्यों नहीं समझते ? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम धन : जनता की बात छोड़िये, आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने बोफोर्स से सारा का सारा कमीशन खा लिया। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : यह वही जनता पार्टी है जो अब जनता दल के नाम से प्रसिद्ध है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप श्री लंका के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं या नहीं। मेरे विचार से 16 तारीख तक यह सत्र समाप्त हो जायेगा। आपने मुझसे अगस्त में ही वायदा किया था कि भारतीय शांति सेना की वापसी के मुद्दे के संबंध में विचार-विमर्श करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम 3 बजे कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक करेंगे।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री राजेश पायलट।

(**व्यवधान**)

11.24 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, बंबई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

जल.भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[मंत्रालय में रख गये । देखिए संख्या एल० टी० 8344/89]

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : मेरी बात नहीं सुनी आपने, सर ।

अध्यक्ष महोदय : बोलिए ।

चौधरी राम प्रकाश : मेरी एक अर्ज बहुत जरूरी है । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में डैमोक्रेसी दिन प्रति दिन खत्म हो रही है । आप पूछेंगे, क्यों । हरियाणा में देवी लाल ने क्या किया, वह यह कर रहा है कि एम० पीज० का डिफैक्शन करार, उनसे त्याग-पत्र दिलाकर उनको 10-10, 15-15 लाख रुपये और जीप देता है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : इसका मतलब यह है कि उसने सारे देश का सत्यानाश कर दिया । जब यहां पर बोट क्लब पर रैली हुई थी तो मुझे पता है कि वहां के लोगों को मार-मार कर, पीट-पीट कर जबरदस्ती ट्रकों में बैठाया और लोगों को यहां पर ले आये ।

जहां तक हरियाणा सरकार के खजाने का सवाल है, वह बिल्कुल खाली हो चुका है ।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : वहां गवर्नर बैठे हुए हैं, वे करेंगे ।

चौधरी राम प्रकाश : आप कुछ करें या न करें, सुन तो लीजिए कम से कम ।

अध्यक्ष महोदय : जो मैं सुन सकता हूं, वह बताइए ।

(व्यवधान)

चौधरी रणजीत प्रकाश : आप इस तरह से इजाजत देंगे, इस तरह से सरकार को इजाजत देंगे कि लोगों को मारो-पीटो, ट्रक में भरो और दिल्ली ले आओ···(व्यवधान) मैंने कई दफा आपसे अर्ज किया है, और सरकार से भी अर्ज किया है, अगर इस तरह की कोई बात हो तो उस सरकार को डिसमिस कर दो ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो गवर्नर साहब कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : चार बजे हम नियम 193 के अधीन साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं । तमिलनाडु में वीडिनैकनूर में दुखद साम्प्रदायिक दंगा हुआ । क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक साथ ही आएगा ।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : इस सत्र में प्रश्न काल नहीं है । शून्यकाल सामान्यत: 12.00 बजे आरंभ होता है । क्यों आपने इसमें एक घंटा बढ़ा दिया है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इल्लीगल काम करता ही नहीं । जीरो-आवर है ही नहीं ।

[अनुवाद]

नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि शून्य काल है । यह उनके द्वारा बनाया हुआ एक कपट चाल है । हमारे माननीय सदस्य व्यर्थ ही कुछ बातों का लाभ उठाना चाहते हैं । मैं इस संबंध में क्या कर सकता हूं ? आप बारी-बारी नम्रतापूर्वक यही कह सकते थे । मैं नहीं जानता कि सदस्यों को हर समय क्यों चिल्लाना पड़ता है ।

श्री पी० एम० सईद : मैं अनुशासित था ।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुशासित हैं । इसीलिए आपका प्रश्न अच्छी तरह सुना गया । आप मुझे बताइए कि कारण क्या है ? यदि हम यह अच्छी तरह शालीनता और शिष्टाचार से करते हैं तो मैंने इसी समय के दौरान एक-एक करके आप सबों की बात सुन ली होती । कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

हिन्दी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तथा इसके क्रियान्वयन के बारे में वार्षिक निर्धारण प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं श्री सन्तोष मोहन देव की ओर से हिन्दी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए कार्यक्रम तथा इसके क्रियान्वयन के बारे में वर्ष 1987-88 संबंधी वार्षिक निर्धारण प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पंचालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8345/89]

11.27 म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 11 अगस्त, 1989 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के प्रथम भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्नाटक विनियोग विधेयक, 1989

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1989

(3) उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1989

महोदय, मैं 11 अगस्त, 1989 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राज्य सभा के महासचिव द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित तीन विधेयक भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1989

(2) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1989

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) विधेयक, 1989

11.28 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) समस्तीपुर और दरभंगा के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोग प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के प्रति बहुत आभारी हैं क्योंकि उन्होंने 15 जून, 1989 को गांधी मैदान पटना में उनकी स्थिति सुधारने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की।

इन घोषणाओं के अनुसार निकट भविष्य में मिथिला क्षेत्र बार-बार आने वाले बाढ़ों से मुक्त होगा। किंतु, इस क्षेत्र का विकास समस्तीपुर और दरभंगा के बीच बड़ी लाइन के अभाव के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बड़ी रेल लाइन के अभाव के कारण उद्योगपति इस क्षेत्र से कच्चा माल तथा परिकृत सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सके हैं।

अतः गम्भीरतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि आठवीं पंच वर्षीय योजना में समस्तीपुर दरभंगा छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश में कैराना में चौबीस घन्टे टेलीफोन सेवा प्रदान किए जाने के लिए वहां टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र के कस्बा कैराना की टेलीफोन व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। इस कस्बे में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता 100 से कम होने के कारण बहुत से इच्छुक लोग टेलीफोन की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। दूसरे टेलीफोन सेवा केवल नौ बजे सवेरे से शाम चार बजे तक रहती हैं। जिसके कारण लोग शाम से सवेरे के बीच कोई जरूरी सूचना नहीं दे पाते।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि कैराना में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाई जाए तथा टेलीफोन सेवा रात दिन के लिए शुरू की जायें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।

(तीन) गुजरात में, विशेष रूप से अहमदाबाद में, कपड़ा मिलों में छंटनी किए जाने के परिणामस्वरूप मजदूरों के बेरोजगार हो जाने के मामले में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : गुजरात के कपड़ा मिलों विशेषकर अहमदाबाद में, बुनाई और प्रोसेसिंग यूनिटों के अनेक विभागों के बंद होने के कारण बहुत अधिक संख्या में कपड़ा श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सम्बद्ध अधिकारियों से इसकी अनुमति ली जानी चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इससे न केवल बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, अपितु इससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) हैदराबाद और भुवनेश्वर के बीच वायुयान सेवा बहाल किए जाने की मांग

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : हैदराबाद और भुवनेश्वर के बीच सेवारत वायुयान विमान

23-9-1989 को पुणे के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और तब से एक हवाई जहाज के अभाव में विमान सेवा स्थगित कर दी गई है। हैदराबाद और भुवनेश्वर के बीच वायु सेवा राजामुन्दरी विशाखापट्टनम और जेयपुर होते हुय जाती है वह हमेशा पूर्णतया आरक्षित रहती थी और कभी-कभी तो यात्रियों को विमान में सीटों के अभाव के कारण प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।

अतः, मैं नागर विमानन मंत्री महोदय से इस मार्ग पर जल्द से जल्द यात्रियों की सुविधा के लिए विमान उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) पालघाट (केरल) में एक औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : केरल का पालघाट जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। साक्षरता में वृद्धि के फलस्वरूप इस जिले में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात् भी इस जिले के सम्पूर्ण विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं भारत सरकार द्वारा केरल में कुछ औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। राज्य में औद्योगिकी करण की दिशा में इससे निस्संदेह सहायता मिलेगी। यह केन्द्र उन जिलों में स्थापित किए जाने चाहिए जहां औद्योगीकरण नहीं हो पाया है और जहां औद्योगिक विकास की काफी संभावनाए हैं। इस आधार पर पालघाट जिले में एक विकास केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

अतः, मैं पालघाट जिजे में एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(छः) उड़ीसा के आस्का क्षेत्र में चीनी कारखाने लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : कृषि पर आधारित उद्योगों में चीनी का उद्योग एक बहुत प्रमुख उद्योग है। यह आवश्यक है कि दक्षिण क्षेत्र में न चीनी कारखाने लगाए जाएं। आस्का संसदीय चुनाव क्षेत्र के कुछ स्थानों पर गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है। इन स्थानों के नजदीक चीनी मिल शुरू करने से गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। गन्ने के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, तीन चीनी मिलें, एक सुमंडल में दूसरी सरोडा और बड़ागड़े के बीच और तीसरी पुरुषोत्तमपुर और हिनजिलीकाटू के बीच स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा स्वीकार किया गया है कि दक्षिण क्षेत्रों में उगने वाले गन्ने में, विशेषकर आस्का संसदीय चुनाव क्षेत्र में, स्यूक्रोस की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए दक्षिण में उपजाई जाने वाली गन्ने से स्यूक्रोस की मात्रा अधिक होने के कारण वहां चीनी का अधिक उत्पादन हो सकता है।

उपरोक्त सुझाये गये तीन स्थानों पर गन्ना मिलों की स्थापना से देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और देश में बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सकती है।

(सात) गन्ने के लिए लाभप्रद मूल्यों की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, खुले बाजार में चीनी के मूल्यों के आधार पर प्रान्तों में हर साल सरकार किसानों को गन्ना मूल्य तय करती आ रही है।

*मूलतः मलयालम में उठाए गए मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

14 सितम्बर को केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री ने मिल मालिकों के साथ जो खुला बाजार चीनी की बिक्री के लिए समझौता किया, उसके तहत अब 775 रुपये प्रति क्विंटल तथा 800 रुपये प्रति क्विंटल चीनी मिल गोदामों पर ही व्यापारियों को दी जा रही है और इस प्रकार बाजार में खुदरा चीनी मूल्य 840 तथा 900 रुपये सरकारी घोषणा के अनुसार है। जबकि किसानों को दोहरी चीनी नीति के तहत इस बढ़ाए गए दामों पर हकदारी की घोषणा भी सरकार को साथ-साथ करनी चाहिए थी। लेवी चीनी तथा' खुदरा चीनी के आम उपभोक्ताओं में बाजार मूल्य बढ़कर अब 475 रुपये क्विंटल के करीब हो गया है जबकि पिछले सालों यह अन्तर 150 रुपये से ज्यादा नहीं था। इस बार चीनी के मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके प्रधान कारण सीमावर्ती राज्यों से चीनी बंगलादेश, नेपाल, बर्मा, चीन अधिक मूल्यों पर चीनी की चोरबाजारी हो रही है। गन्ना उत्पादक की मांग इस बढ़ी हुई चीनी मूल्य के आलोक में करीब 55 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना होता है जो 89-90 वर्ष सीजन चलाने के पहले राज्य सरकार तय कर अविलम्ब घोषित करें, अन्यथा गन्ना उत्पादक अपना हक लेने हेतु किसी भी चीनी मिल को बिना गन्ना मूल्य घोषित किए खुलने नहीं देंगे और ऐसी स्थिति में भारी तनाव उत्पन्न होगा। सरकारी गन्ना मिलों से गन्ना मूल्यों की आपूर्ति में काफी कठिनाई होती है। अत: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र 55 रुपये क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करें व भुगतान की त्वरित व्यवस्था करार गन्ना उत्पादकों को शोषण से बचाएं।

(आठ) बुनकरों को "न लाभ न हानि" के आधार पर धागा उपलब्ध कराए जाने और नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े को आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० भूलरेचु गुहा (कन्टई) : नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े की जनता साड़ी और धोती गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती है। नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

बिजली करघा और हथकरघा उद्योग जो कि ज्यादातर नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन करते हैं, कुटीर उद्योग है। इसमें दो करोड़ से ज्यादा श्रमिक शामिल हैं। धागे की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप ये उद्योग अब बंद होने वाले हैं। बुनकरों को धागा 'बिना लाभ हानि के आधार पर' उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैं सरकार से एक समिति गठन करने का अनुरोध करता हूं जो धागे की कीमतों पर निगरानी रखेगी।

11.37 म० प०

प्रत्यक्ष-कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सदन अब प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक पर विचार करेगा। श्री एस० बी० चव्हाण।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—*

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रत्यक्ष-कर विधि में संशोधन के संबंध में अक्सर ही यह कहा जाता है कि सरकार कर सम्बन्धी कानूनों में अधिक बदलाव कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि कर सम्बन्धी कानूनों में स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन यह इच्छित लक्ष्य वित्तीय नीतियों में अनेक बाधाएं होने के कारण सम्भव नहीं है जिसका एक महत्वपूर्ण संघटक कर-नीति है। कर-नीति की कई कठिन समस्याएं हैं। विभिन्न कर सम्बन्धी नीतियों का प्रभाव और असर उतना उपयुक्त नहीं होता है, और इसलिए, कर सम्बन्धी तकनीकें तय करते समय आर्थिक विकास उत्पादन, उपभोग, आंतरिक तथा विदेशी निवेश, बचत और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर सम्बन्धी प्रोत्साहनों के सम्भावित प्रभाव के बारे में पूर्ण रूप से निश्चितता नहीं हो सकती। कुछ उपबन्धों को सरल व तर्कसंगत बनाने के लिए परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इसलिए ऐसे कानूनों की निरन्तर समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर-कानूनों को सहज और तर्कसंगत बनाने के लिए निर्धारण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष कर-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा और प्रत्यक्ष कर-विधि (संशोधन), अधिनियम 1989 द्वारा काफी परिवर्तन लाया गया है। इन अधिनियमों के लागू होने के बाद निर्धारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ विसंगतियां और कठिनाइयां सामने आई हैं।

प्रत्यक्ष कर-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित होने और वित्त विधेयक, 1989 को प्रस्तुत किए जाने के बाद कर-दाताओं और अनिवासी भारतीयों को कुछ कर सम्बन्धी रियायतें प्रदान करने के सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य नई निर्धारण प्रक्रिया की कठिनाइयों को दूर करके करदाताओं को सहायता प्रदान करना और साथ ही कर-दाताओं को कुछ करो में रियायत प्रदान करना शामिल है जिससे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कर-दाता इसका लाभ उठा सके। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और कुछ अनैच्छिक कर लाभों को वापस लेना है।

देश की एक मुख्य आवश्यकता आज देश में विदेशी मुद्रा को लाने के लिए प्रोत्साहन देना है। इसकी प्राप्ति के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 48 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अनिवासी भारतीयों के मामलों में पूंजीगत लाभ की गणना करने का प्रावधान किया जा सके जिसके तहत फिलहाल भारतीय मुद्रा में मूल्य आंकने के बजाए लागत मूल्य और बिक्री मूल्य की गणना उस विदेशी मुद्रा में की जाएगी जिसमें उस पर निवेश किया गया था।

यह एक समायोजन व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उतार-चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। इससे अनिवासी भारतीयों द्वारा शेयरों में निवेश और आकर्षक बन जाएगा।

इसी उद्देश्य से आयकर अधिनियम की धारा 6 में संशोधन का प्रस्ताव है। वर्तमान में एक व्यक्ति जो भारतीय निवासी है, उसकी समूचे विश्व में होने वाली आय कर योग्य है। किसी भी भारतीय नागरिक के लिए जो भारत से बाहर रह रहा हो और जो भारत में आता हो, उसके भारत में निवासी होने की शर्त यह है कि वह भारत में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए पूर्व चार वर्षों में रहा हो और उस वर्ष में 90 दिन तक भारत में रहा हो।

अनिवासी भारतीयों का यह निवेदन है कि विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें भारत में

अपनी निवेशों की देखभाल करनी होती है, 90 दिन का यह समय बहुत थोड़ा है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों के लिए यह समय 90 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाये।

वित्त अधिनियम 1987 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 195 में संशोधन किया गया था जिससे कि अनिवासी भारतीयों की कुछेक भुगतानों के लिए स्रोत पर कर में कटौती का प्रावधान है जो उन्हें या तो उनके खातों में क्रेडिट करते समय अथवा उसके भुगतान के समय नकद या चैक द्वारा जो भी पहले ही की जा सकती है। तदनुसार बैंकों को उनके साथ किए गए करार दायित्वों के विपरीत अपनी ब्याज निर्धारण और विभिन्न जमा योजनाओं के समापन की अवधि, जो अनिवासी भारतीयों के खातों से संबंधित हो, को भी पुनः निर्धारित करना होगा। यह कहा गया है कि इससे विदेशी विनिमय की आवाज पर विपरीत असर पड़ा है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 195 में संशोधन किया जाए जिससे कि यह प्रावधान किया जा सके कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अनिवासी भारतीयों से ब्याज के भुगतान के समय ही स्त्रोत पर कर कटौती करें।

नौवहन उद्योग का विकास हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक पूंजीगत उद्योग है और इसमें विदेशी नौवहन कंपनियों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। अतः इसे अपने विस्तार और विकास के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। इसकी प्राप्ति के लिए निम्नलिखित छूटें प्रस्तावित की गई हैं।

(एक) एक नई धारा 33क ग प्रस्तावित की गई है जिसके अनुसार नौवहन कंपनी को व्यापार से होने वाली आय की गणना करने में संचित खाते में हस्तान्तरित करने पर, कर में छूट मिलेगी जो कि सम्बन्धित वर्ष के लाभ और जिस सीमा तक धारा में प्रावधान हो, तक सीमित होगी। इस तरह संचित धनराशि का इस्तेमाल आठ वर्षों के भीतर एक नये जहाज के खरीदने में इस्तेमाल करना होगा।

(दो) धारा 800 गग के भी संशोधन का प्रस्ताव है जिससे कि नौवहन कंपनी द्वारा जारी शेयरों को भी इस धारा के अंतर्गत लाया जा सके। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि नौवहन कंपनियों के मामले में, पहले से चल रही कंपनी द्वारा बाद में जारी शेयर पूंजी पर भी धारा 80ग के अंतर्गत छूट मिलेगी।

वित्त विधेयक, 1989 पर चर्चा के दौरान, सरकार की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया था कि सरकार द्वारा निवेश कम्पनियों के अनअधिसूचित एक्वटी शेयरों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में इस समय जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं तथा उन कठिनाइयों की जांच की जाएगी और इन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जायेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में, धन कर अधिनियम की तीसरी अनुसूची में जिसमें इस प्रकार के मामलों का उल्लेख है, संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि निवेश कम्पनियों के अनअधिसूचित शेयरों के मूल्यांकन के तरीके को गैर निवेशी कम्पनियों द्वारा अपने अनअधिसूचित शेयरों के मूल्य निर्धारण के तरीके के समान किया जा सके।

आयकर अधिनियम की धारा 80ग में भी संशोधन का प्रस्ताव है जिससे कि नीचे दी गई स्थितियों में छूट दी जा सकें :—

(एक) भारत जीवन बीमा निगम के 'म्यूचुअल फंड' की यूनिट लिंग बीमा योजना, जिसे केन्द्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचित किया हो; और

(दो) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित उन बचत पत्रों को, जिन्हें शासकीय बचत पत्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत जारी किया गया हो

वर्तमान कानूनों के अंतर्गत अनिवासी खिलाड़ियों आदि के सम्बन्ध में भी उसी दर से कर लगाया जाता जो कि अन्य लोगों पर लागू होती है। कुछ देशों में आने वाले अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संस्थाओं पर कर या तो कम दर से लगाया जाता है या फिर बिल्कुल नहीं लगाया जाता।

इसे युक्तिसंगत बनाने और समान सुविधा प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संस्थाओं पर उनकी खेल गतिविधियों, जिसमें अखबारों और पत्रिकाओं में लेख, विज्ञापन आदि के प्रकाशन से होने वाली आय गारन्टी धनराशि सहित सकल आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाए।

इस समय धन कर के उद्देश्य से कम्पनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, मूल्यांकन के दिन स्टाक एक्सचेंज में उद्धृत उनके बाजार मूल्य से तय किया जाता है। इस सम्बन्ध में लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि सट्टेबाजी के कारण कुछ अवधि के लिए कुछ कंपनियों के शेयरों का मूल्य वास्तविक मूल्य से अत्याधिक होता है। इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि ऐसी कम्पनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय, किसी एक दिन के आधार पर शेयरों के बाजार मूल्य का निर्धारण कई कंपनियों के शेयर धारकों को कठिनाई में डाल देता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे शेयरों के धारकों को बाजार मूल्य निर्धारण के किसी और तरीके के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। ऐसे शेयरों को अब या तो बाजार मूल्य के आधार पर या फिर पिछले पांच सालों के बाजार मूल्य के औसत पर, जिसका आशय है उस वर्ष जिसमें निर्धारण हो और उसके पूर्व के चार वर्षों से है, के आधार पर किया जाएगा।

यह भी ध्यान में आया है कि जीवन बीमा निगम की जीवन धारा योजना जो कि 'डैफर्ड एन्यूइटि' योजना है, जिसमें भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 80गग ए० के अंतर्गत छूट प्राप्त है, इसे धारा 80ग के अंतर्गत भी छूट प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बाद की धारा में दी गई भाषा के कारण है। यह प्रावधान करते समय कि जीवन धारा योजना में किये गए अंशदान को धारा 89 ग ग क के अंतर्गत छूट दी जाएगी, उन्हें धारा 80 ग के अंतर्गत भी किसी तरह की छूट देने का कोई विचार नहीं था। अतः यह प्रस्तावित किया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 80ग में संशोधन किया जाए जिससे आयकर अधिनियम की धारा 80 गगक के अंतर्गत छूट प्राप्त जीवन बीमा निगम की एन्यूइटि योजनाओं के अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत छूट प्राप्ति का अधिकार न हो।

धारा 115 घ में यह प्रावधान है कि अनिवासी भारतीयों के लिए निवेशित आय का अथवा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निर्धारण करते समय आयकर अधिनियम के अध्याय छः क में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। अध्याय छः क के अंतर्गत प्राप्त छूट, उन आयों पर हैं जिन्हें 80ग, 800 और 80प में दिया हुआ है। हालांकि धारा 80प को वित्त विधेयक 1987 द्वारा 1 अप्रैल, 1988 से हटा दिया गया था। धारा 80प के अंतर्गत प्राप्त छूट की धारा 48(2) में शामिल किया गया है जो कि अध्याय छः क के अंतर्गत नहीं आती है। जिसके फलस्वरूप धारा 48(2) के अंतर्गत भी छूट प्राप्त की जा सकती है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि धारा 48(2) के अंतर्गत दीर्घकालिक

पूंजीगत लाभों पर अनिवासी भारतीयों को छूट प्राप्त नहीं होगी इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 115घ में संशोधन किया जाएगा। नयी मूल्यांकन प्रक्रिया से सम्बन्धित उपबंधों के क्रियान्वयन में परिचालन कठिनाइयों और कुछ असंगतियों को दूर करने के लिए तीन प्रयत्न कर अधिनियमों में स्पष्ट प्रकृति के कतिपय संशोधनों का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं :—

(एक) उन मामलों में जहां फर्म के खातों की लेखा परीक्षा की जानी होती है भागीदारों के लिए आय सम्बन्धी विवरणी दाखिल करने की तारीख वही होगी जो फर्म की है अर्थात निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर।

(दो) फर्म के भागीदारों के मामले या व्यक्तियों की एसोसिएशन के सदस्यों या व्यक्तिगत निकायों में जहां इस कारण बाद में किये गये समायोजनों अथवा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप करदाताओं द्वारा उठाए गए लाभ या हानि में परिवर्तन हुआ हो, आय व हानि को बांटने से सम्बन्धित निर्धारण में संशोधन के लिए प्रस्तावित प्रावधानों के अधीन शक्तियां प्राप्त की गई हैं।

(तीन) जहां धारा 143 (1)(क) के अन्तर्गत किए गए समायोजनों के परिणामस्वरूप करदाता द्वारा दिखाई गई हानि में अन्तर है तो करदाता को भी अब सूचना दी जाएगी।

आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 14 के उपखंड (दो) के अधीन कतिपय भत्तों में छूट तथा धारा 10 के खंड (5) में अवकाश यात्रा रियायत में छूट से संबंधित प्रावधानों के संबंध में इसी प्रकार के संशोधनों को भी प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 80(ग) व 80(ठ) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय बचत पत्र छठी और सातवीं शृंखलाओं पर कर रियायतों को नियमित करने और प्रतिभूति (सिक्योरिटी) शब्द की व्याख्या की समस्या को हल करने के लिए इस शब्द को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

कुछ सरकारी संशोधनों का भी प्रस्ताव है। यह संशोधन अनुवर्ती हैं और इनका किया जाना इसलिए आवश्यक हो गया था जिससे कि उचित और सही हवाले दिए जा सकें तथा खिलाड़ियों आदि के निर्धारण से संबंधित स्थिति को स्पष्ट किया जा सके।

महोदय, मेरा विश्वास है कि इस विधेयक को सदन की सर्वसम्मति प्राप्त होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री० एम० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं आयकर अधिनियम 1961, धन कर अधिनियम 1957 और दानकर अधिनियम 1958 में किए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं। इस अधिनियम में संशोधन इस वर्ष के शुरू में ही किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर-कानूनों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया बन गई है कि कर-कानून मात्र करों की व लीके लि ए नहीं है।

11.51 म० पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, यह बहुत उपयुक्त वक्तव्य है क्योंकि कर कानूनों का उद्देश्य कतिपय सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अब कई वर्षों से हमें कई त्रुटियां दिखाई दे रही हैं। हम स्वयं को विश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि सभी कर कानून और इन कर कानूनों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र दोषरहित नहीं है। अतः अब इस सदन में किए गए संशोधनों की हम प्रशंसा करते हैं।

महोदय, अनिवासी भारतीयों द्वारा और अधिक निवेश करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा उनके भारत में रुकने के समय को बढ़ाने के लिए किए जा रहे संशोधनों का स्वागत है। वित्त मन्त्री जी ने उद्देश्य के कथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि नौवहन उद्योग को महत्व दिया गया है क्योंकि नौवहन उद्योग को विदेशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इसे सरकार की सहायता और निजी कंपनियों के निवेश की आवश्यकता है जिन्हें करों में छूट देकर आकर्षित किया जा सकता है। महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब हम नौवहन उद्योग को महत्व देते हैं तो हमें देश के उन भागों की ओर ध्यान देना चाहिए जहां विकास बहुत कम हुआ है विशेषतया औद्योगिक क्षेत्र में जहां हमें बड़े उद्योगपतियों और व्यक्तियों को आकर्षित करने की आवश्यकता है जो करों में छूट के बदले में अधिक निवेश कर सकते हैं। कई वर्षों से बहुत-सी परियोजनाओं और चेनलों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए संरक्षण और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद हमने कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है। हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई बड़ा उद्योग या औद्योगिक परियोजना नहीं देखी है इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इन राज्यों को छूट दी जानी चाहिए। सिक्किम, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को रियायती सुविधाएं देने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वहां पर संचार सुविधाएं बहुत कम हैं तथा पिछड़ापन अधिक है। इस उद्देश्य से उन क्षेत्रों में और अधिक धन लगाने के लिए अनिवासी भारतीयों या अन्य श्रेणी के लोगों को करों में अधिक छूट देने पर विचार करना चाहिए।

महोदय, क्या मन्त्री जी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी को भी इसमें शामिल करेंगे जैसा कि नौवहन उद्योग को प्रत्यक्ष करों में छूट दी गई है? मुझे याद है कि मैंने सदन में बहुत बार इस प्रस्ताव का उल्लेख किया था कि हमें बड़ी कंपनियों की सहायता व संरक्षण की आवश्यकता है। ऐसा केवल करों में छूट देकर ही किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कितनी छूटें दी गई हैं, मुझे आशा है वित्त मन्त्री जी स्वयं आश्वासन देंगे कि इन क्षेत्रों में छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में वास्तव में क्या कार्रवाई की गई है। चूंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कराधान कानून केवल करों की वसूली के लिए नहीं है बल्कि उनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी है। हम प्रत्येक ग्रामीण के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं जिससे कि वे देश के किसी भाग में किसी भी स्तर के व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। तब तक हम आर्थिक क्षेत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की उपलब्धि के बारे में नहीं सोच सकते। महोदय, मैं चाहता हूं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कर नीतियों, कर संबंधी कानूनों पर विचार करते समय इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे प्रत्यक्ष कर और हमारी कर-नीतियों पददलित लोगों को ऊंचा उठाने के लिए

आवश्यक भूमिका निभाने में किस हद तक सफल रही है। जिससे वे लोग उन लोगों के समकक्ष आ सके जो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक क्षेत्र में निम्नतम स्तर के लोगों की कीमत पर तेजी से अपने धन में वृद्धि करते हैं। इन उद्देश्यों के साथ कर संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है उन्हें पर्याप्त महत्व दिया जाता है, शायद जिस रफ्तार से संशोधन आ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि और संशोधन आने की संभावना है और हम आपत्ति नहीं करेंगे और हम समय-समय पर इस संबंध में संशोधन लाने के लिए सरकार की आलोचना भी नहीं करेंगे। निःसंदेह यह स्वीकृत तथ्य है कि कानून में संशोधन करने से पहले पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए, पर्याप्त जांच की जानी चाहिए जिससे कि कुछ महीनों के भीतर उन्हीं संशोधनों को फिर से संशोधित न करना पड़े। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि संशोधन जल्दी में नहीं लाए जाने चाहिए जिससे शीघ्र ही पुनः संशोधन करने पड़ें।

वर्तमान संदर्भ में संशोधन बहुत सक्रिय और रचनात्मक हैं और ये प्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के विभिन्न आर्थिक स्तरों में संतुलन करने और देश के विकास में सहायक होंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और एक बार फिर से सुझाव देता हूं कि विशेषतया पूर्वोक्त क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के उचित विकास के लिए अधिक निवेश करने के लिए बड़े घरानों, कंपनियों को आकर्षित करने और उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसके बारे में दो-तीन बातें मुझे कहनी हैं। यह सही है कि बैलेंस आफ पेमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने नॉन रेजीडेंट इंडियन्स को जो सुविधा दी है वह बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। आपने कहा है कि उनके शेयर के कंप्यूटेशन में फॉरेन एक्सचेंज में उसका वैल्यू माना जाना चाहिए न कि इंडियन रुपए में, यह बात सही है। जो लोग विदेश में रहे हैं वे जानते हैं कि 5 डॉलर की वहां कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस मुल्क में 75 रुपए का बहुत मूल्य है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज में ही यदि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो रिटर्न या टैक्स भी उसका फॉरेन एक्सचेंज में ही होना चाहिए और जब वह यहां से पैसा ले जाए, तो उसकी गिनती भी फॉरेन एक्सचेंज में ही हो, खासकर कैपीटल गेन्स टैक्स यदि उस पर लगता है, तो उसकी कैल्कुलेशन फॉरेन एक्सचेंज में ही होनी चाहिए।

दूसरी बात नॉन रेजीडेंट इंडियन के स्टेट्स के बारे में आपने जो 150 दिन किया है, उस बारे में है। मेरा ख्याल है कि 150 दिन बहुत कम हैं। जो आदमी आपना हार्ड अर्न पैसा यहां लगाएगा, वह तो चाहेगा कि कम से कम 9 महीने हम उसको सुपरवाइज करें। इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि 9 मन्थ्स, 270 दिन रहने की परमीशन होनी चाहिए नॉन रेजीडेंट इंडियन की कैटेगरी में रहने के लिए।

12.00 मध्याह्न

सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी जब डायरैक्ट टैक्स बिल की चर्चा हुई थी, इस साल भी और पिछले साल भी, तो बहुत जल्दी-जल्दी में पास हो गया था। हमने कहा था कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा था डायरैक्ट टैक्सेस और इनडायरैक्ट टैक्सेस का रैशनलाइजेशन होना चाहिए। मन्त्री जी मुझे माफ करेंगे, एक पैरलल इकनौमी देश में चल रही है जिसे ब्लैक मनी कहते हैं और हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आज देश में जो महंगाई बढ़ रही है वह इसी ब्लैक मनी के कारण बढ़ रही है और जिसे अनऐकाउन्टेड इन्कम कहते हैं। कोई न कोई रास्ता ऐसा

सोचिए जिससे यह अनऐकाउन्टेड इन्कम खत्म हो क्योंकि रेड्स या दूसरे तरीकों से आपने देख लिया है कि ज्यादा पैसा आप निकाल नहीं पाते हैं। मेरा सुझाव यह कि जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के कुछ देशों ने किया था। वहां भी सैकिंड वर्ल्ड वार में ब्लैक मनी बहुत बढ़ गई थी। वहां लोगों को छूट दे दी थी कि जो भी आदमी हाउसिंग ऐक्टीविटी में पैसा लगाना चाहेगा, चाहे जितना भी मकान बनाएगा, उससे यह नहीं पूछा जाएगा कि यह पैसा वह कहां से लाया है। सैकिंड वर्ल्ड वार में यूरोप तबाह हो गया था, वहां सारे मकान ध्वस्त हो गए थे तो वहां की सरकार ने लोगों को यह छूट दे दी कि मकान बनाइए, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप धन कहां से लाए हैं। तो लोगों ने मकान बनाए। जो लोग मकान बनाते हैं वे जानते हैं कि उस पर रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलता है और यह भी एक कारण है कि इस देश में हाउसिंग एक्टीविटी नहीं बढ़ रही है। हम लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन जिनके पास धन है वे हाउसिंग ऐक्टीविटी में नहीं लगा रहे हैं। हाउसिंग हमारी एक बहुत बड़ी प्राबल्म है। मैं कहूंगा कि सरकार ठंडे दिमाग से इस पर सोचे। एक बार लोगों को यह इनसैंनटिव दे दे कि वे लार्ज स्केल पर मकान बनाएं, चाहे वीकर सैक्शन के लिए बनाएं, मिडल इन्कम ग्रुप के लिए बनाएं, अपने इम्पलाइज के लिए बनाएं, सरकार यह कभी नहीं पूछेगी कि यह रुपया कहां से आया है। इसका नतीजा यह होगा कि जो ब्लैक मनी मार्केट में सरकुलेट हो रही है उसका प्रापर यूज हो जाएगा और हाउसिंग एक्टीविटी में तेजी से जनरेट करेगा। सीमेंट की खपत अभी कम है, सीमेंट की खपत बढ़ जाएगी, ईंट की खपत बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है और उस पैसे से वे स्पैकुलेशन कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, देश में तबाही मची हुई है।

आज चीनी का दाम क्यों बढ़ा? इस सदन में तो बार-बार कहा गया था कि हमारे पास ऐडीबल आयल का स्टाक बहुत है फिर दाम अचानक क्यों बढ़ गए? अचानक दाम इसलिए बढ़ गए कि लोगों के पास दो नम्बर को पैसा बहुत है और लोगों ने उससे स्पैकुलेशन किया, होर्डिंग कर दिया। नतीजा यह है कि हम दो-चार जगह ही छापा मार सकते हैं, बड़े स्केल पर छापा नहीं मार सकते। कुछ ऐसा हो कि जिनके पास अनऐकाउंटेड मनी है वह किसी प्रोडक्टिव यूज में लगाएं या जिनके पास अनऐकाउंटेड मनी है वे उस पैसे को बैंडवर्ड रिजन में लगाएं, सरकार सारी सहूलियय देगी और उनसे पूछा नहीं जाएगा कि वह पैसा वह कहां से लाये हैं। आज जो गांव में बेकार युवक हैं, जिनकी नौकरी नहीं मिल रही है, जो समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्राबलम हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा और जो छिपा हुआ धन है, उसका भी यूज हो जाएगा। मैं सरकार से कहूंगा कि इस सारी समस्या पर एक बार फिर अच्छी तरह सोचे।

फारेन एक्सचेंज के लिए लिए आपने नान-रैजीडेन्ट इंडियन्स को बहुत महत्व दिया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा फारेन एक्सचेंज हो, लेकिन देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब तक आप महंगाई को नहीं रोक पाएंगे, आपका सारा डैवलपमेंट वर्क ठप्प हो जाएगा। यह उसके पूर्व लोगों को नहीं पता चलेगा।

मैं एक बात इस सिलसिले में और कहना चाहता हूं। डायरेक्ट टैक्स, खाकर इनकम टैक्स के बारे में जो रिटर्न भरने होते हैं, उन्हें आपने पहले से काफी सिम्पलीफाई कर दिया है लेकिन आज भी जो रिटर्न लोगों को फाइल करना पड़ता है, वह बड़ा कंपलीकेटेड है। उसके लिए एक ले-मैन को या तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या इनकम-टैक्स लायर की मदद लेनी पड़ती है। वह उसको इतना डराता धमकाता है कि अगर आपने कोई इनकम गलती से नहीं बताई तो आपको जेल हो जाएगी। जैसा कि सरकार अखबारों में इश्तहार देती है, टैलीविजन पर भी इनकम टैक्स के बारे में आया है, सरकार को लोगों

को बताना चाहिए कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, अगर कहीं गलती से कोई एन्ट्री छूट गई है या आप किसी इनकम को लास्ट ईअर डिस्क्लोज नहीं कर सके तो उसको अब कर दीजिए और उस पर टैक्स दे दीजिए तो उस पर कोई पैनल्टी नहीं लगेगी। मेरा ख्याल है कि इससे बहुत से लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे। रैशनलाइजेशन में, सिम्पलीफिकेशन में ऐसा होना चाहिए कि जो टैक्स देने वाला है, उसको पता लगे कि टैक्स देना जरूरी है। आज एक आम आदमी को इनकम टैक्स आफिसर या इन्सपैक्टर का कोई नाम लेता है तो वह मुसीबत में पड़ जाता है। यदि किसी मिडिल क्लास फैमिली के या किसी फिक्स्ड इनकम वाले के घर कोई आई० टी० ओ० पहुंच जाता है तो वह ऐसी परेशानी में पड़ जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, चाहे उसने अपनी हर इनकम पर टैक्स दिया हुआ हो, फिर भी आई० टी० ओ० बतलाता है कि आपने जो फ्लैट लिया था उसका सोर्स डिक्लेयर कीजिए। उसको भेजे गए नोटिस में लिखा रहता है कि फलां तारीख को मेरे दफ्तर में आइए और तब तक बैठे रहिए जब तक काल न दें। अगर कोई उठेगा तो कहेंगे कि आपने मेरे काल का पालन नहीं किया था आपको 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आप सहरा काम छोड़कर उसके दफ्तर पहुंचते हैं, वहां पता चलता है कि आई० टी० ओ० हड़ताल कर रहे हैं। आदमी को पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है कि 10 हजार की पैनल्टी न लग जाए लेकिन वह किसको कहे, कोई जवाब देने वाला नहीं होता है। कुछ तो ऐसा कीजिए कि जो आनेस्ट टैक्ट-पेयर है, उसको राहत मिले, वह हैरास न हो। अभी भी डायरेक्ट टैक्सेज में रैशनलाइजेशन और सिम्पलीफिकेशन का बहुत स्कोप है। कुछ ऐसा कीजिए जिससे फिक्स्ड इनकम ग्रुप को राहत हो और जो लोग गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्ष-कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक 1989 का समर्थन करता हूं। वास्तव में मैं बताना चाहूंगा कि कानूनों का सरलीकरण जो इस कानून द्वारा किया जाना है, 20 सूत्री कार्यक्रम के 20वें सूत्र के अनुरूप है बल्कि उसका समर्थन करता है, जिसे सरकार द्वारा राष्ट्र के समक्ष रखा गया है।

20 वां सूत्र उत्तरदायी प्रशासन पर जोर डाल सकता है। यह सूत्र इस बात पर भी जोर देता है कि सभी कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि उचित कार्यान्वयन किया जा सके और जिस व्यक्ति पर यह लागू हो उसे अनावश्यक कठिनाइयों से बचाया जा सके। इसलिए मैं कहूंगा कि यह विधेयक 20 सूत्री कार्यक्रम के उस सूत्र को पूरी तरह से क्रियान्वित करता है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

वास्तव में, मैं यह भी कहना चाहूंगा जैसा कि डा० जी० एस० राजहंस ने कहा है कि विशेषतया आयकर कानूनों या अन्य इसी प्रकार के अधिनियमों जैसे दान कर अधिनियम या धन कर अधिनियम को इतना सरल बनाया जाना चाहिए जिससे कि आम आदमी बिना किसी चार्टर्ड आकाउंटेंट की सहायता से अपनी आय संबंधी विवरणी भर सके। इसे इस तरह सरल बनाया जाना चाहिए। यह संभव है बशर्ते इसे सरल बनाया जाये। निःसंदेह यह उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो काला धन रखना चाहते हैं या जो सरकार को धोखा देना चाहते हैं। उनके लिए यह संभव नहीं है। उनके लिए विशेषज्ञों द्वारा कुछ दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए। एक ईमानदार करदाता के लिए इन कानूनों को सरल बनाना जरूरी है और इसे विशेषतया मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए सरल बनाया जा सकता है।

दूसरा, विधेयक में जो अनिवासी भारतीयों को अधिक प्रोत्साहन देने संबंधी उपबंध हैं, वे बहुत ही स्वागत योग्य हैं विशेषकर राज्यों के संदर्भ में क्योंकि यह तभी हो सकता है जब वे यहां रहें, जब वे सक्रिय रूप से अपने व्यापार की देखभाल कर सकते हों और यह तभी हो सकता है, जब वे यहां पर पर्याप्त दिनों तक रहें और जो उन्होंने पूंजी लगाई है उस पर निगरानी रख सकें जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सकता है और उससे सरकार को भी लाभ होगा।

इसी तरह जहाज निर्माण उद्योग को छूट देकर स्वागत योग्य कदम उठाया है। सरकार ने जहाज-निर्माण उद्योग के संबंध में अपनी रुचि दिखायी है।

अन्य उपबंधों के सरलीकरण के मामले में, जो इस विधेयक का हिस्सा नहीं है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इस संबंध में मैंने वित्त मन्त्री को पत्र लिखा है। आयकर अधिनियम में धारा 32(क) में कहा गया है कि—

> "उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पोत या वायुयान की मशीनरी या संयंत्र की बाबत जो निर्धारिती के स्वामित्व में है और जिसका उसके द्वारा चलाए गए कारोबार के प्रयोजनों के लिए संपूर्णतः प्रयोग किया जाता है।"

कतिपय छूटें दी गई हैं। लेकिन शर्त यह है निवेश भत्ते को प्राप्त करने के लिए कर दाता को मशीनों का मालिक होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि गोवा में एकरूप सिविल संहिता अपनायी जाती है जो देश के अन्य लोगों से भिन्न है जहां पति और पत्नी को एक समान दर्जा दिया जाता है अर्थात् सम्पत्ति में पति व पत्नी को बराबर के साझेदार माना गया है। अब आय-कर अधिकारियों की ओर से कहा जाता है कि अगर गोवा में मशीनरी के लिए भत्ता दिया जाना है तो आधी मशीनरी पति की और आधी पत्नी के नाम मानी जाती है। इसका मतलब है कि न तो पति मशीनरी का मालिक है और न ही पत्नी इसलिए कोई निवेश भत्ता नहीं दिया जा सकता। यह वास्तव में गोवा में विद्यमान एक उत्तम कानून के विरुद्ध है, जो समान सिविल संहिता महिलाओं को समान दर्जा देती है कि महिलाएं भी संपत्ति में बराबर की साझेदार होती है। इसका क्या परिणाम है? परिणाम यह है। इसलिए मैं मन्त्री जी से उस पत्र की जांच करने का अनुरोध करूंगा जो मैंने उन्हें लिखा है और वे इसका कोई समाधान निकालें। चूंकि यह आठवीं लोक सभा का अंतिम सत्र है, इस विसंगति को दूर करने के लिए इसी अधिनियम में कुछ और निर्देश जारी किए जाने चाहिए। धारा 32(क) में किसी औपचारिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर कुछ निर्देश इस कमी को दूर कर सकते हैं तो अच्छा होगा।

अगला मुद्दा कर संबंधी छापों के बारे में है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह निर्णय केवल कुछ लोगों ने ही किया था। वास्तव में जो छापे मारे गए थे उसका श्रेय भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री वी० पी० सिंह को ही क्यों दिया जाए। लेकिन वास्तव में यह भारत सरकार का निर्णय था और इसका श्रेय केवल वित्त मंत्री को नहीं जाता। आप यह कभी नहीं कहोगे कि शंकरराव चव्हाण जी ने इस प्रकार के छापे मारे थे। यह सब कुछ भारत सरकार ने किया है। यह भारत सरकार का नीति निर्णय है जिसके आधार पर समय-समय पर छापे मारे जाते हैं। पिछले 20-30 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने कई बड़े घरानों, कई बड़े लोगों और उन लोगों के संबंध में भी जो तथाकथित रूप से सरकार के नजदीक थे, छापे मारने के निर्देश जारी किए थे। इस सरकार ने यह निर्णय लिए हैं और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यह कांग्रेस पार्टी की नीति है, यह कांग्रेस सरकार है जिसने ऐसा नीति निर्णय लिया है। श्री वी० पी० सिंह यह कहकर इसका श्रेय ले रहे हैं कि उनके

अनुरोध पर ही छापे मारे गए थे। अब मैं यह बताना चाहता हूं—जैसा कि डा० राजहंस ने कहा है—कि जहां तक चीनी का संबंध है, ऐसा बाजार में काले धन के परिचालन के कारण होता है इससे भी समस्या पैदा होती है। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे एक तथ्य की जानकारी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता दल से जुड़े हुए कुछ पूंजीपतियों ने चीनी की जमाखोरी में धन निवेश किया है। उनका विचार है कि यदि चीनी की जमाखोरी में 20 या 30 करोड़ रुपए निवेश हो जाते हैं तो चीनी के मूल्य में वृद्धि होने कांग्रेस (आई) सरकार को सबक सिखाया जा सकता है। जनता दल को सैकड़ों करोड़ रुपए देने के बजाए 20 या 30 करोड़ रुपए चीनी की जमाखोरी में निवेश करना जनता दल को प्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों करोड़ रुपए देने के समान है। यह चालाकी चली जा रही है। वे समझते हैं कि इस धन से कुछ लोगों का काम हो सकता है। इस प्रकार से भी कांग्रेस (आई) सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी कार्य-प्रणाली में कोई त्रुटि नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है कि हमसे कहीं चूक हुई है। हमें इसका हल निकालना चाहिए। परन्तु यह ऐसा कारण है जिसकी जांच की जाए।

जहां तक कर छापों का संबंध हैं, कुछ अधिकारियों ने शिकायत की है कि जब वे छापे डालने जाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। सामान्य कर छापों की प्रगति के लिए इन शिकायतों की जांच की जाए ताकि पुलिस तंत्र की तरह, जहां कहीं वे जाते हैं, समस्याओं का सामना न करना पड़े। उनका यह तंत्र है। आयकर अधिकारियों को बड़े और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। धन की दृष्टि से वे अत्यधिक शक्तिशाली हैं। इन अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों का मुकाबला करना पड़ता है। इन अधिकारियों के पास कोई बन्दूक नहीं होती है तथा वे अपने साथ कोई चीज नहीं ले जाते हैं। इसलिए यह हमारी अर्थव्यवस्था हित में है कि इन अधिकारियों को, जो छापे डालने जाते हैं, पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया जाए। मैं यह बात कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मंत्री महोदय का लक्ष्य बहुत ही अच्छा है। उन्होंने पूंजीपतियों को आकर्षित करने के लिए, फोरेन एक्सचेंज को प्राप्त करने के लिए, बेलैंस ऑफ पेमेण्ट्स में संतुलन करने के लिए और प्रवासी भारतीयों को भारत में पूंजी लगाने के लिए जो सहूलियतें दी हैं, वह बहुत ही अच्छी बात है। इससे पूंजी लगाने वालों का हमारे देश में आकर्षण होगा और इण्डस्ट्रीज खुलेंगी और खासकर पिछड़े हुए इलाकों का कल्याण होगा।

प्रत्यक्ष कर से सम्बन्धित तो बहुत से कानून आए हैं लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उनसे जो टैक्स वसूलने का तरीका है, वह बहुत ही डिफेक्टिव है। पिछले सत्र में यह जवाब मिला कि करीब 20 अरब रुपए बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट के यहां बाकी हैं आप उनसे आसानी से वसूल नहीं कर सकते हैं। आपके अधिकारी लोग वसूलने का प्रयास करते है, तो वे लोग कोर्ट में चले जाते हैं। हमारा सुझाव यही है कि आपका अरबों-खरबों रुपया एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स का रुपया जो बड़े-बड़े इण्डस्ट्रिलिस्ट्स के यहां बाकी है, वे लोग कोर्ट में जाने के पहले टैक्स का रुपया चुका दें। इस प्रकार का आप कोई बिल लाइए। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग कोर्ट में जाते हैं और उनसे 90 प्रतिशत मुकदमे सरकार हार जाती है। हमारे माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि ज्यादातर केसेज में सरकार हार जाती है और रुपया पूंजीपतियों के पास पोकेट में चला जाता है।

टाटा, बिरला, डालमियां, रिलायेंस आदि इनको आप देख लें, फीगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपकी फीगर के मुताबिक इन लोगों के पास टैक्स का रुपया बकाया है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक ऐसा अमेंडमेंट लाइए, ताकि एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स की जो राशि बकाया है, वह आपको चुका दें और उसके बाद में वे कोर्ट में जायें तथा इस पूंजी को दूसरी जगहों पर उद्योग आदि लगाने में उपयोग कर सकें।

महोदय, आप यह जो संशोधन लाए हैं, उससे निश्चय ही करदाताओं को सुविधा होगी। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर उद्योग नहीं हैं, वहां पर उद्योग लगाए जायेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर बिहार की पैंडिंग स्कीम्स हैं, बाढ़ नियन्त्रण की योजनायें हैं, रेलवे लाइनें हैं और उद्योग खोलने की बात है और कितनी सिक मिल्स पड़ी हुई हैं, ये सब इन लोगों से पैसा वसूल करने पर पूरी कर दी जायेंगी। ये जो पूंजीपति लोग हैं, इनके ही पास ब्लैकमनी हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इस बढ़ती हुई महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा पुलर्स हैं, गरीब मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं हैं, अनिंग लेबरर्स हैं, उनकी दशा को आप देखिए। इन ब्लैक मार्केटीयर्स होर्डर्स के चलते आपकी आर्थिक व्यवस्था उथल-पुथल हो रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए आप कड़े-से-कड़े कानून बनाइए ताकि होर्डिंग न हो सके, ब्लैक मनी न हो और उसी पैसे से उद्योग लगाए जा सकें, जो सिक इण्डस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, उनमें बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जा सके।

मैं एक शब्द अधिकारियों के बारे में भी कहना चाहता हूं। इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े पूंजीपति कर देने वाले हैं, उनसे इन लोगों की सांठ-गांठ रहती है। इसके चलते सरकार की नीति रहते हुए भी सरकार की रकम इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वगैरह की वसूल नहीं की जा रही है। जब हम सरकार से विभिन्न कार्यक्रमों को करने के लिए कहते हैं तो सरकार जवाब देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर अभी तक उत्तर बिहार या बिहार को बहुत-सी स्कीमें नहीं हो पायेंगी, जिनसे गरीबी दूर हो सकती थी। बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती थी और इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण हो सकता था। वित्त मंत्री महोदय से आग्रह किया है और आदरणीय रेल मंत्री महोदय से भी आग्रह किया है, तो जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पैसे का अभाव है। हमारा निवेदन है कि आप इन पैसों को वसूल कर लीजिए और कमलाबलान बांध बना दीजिए। इससे आप नई लाइनें बना दीजिए। दरभंगा-समस्तीपुर ब्राडगेज रेलवे लाइन बना दीजिए। इससे वहां के पिछड़े लोगों को फायदा पहुंच सकता है।

मैं मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने करदाताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए पग उठाया है और यह बिल वे लाये हैं। यहां अपोजीशन के न होने पर भी ये बिल आप यहां लाए हैं। इससे हमारे पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक इण्डस्ट्री लग सकेंगी।

[अनुवाद]

श्री गोपेश्वर (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कर संबंधी विधियों में संशोधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि कर विधियां केवल कर के संग्रहण का साधन मात्र नहीं हैं बल्कि उनका आशय विभिन्न अन्य सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

इस विधेयक का उद्देश्य नयी निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित कुछ विसंगतियों और कठिनाइयों को, जो 1 अप्रैल से लागू हैं, दूर करके करदाताओं की सहायता करना है। मैं आपका ध्यान कतिपय

गम्भीर विसंगतियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अभी अन्तिम निर्धारण पर कर लगाये जाते हैं—मैं विशेषतः श्रमजीवी वर्ग का उल्लेख कर रहा हूं। अन्तिम निर्धारण में भविष्य निधि और उपदान को भी सम्मिलित किया जाता है। भविष्य निधि के, जो 30 वर्ष से लेकर 35 वर्षों की अवधि में जमा होता है, अन्तिम निर्धारण पर भी कर लगाया जाता है, इसी प्रकार उपदान, जो अन्तिम भुगतान होता है, पर भी कर लगाया जाता है।

12.26 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं उन्हें भी विसंगति का सामना करना पड़ता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, हो सकता है उन्हें कर से छूट दी जाये। परंतु जहां तक निजी क्षेत्र के गैर सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, उन्हें इस पर कर देना पड़ता है। इस प्रकार से कर नहीं लगाया जाना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ और हो तथा सरकारी क्षेत्र या गैर-करकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कुछ और हो। एक समान कर होना चाहिए चाहे यह श्रमिक पर लगाया जाये अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर जो देश में किसी संयंत्र अथवा इकाई में कार्य रहा हो। इसी प्रकार कर्मचारियों की छंटनी के मामले में भी कम कर देना पड़ेगा।

जहां तक अवकाश यात्रा रियायत का संबंध है, इस पर पहले से ही छूट दी गयी है। परंतु इस छूट को चार वर्ष के ब्लाक में केवल दो यात्राओं तक सीमित कर दिया है। इससे नियोजकों को प्रत्येक वर्ष के बजाए चार वर्षों में केवल दो बार इसका भुगतान करने का अवसर मिलेगा इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का इनके सदस्यों को लाभ नहीं मिलेगा। इससे इन सदस्यों में असन्तोष और आन्दोलन पैदा होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वर्ष भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए यह छूट दी जानी चाहिए। इस छूट में केवल यात्रा व्यय ही नहीं बल्कि आवास और आकस्मिक व्यय सम्मिलित होना चाहिए बशर्ते धन सीमायें निर्धारित कर दी जायें। नये नियमों को 1986 के बजाए 1989-90 के लिए लागू किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ नियमों के अन्तर्गत किया गया है।

भारत सरकार ने घोषणा की थी कि आय कर अधिनियम की धारा 19(14) के अन्तर्गत लाभ के पदों अथवा कार्यालय के कार्यों में होने वाली किसी भी वाहन भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा। परंतु इसका उपयोग करने वालों की संख्या काफी कम है। व्यावहारिक तौर पर संगठित क्षेत्रों, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है। आय कर अधिनियम के अन्तर्गत वाहन भत्ते को निर्धारण से छूट देने की आवश्यकता है। इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। कम्पनी के वाहनों को इसके कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कार्य के स्थान तक लाने और वापस ले जाने की रियायत दी गयी है। यह रियायत उन सभी कर्मचारियों को भी देने की आवश्यकता है जो अपने निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं और जिन्हें वाहन भत्ता दिया जाता है। यह गम्भीर मामला है इसकी जांच की जाए।

इसके अनुसार सावधि जमा बचत तथा ऐसी सभी बचतों को आय कर से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रोत्साहक उपाय है। महंगाई भत्ते से लोगों को कुछ मुआवजा मिल जाता है परंतु इस पर भी आय कर का प्रभाव है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि निर्वाह व्यय सूचकांक को पूर्णतः निष्प्रभावी

करने के संबंध में देश में बड़ा असन्तोष है। परंन्तु इसमें भी आय कर दिया जाता है। यह बड़ी गम्भीर विसंगति है।

वार्षिक बोनस और उत्पादकता बोनस के मामले में जिसमें श्रमिकों को कुछ स्तरों की उत्पादकता अथवा उपलब्धि के आधार पर जो धनराशि दी जाती है उन पर भी एक निश्चित सीमा के बाद आय कर लगाया जाता है। ऐसे मामलों में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह बड़ी महत्व-पूर्ण बात है।

अन्त में, पूंजी का मामला उठाया गया है। पूंजी की एक विशेष परिभाषा है। इसे साम्य पूंजी की तरह परिभाषित किया गया है। अभी हम पूंजी का नकदी और बोनस शेयर के रूप में भुगतान करते हैं। निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों के बोनस शेयर नकदी शेयरों से कम से कम पांच गुने अधिक होते हैं। अब यह एक नियम बन गया है। उस शेयरधारी के लिए सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जो साधारण शेयरों के, जो उसने नकद खरीदे हैं, माध्यम से अर्जित लाभांश से शत-प्रतिशत आय प्राप्त कर रहा है।

ऐसे मामले में, जिसमें एक निश्चित कार्य किया जाता है, एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के बाद जो धनराशि मिलती है उसे भी आय कर से छूट नहीं दी गयी है। मेरे विचार से सरकार धन एकत्रित करने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। धनी व्यक्तियों और बड़े उद्यमों को भारी छूट और प्रोत्साहन दिये गए हैं। परन्तु श्रमजीवी वर्ग, मजदूरी-अर्जकों और उन लोगों को, जो अपने कठिन परिश्रम से जीवन निर्वाह करते हैं, अनेक तरीकों से दंडित किया जाता है। यह बड़ी निराशा-जनक तथा अनैतिक बात है।

मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए। हमने इस विषय पर विचार-विमर्श किया है। इंटक ने वित्त मंत्री महोदय के समक्ष यह मामला उठाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जायेगा और ध्यान दिया जायेगा।

स्थिति का, जिसमें एक श्रमिक काम करता है और कुछ धन कमाता है, उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इस धनराशि को करों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं छीना जाना चाहिए। करों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से उत्पादकता धनराशि को छीनना अप्रासंगिक है। इस-लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन मामलों पर विचार करे। इन शब्दों के साथ ही मैं भाषण समाप्त करता हूं।

12.33 म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

नेहरू रोजगार योजना

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी की आवश्यकता को पूरा करती है। शहरी भारत के लिए इसी प्रकार के उद्देश्यों वाले एक कार्यक्रम की आवश्यकता है। मुझे जवाहर योजना के समतुल्य शहरी आबादी के लिए नेहरू रोजगार योजना को सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। शहरी क्षेत्रों में हमारी

आबादी का एक चौथाई से अधिक भाग रहता है। हमारे कस्बों और शहरों में पायी जाने वाली निर्धनता देश में अन्यत्र पायी जाने वाली निर्धनता के बराबर ही है। वस्तुतः शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ही बेरोजगारी की समस्या पायी जाती है तथा इस समस्या काफी दुरूह भी बन चुकी है।

इस दुरूहता के अनेक कारण हैं। हमें शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर भारी तादाद में पलायन करने वाले अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की संख्या में संतुलन बनाये रखना है। सौभाग्य से, जवाहर रोजगार योजना में अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की बेरोजगारी की समस्या को इतने प्रभावी ढंग से हल कर रही है कि अब ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और शहरी रोजगार कार्यक्रम में संतुलन बनाये रखते हुए शहरी-क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों की योजना बनाया जाना संभव हो गया है।

दूसरे, हमें शहरी रोजगार कार्यक्रम इस तरीके से तैयार करना है कि वह शहरी परिस्थितियों की वास्तविकता से निपट सके। उदाहरण के लिए, जमीन की खुदाई-भराई का कार्य, जो एक ऐसा कार्य है जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत तो बड़े पैमाने पर किया जाता है परन्तु शहरों में न तो वह इतना व्यावहारिक है और न ही लाभदायक जितना कि खेतों और खलिहानों में की जाने वाली आर्थिक गतिविधि के लिए पर्कोलेटर टैंकों या बंधों का निर्माण व्यावहारिक और फायदेमंद है। अतः, सामग्री और श्रम के बीच के निर्धारित अनुपात में शहरी वास्तविकता की झलक मिलनी चाहिए। साथ ही, दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के मध्य सामंजस्य होना चाहिए ताकि इन दोनों में टकराव न हो। इसलिए शहरी कार्यक्रमों का यथार्थपूर्ण अनुपात पूरक होना चाहिए न कि वह ग्रामीण कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट अनुपात का परस्पर विरोधी हो।

तीसरे, शहरी क्षेत्रों के लिए, हमारी नेहरू रोजगार योजना इस तरह से बनाई गई है कि वह हमारी विद्यमान व्यवस्था में व्याप्त वर्तमान विकृतियों को और बढ़ाए बगैर तर्कसंगत शहरीकरण में योगदान देगी। जैसा कि मैंने नगरपालिका विधेयक पेश करते हुए इस सभा में कहा था। (राज्य सभा: जैसा कि मैंने दूसरी सभा में कहा था) हमें शहरीकरण को निरुत्साहित नहीं करना है बल्कि उस प्रकार के शहरीकरण को हतोत्साहित करना है जिसने हमारी कुल शहरी आबादी के एक चौथाई हिस्से से अधिक आबादी को मुट्ठीभर बड़े महानगरों में समेट दिया है जिसके परिणामस्वरूप शहरों की आबादी बहुत अधिक बढ़ गई है। किंतु हमारे देश के अधिकांश जिले ग्रामीण शहरी प्रवाह के लाभों से वंचित हो गये हैं। तर्कसंगत शहरीकरण हेतु, हमें शहरीकरण के अनेक आकर्षक केन्द्रों की आवश्यकता होगी जो देश के प्रत्येक जिले में यथासंभव समान रूप से स्थापित किए जाएं। नेहरू रोजगार योजना इस सत्प्रयास में एक आरंभिक योगदान है।

चौथे, हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यह तो सच है कि शहरी गरीब बहुत निरोह होते हैं, फिर भी उनमें से काफी लोग ऐसी उद्यमशीलता, पहलशक्ति तथा गति शीलता रखने वाले भी होते हैं जो कि नए अवसरों की खोज में अपने पैतृक गांवों को छोड़ने का जोखिम लेने के लिए अपेक्षित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल गरीबी ही लोगों को गावों से नगरों की ओर नहीं धकेलती है, अवसर भी आत्म विश्वासी और स्वावलम्बी लोगो को नए परिवेश में अपनी हाथों की शक्ति को आजमाने के लिए गांवों से नगरों और शहरी की ओर आकर्षित करते हैं। अतः नेहरू रोजगार योजना में स्वरोजगार के अवसरों के साथ-साथ वेतनरोजगार की गारन्टियां भी शामिल हैं।

नेहरू रोजगार योजना एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें इन दोनों बातों पर अर्थात् एक तो नितांत जरूरतमन्द लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में वेतन-रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और दूसरे ऐसी प्रतिभाओं को, जिनमें आत्मविश्वास, पहलशक्ति और ऊर्जस्विता है, स्वरोजगार में स्थापित करने के अवसर प्रदान करने पर हर साल 650 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन कर सकेंगे। इस कार्यक्रम को तत्काल कार्यान्वित किया जाएगा और प्राप्त अनुभव के आलोक में इसे समुचित रूप से आठवीं योजना में शामिल कर दिया जाएगा।

नेहरू रोजगार योजना के तीन संघटक हैं। पहला संघटक 10,000 से लेकर एक लाख तक की जनसंख्या वाली बस्तियों के लिए एक शहरी मजूरी रोजगार कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में, इस संघटक के अन्तर्गत नगरपालिका विधेयक में परिकल्पित नगर पंचायतें और छोटी नगर परिषदें आती हैं। नेहरू रोजगार योजना के इस संघटक के वित्तपोषण के लिए वार्षिक आधार पर 81.25 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। यह कार्यक्रम एक प्रकार से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच एक दूसरे के समक्ष विद्यमान नवजात शहरी बस्तियों के लिए जवाहर रोजगार योजना का विस्तार है। यही वह मध्यवर्ती स्थिति है जिससे पारस्परिक सम्पर्क मजबूत हैं और किसी न किसी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप सुदृढ़ हैं तथा सुस्पष्टतया एक दूसरे को मजबूती प्रदान करने वाला है। जवाहर रोजगार योजना के अधीन मजरी की दरें थोड़ी-सी अधिक होंगी ताकि शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई मंजूरी की न्यूनतम दरों के साथ सामंजस्य बना रहे। सामग्रियों और श्रम के बीच के अनुपात को नगर पंचायतों अर्थात् 10,000 से 20,000 तक की शहरी बस्तियों के लिए बढ़ाकर 50 : 50 किया जाएगा और नगर परिषदों (अर्थात 20,000 से 1,00,000 तक की शहरी बस्तियों) के लिए 60 : 40 किया जाएगा।

जवाहर रोजगार योजना की तरह इस मामले में केन्द्र इस कार्यक्रम की लागत का 80 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगा। प्रारंभ में इस अंशदान को नगरपालिकाओं तक उन जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा जिनकी स्थापना पहले से की जा चुकी है। बाद में इस प्रयोजन के लिए अलग से एक एजेन्सी की स्थापना किया जाना आवश्यक हो सकता है। राज्य सरकार को भी अपने 20 प्रतिशत हिस्से को इसी माध्यम से पहुंचाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। राज्यों के बीच केन्द्र के हिस्से का आवंटन शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर और किसी राज्य विशेष में 10,000 से एक लाख के बीच की जनसंख्या वाली बस्तियों में रहने वाले लोगों की शहरी दरिद्रता के आधार पर किया जाएगा।

यह कार्यक्रम नगरपालिकाओं द्वारा प्रशासित किया जायेगा जिन्हें जवाहर रोजगार योजना के अधीन पंचायतों की तरह इस बात को चुनने के लिए स्वतंत्रता होगी कि उन्हें कौन-कौन-सी योजनाएं निष्पादित करनी हैं और उन्हें लाभभोगियों की पहचान करने और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए शहरी निर्धनों की श्रम सहकारी संस्थाएं आयोजित करने के लिए भी स्वतंत्रता होगी। बेशक परियोजनाओं के प्रकारों के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किये जायेंगे जिनमें से नगरपालिकाएं चुन सकती हैं तथा ये दिशानिर्देश अनुपालन किये जाने वाले वित्तीय और तकनीकी मानदंडों और श्रमिकों को भाटक पर लिये जाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में भी हैं। हम इस बात की शंका से परे स्पष्ट कर देते हैं कि इस कार्य में न तो ठेकेदारों और न ही लोक निर्माण विभागों को शामिल किया जायेगा। हम आशा करते हैं कि नगरपालिकाएं उन परियोजनाओं की पहचान करने की और विशेष ध्यान देगी जो समग्र रूप से समुदाय के लिए और विशेष रूप से समाज के सुविधाओं से

वंचित और कमजोर वर्गों के लिए उपयोगी हैं। हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वे विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए लक्ष्य बना कर कार्य करें और रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करायें। बड़ी-बड़ी शहरी बस्तियों के लिए जवाहर रोजगार योजना के माडल की मात्र नकल करने में कठिनाई होगी। एक बात तो यह है कि सामग्री का घटक, स्वतः ही रोजगार उत्पन्न करने पर निश्चित रूप से दिये जाने वाले बल से बहुत अधिक हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि बड़े-बड़े शहरों और नगरों में न्यूनतम मजदूरी की दरें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में इतनी अधिक हैं कि उतनी ही धनराशि से बहुत कम रोजगार उत्पन्न होंगे जबकि उसी समय दूरदराज के ग्रामीण और प्रांतीय क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश करने वाले आकर्षित होंगे जिन्हें वस्तुतः उनके घरों में या उनके घरों के निकट रोजगार उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इसके साथ-साथ उतनी ही धनराशि से कम रोजगारों का अभिप्राय यह होगा कि सुस्पष्ट रूप से इसका प्रसार उन शहरी आबादियों में कम होगा जहां रोजगार चाहने वालों की संख्या ज्यादा है और जिनकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं।

इसलिए हमने फैसला किया है कि नेहरू रोजगार योजना के दूसरे भाग में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी कस्बों और शहरों में आवासन तथा आश्रय सुधार पर विशेष बल के माध्यम से आवश्यक रोजगार पैदा करने की योजना शामिल होगी। तथापि, हम बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार उच्च महानगरों को इस योजना से बाहर रख रहे हैं, इसलिए नहीं कि इन उच्च महानगरों को आवासन संबंधी रोजगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए कि इन नगरों में इसी प्रकार के कार्यक्रम पहले ही चल रहे हैं जिनमें अरबों रुपयों का पूंजीनिवेश है जिसमें विश्व बैंक तथा अन्य बाहरी स्रोतों द्वारा वित्त पोषण किया गया है। इस प्रकार, आवासन एवं गृह सुधार के माध्यम से शहरी रोजगार के लिए नेहरू रोजगार योजना के भाग को गृह-निर्माण तथा आश्रय-सुधार के माध्यम से रोजगार की संकल्पना को हमारे देश के अब तक कुछ हद तक अपेक्षित छोटे महानगरों तथा गैर-महानगरीय शहरों एवं कस्बों तक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है।

इस भाग के अधीन, हमने शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे अधिक श्रम प्रधान कार्यकलाप अर्थात् रिहायशी इकाइयों के निर्माण एवं सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में आवासों की कमी इतनी अधिक है कि सधन निर्माण कार्य के लाभ सीधे उन लोगों जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, अर्थात् शहरी गरीबों तक पहुंचेंगे। इसके अलावा, आवासन में इतने अधिक भिन्न-भिन्न कुशल कारीगरों जैसे प्लम्बरों एवं काष्ठकारों और ईंटें, टाइल तथा फर्नीचर जैसी चीजें बनाने की इतनी अधिक छोटी-छोटी उत्पादन इकाइयों एवं परिवहन तथा सड़क के किनारे खान पान बूहों जैसी सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जिनसे न केवल निर्माण कार्य में सीधे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, बल्कि निर्माण कार्य से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ द्वितीय एवं तृतीय रोजगार भी पैदा होता है। साथ ही, गृह निर्माण का कुछ काम और आश्रय सुधार का अधिकतर काम परिवारजनों के ही श्रम से किया जाएगा। परिवारजनों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराके यह काम करने का अवसर दिया जाता है।

इस नेहरू रोजगार योजना के इस संघटक के दो भाग हैं। हमने यह परिकल्पना की है कि इसके पहले भाग में संघ सरकार, राज्य सरकारें, नगरपालिकायें और "हुडको" मिलकर कार्य करेंगे-इसमें मुख्य कार्य आवास की किस्म में सुधार किये जाने हेतु जिन परिवारों की सहायता की जा रही है, उनका निर्धारण किया जाना तथा विद्यमान आवास एककों में मामूली-सा निर्माण-कार्य और किया जाना होगा। इस प्रकार से चयनित किये गये प्रत्येक परिवार को 25 प्रतिशत की इमदाद के अति-

रिक्त "हुडको" से 4,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, और अधिक धनराशि की आवश्यकता महसूस करने वाले व्यक्तियों को हर स्थिति में 6 प्रतिशत रियायती ब्याज की दर पर बैंक ऋण सुलभ होंगे। पिछले अनुभव से यह पता चलता है कि आवास के कोटि-उन्नयन तथा मामूली नये निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय का लगभग 40 प्रतिशत भाग श्रमिकों की मजदूरी, विशेषतया बढ़ईगीरी, संयोजन-कर्म, बिजली के तारों की फिटिंग आदि जैसे विशेषीकृत कार्यों के लिए कुशल श्रमिकों की मजदूरी पर व्यय हो जाता है। अतः इस प्रकार के कार्य से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन कर पाना संभव हो सकेगा। इस भाग में, गैर संस्थागत वित्त का 80 प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा, तथापि, पूर्वोक्त कारणों से चार महानगरों को छोड़कर एक लाख से अधिक की शहरी जनसंख्या वाले राज्यों में उसे जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाएगा। हम यह आशा करते हैं कि शेष 20 प्रतिशत गैर संस्थागत वित्त आपस में निर्णय कर उस अनुपात में राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं द्वारा वहन कर लिया जाएगा। "हुडको" से ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई इमदाद का तीन गुना तक संस्थागत वित्त सुलभ होगा। हमारा यह विचार है कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अधिक इमदाद प्रदान की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रशिक्षण योजनाओं और मूलभूत संरचना संबंधी सहायता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण करने का प्रस्ताव करता है जो कार्यक्रम के इस भाग की पूर्ण रूप से चालू करने के लिए आवश्यक होंगी। इस कार्यक्रम में नगरपालिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हम उनसे यह आशा करेंगे कि वे उन समीप की समितियों, जो उस उद्देश्य के लिए संबंधित इलाकों में स्थापित की जानी चाहिए, से विचार-विमर्श करके लाभभोगियों का पता लगायें। चुने गए लाभभोगियों के नाम सार्वजनिक जानकारी में होने चाहिए और नगरपालिका भवन के सरलता से सुलभ स्थान पर नोटिस के माध्यम से जानकारी चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरन्त उपलब्ध होने चाहिएं। हम यह भी चाहेंगे कि नगरपालिकायें इसी प्रकार से चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षणार्थियों का पता लगायें। नगरपालिकाओं का उन निर्माण-संबद्ध व्यवसायों जिनके लिए किसी निर्दिष्ट इलाके में प्रशिक्षण आवश्यक है, का निर्धारण करने में निर्णायक दायित्व होना चाहिए। आवास बोर्डों, स्लम बोर्डों और ऐसी ही विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से नगरपालिकाओं को निधि प्रदान की जाएगी। नगरपालिकाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे लाभभोगियों को प्रायोजित करें और बैंकों से सम्पर्क करें, ताकि आवेदनों पर सुचारू रूप, तीव्र गति से तथा, हम आशा करते हैं, भ्रष्टाचार-रहित विचार हो सके। नगरपालिकाओं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई निधि से आवश्यक मूलभूत संरचना संबंधी सहायता को सही स्थान पर इस्तेमाल कराएं।

दूसरे भाग में आवासन के लिए विद्यमान एक संस्थागत वित्तपोषण का कार्यक्रम जारी रखना है, परन्तु जिसे नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत संशोधित कर दिया गया है, ताकि वह नगरपालिकाओं से कार्यात्मक संबंध स्थापित कर सकें, विशेषकर इस दृष्टि से कि वह ऐसे निर्माण कार्यकलापों में रोजगार क्षमता का उपयोग कर सकें और कौशल्य प्रशिक्षण का तरीका तथा मूलभूत संरचना संबंधी सहायता उन विशेष वित्तपोषित आवासन योजनाओं की अनुरूप होना सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि, ये आवास योजनाएं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए नहीं बनाई गई हैं, इसलिए नगरपालिकाओं द्वारा लाभभोगियों का पता लगाने की भूमिका से संबंधित हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी आवास योजनाओं के स्थल-निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने में सहयोग देने के प्रश्न पर नगर-

पालिकाएं भी शामिल हो सकती हैं। तथापि, इससे अधिक महत्वपूर्ण होगा नगरपालिकाओं द्वारा आवास निर्माण कार्यकलाप और संबद्ध मूलभूत संरचना के सभी आयामों में रोजगार का निर्धारण, उसे बढ़ाने और तत्पश्चात् उसकी पूर्ति करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। हम विशेषतः आशा करेंगे कि वे ऐसे आवास निर्माण कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध रोजगार तथा द्वितीयक तथा तृतीयक रोजगारों में गरीब परिवार के युवक-युवतियों का पता लगाकर, प्रशिक्षित करके, उन्हें नियोजित करेंगे।

हमारे कार्यक्रम के इस हिस्से का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीब व्यक्ति हैं। शहरी बस्तियों में गरीबी की रेखा 1983-84 के मूल्यों पर किसी परिवार की वार्षिक आय 7300 रुपये के रूप में परिभाषित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति तथा महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए अधिक सहायता का प्रस्ताव है तथा हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने हेतु उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। हमें नगरपालिकाओं को यह कार्य सौंपना चाहिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में माइक्रो उद्यमों का पता लगाए जाने को प्रोत्साहन दें। उनका इस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए हमने तीन व्याख्यात्मक सूचियों का प्रस्ताव किया है, पहली में वे शहरी सेवाएं हैं जिनमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है जैसे फेरी लगाना, लांड्रींग, छोटा-मोटा मरम्मत कार्य, दूसरी में वे शहरी सेवाएं हैं जिनमें कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जैसे हेयर ड्रेसिंग, सेक्रेटेरियल कार्य तथा बिजली और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की मरम्मत और तीसरी में शहर पर आधारित माइक्रो निर्माण जैसे फर्नीचर बनाना, बैंकिंग यूनिटें और लोहारगिरी के कार्य शामिल हैं।

हम नगरपालिकाओं से यह उम्मीद करते हैं कि वे समीपी समितियों से बातचीत करके लाभ प्राप्तकर्ताओं का पता लगाएं। हम उनसे यह भी उम्मीद करेंगे कि वे लाभ प्राप्तकर्ताओं की सूची का व्यापक प्रचार करें, ताकि चयन प्रक्रिया सामान्य सहमति पर आधारित, बेदाग, सुस्पष्ट हो और साफ दिखाई दे। ऐसी शहरी सेवाओं और माइक्रो विनिर्माण का पता लगाना नगरपालिकाओं का कार्य होगा जिनकी सबसे अधिक संभावना मालूम होती हो, ताकि संभावनाओं के बारे से इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जा सके। नगरपालिकाओं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के साथ और ऋण आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए बैंकों के साथ संपर्क बनाएं। यह स्वाभाविक है कि सहायताओं का वितरण उनके माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने और ऋण प्राप्त करने के बाद नगरपालिकाओं को लाइसेंसों को जारी करने, स्थान उपलब्ध कराने, स्थानों और कियोस्क की स्थिति के संबंध में तथा कच्चे माल की आपूर्ति में अवश्य सहायता करनी चाहिए। हम बैंकों से यह उम्मीद भी करते हैं कि वे ऋणों की वसूली में नगरपालिकाओं की मदद लेंगे।

संक्षेप में कार्यक्रम के इस भाग में नगरपालिका की प्रशासन पद्धति के आधार के रूप में परिकल्पना की गई है। हम नेहरू रोजगार योजना के इस भाग के लिए एक पूरे वर्ष हेतु 370 करोड़ रु० निर्धारित कर रहे हैं। चूंकि शहरीकरण का हमारा वर्तमान ढांचा उच्च महानगर की दिशा में पूरी तरह उन्मुख है और इन शहरों में इस प्रकार के कार्यक्रम पहले ही चल रहे हैं, इसलिए हमने इन चार शहरों के लिए योजना के इस भाग के अधीन केंद्रीय अंशदान को ऋण तथा सहायता योजना के लिए एक-एक लाख रुपए और प्रशिक्षण तथा मूल संरचना सहायता संबंधी हिस्से को 50-50 लाख रुपए तक सीमित करने का निर्णय किया है। शेष केंद्रीय अंशदान को राज्यों द्वारा चार उच्च महानगरों के अतिरिक्त, इन राज्यों में शहरी बस्तियों में गरीबी की मात्रा के अनुपात में प्राप्त किया जाएगा। हम

राज्यों से यह उम्मीद करेंगे कि वे प्रत्येक जिले में गरीबी की मात्रा के अनुपात से निधियों को जिलों में पुनः आवंटित करेंगे। इन जिलों में गरीबी के आंकड़े सहज ही उपलब्ध हैं। जिला स्तर से नीचे निधियों का वितरण जिले में भिन्न-भिन्न शहरी बस्तियों की जनसंख्या के हिस्से के आधार पर किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण और अवसंरचनात्मक सहायता संबंधी संपूर्ण खर्च का वहन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। राज सहायताओं संबंधी आधा खर्च केन्द्र द्वारा किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत खर्च को राज्य सरकारों तथा नगरपालिकाओं के मध्य उस अनुपात में बांटा जाएगा जैसा वे आपस में सुनिश्चित करेंगे। बैंकों को राज सहायता की मात्रा से तीन गुणा प्रदान करने के अनुदेश दे दिए गए हैं।

हमें आशा है कि नेहरू रोजगार योजना के माइक्रो उद्यम संघटक के माध्यम से हम भारत के शहरी भागों में उद्यम तथा पहलशक्ति को फलता-फूलता देख सकेंगे, जो मन तथा आत्मा को मारने वाले जोखिम रहित, नीरस रोजगारों की निराशाजनक खोज की बजाय स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने के जरिए हमारे समाज में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता के पुनरुत्पादन की ओर एक कदम है।

हमारे युवक रूपी फूलों को डंठल में ही मुरझाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारे युवक-युवतियों की प्रफुल्लता को काम की तलाश में घर से रोजगार कार्यालयों और फिर वहां से वापसी तथा घर से कार्य स्थल और वापसी की बेकार भागदौड़ से अधिक और कोई दूसरी चीज नष्ट नहीं करती। हमें अपने युवकों को अवश्य अवसर देना चाहिए। हमारा युवा प्रतिभा से परिपूर्ण है। हमारी जनता हमारी सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है। वे केवल अवसर चाहते हैं। जो इसके बदले में अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। आधुनिक भारत के संस्थापक-निर्माता के जन्म शताब्दी के इस वर्ष में हम जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं जो एक साथ उनके आद्याक्षर जे० एन० को प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने हमारे देश में इतनी आशा, गर्व तथा विश्वास की भावना जागृत की।

12.57-1/2 म० प०

प्रत्यक्ष-कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चह्वाण उत्तर दें।

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : महोदय, मुझे उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने आयकर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है और अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिए हैं यद्यपि जहां तक विधेयक का संबंध है वे इतने संगत नहीं हैं। महोदय, सदस्यगण द्वारा अनेक सुझाव दिए गए हैं जो वास्तव में इस सदन में लाए गए विधेयक के विषय से बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए हम मध्याह्न भोजन करते हैं। फिर सभा 2.00 म० प० पर पुनः समवेत होगी।

श्री एस० बी० चह्वाण : ठीक है।

12.58 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रत्यक्ष-कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० बी० चह्वाण अपना भाषण जारी रखें ।

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है । इनमें से कुछ ने तो अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिए हैं; यद्यपि वे इस विधेयक के पुरःस्थापित रूप के क्षेत्र में नहीं आते हैं । किंतु यह महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन पर वास्तव में किसी उचित समय पर विचार किया जाना चाहिए ।

दो या तीन सामान्य मुद्दे ऐसे हैं जिनके संबंध में सभी माननीय सदस्यों ने अपना सन्तोष प्रकट किया है । मेरे विचार से जिस किसी सदस्य महोदय ने बोला है कुल मिलाकर किसी ने भी विधेयक का विरोध नहीं किया है । उनमें से सभी ने इस परन्तुक के साथ विधेयक का समर्थन किया है कि ऐसा भी किया जाना चाहिए । अतः माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए नए विचारों के अतिरिक्त जो कुछ भी सदन के समक्ष लाया गया है उसको सभा की सहमति प्राप्त है ।

मैं माननीय सदस्य डा० राजहंस की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रत्यक्ष कर कानूनों में किसी प्रकार का यौक्तिकरण किया जाना चाहिए । हमारे पास प्रत्यक्ष करों के संबंध में विभिन्न कानून हैं, परन्तु ये सभी इतने जटिल हैं कि ऐसी कोई एक संविधि नहीं है जिसमें यह सभी अधिनियम इकट्ठे किए जाएं । सरकार विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है जो इस प्रश्न की जांच करेगी और तत्पश्चात् जितना संभव हो सके उन्हें युक्तियुक्त बनाने का प्रयास करेगी ताकि आजकल जो जनता को इस क्षेत्र में विभिन्न कानूनों और इस क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों से सलाह लेने में जो कठिनाई हो रही है उसको दूर किया जा सके । विशेषज्ञों से सलाह न लेनी पड़े ऐसा नहीं किया जा सकता है यद्यपि उन्हें एकत्र किया गया है । इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता है । उन्हें इस विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेनी होगी ।

माननीय सदस्यों द्वारा एक और मुद्दा उठाया गया था जिसके संबंध में मैंने अपने सभी अधिकारियों से सलाह ली है ताकि मुझे पता चले कि क्या यह सच है कि सूचना में यह लिखा है कि यदि आप 25 हजार रुपए अथवा 10 हजार रुपए या जो कुछ भी हो नहीं भेजते तो यह राशि, आपको देनी पड़ेगी । वास्तव में सूचना में ऐसी कोई बात नहीं है । किंतु, अधिनियम के अधिकांश भाग में ऐसा है; इस तथ्य को कोई भी नहीं नकार सकता है । जो कानून पारित किया गया है उसमें यह समाविष्ट किया गया है कि न्यूनतम एक हजार रुपए होगा और अधिकतम 25 हजार रुपए किंतु इसकी उगाही केवल तब की जा सकती है जब आयकर अधिकारी अथवा उपायुक्त, जो भी पूछताछ करने वाला अधिकारी है इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह जानबूझकर प्राधिकरण के समक्ष इसलिए उपस्थित नहीं होता है ताकि उसके मामले को निपटाया न जाए । यदि इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाता है, केवल उसी चरण पर अत्यन्त अपवादात्मक मामलों में ऐसा किया जा सकता है ।

मैं समझता हूं कि इसको अधिक सख्त बनाने का इरादा नहीं है; किसी न किसी कारण से यदि आयकर अधिकारी स्वयं हड़ताल पर हैं अथवा ऐसी कोई परिस्थिति है फिर तो इस प्रकार का दायित्व उस व्यक्ति पर थोप दिया जाता है। यह इस विशेष धारा का सही अर्थ नहीं है।

हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा करने का हमारा तनिक भी विचार नहीं है। किंतु एक अन्य मुद्दे का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। मेरे विचार से श्री शांताराम नायक ने ही संभवतः आयकर फार्म का यह मुद्दा उठाया। आयकर फार्म एक जटिल दस्तावेज है और यह इस कारण और भी जटिल हो गया है क्योंकि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को एक साथ लेना है। मैंने पूछा था कि क्या हम इन दो को अलग कर सकते हैं ताकि यह फार्म एक छोटा दस्तावेज बन सके। किंतु, राजभाषा विभाग इस बात पर जोर दे रहा था कि प्रत्येक दस्तावेज दो भाषाओं में होना चाहिए; इसीलिए यह बड़ा फार्म बना है। किंतु, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम निश्चय ही इस क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेंगे ताकि करदाता से केवल ऐसी सम्बद्ध जानकारी पूछी जाए जो अत्यन्त महत्व-पूर्ण हो और बाकी सभी असंबद्ध बातें हटा दी जाएं। इसके लिए हमारा कर विशेषज्ञों से परामर्श करने का विचार है। मैं समझता हूं कि वे सलाह दे सकते हैं कि हम किस प्रकार फार्म को और सरल बना सकते हैं।

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : हम एक भाषा, अर्थात् अंग्रेजी का प्रयोग करके ही इसको सरल बना सकते हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, हां, यह तो अ० भा० अ० द्र० मु० क० के विचार हैं। (व्यवधान) इसी सभा ने राजभाषा अधिनियम में स्वयं यह उपबन्ध बनाया है कि हम फार्म तथा अन्य सामग्री दो भाषाओं में बनाएंगे; और इन दोनों को साथ-साथ रखा जाएगा। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए फार्म कुछ बड़ा लगता है।

मैं कर-निर्धारण फार्म के बारे में भी कह रहा था। हमारा फार्म को और सकल करने का विचार है। लोग आयकर अधिकारी से क्यों डरते हैं ? यह एक ऐसा मामला है जिससे माननीय सदस्य-गण पूरी तरह अवगत हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि उन्हें इसका और भी थोड़ा भय होता। ईमानदार लोग जो कर देते हैं उन्हें तनिक डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कुछ भी छिपाना नहीं है। किंतु, जिन लोगों को कुछ छिपाना है, काला धन कमाना है और इस स्थिति में लाभ उठाना है, केवल ऐसे लोगों को इनका भय है। किंतु इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता हूं कि अधि-कारियों में भी कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व भी हैं और जो केवल 2 या 3 प्रतिशत या इससे भी कम— तीन प्रतिशत भी नहीं, इससे भी थोड़े लोग ऐसा काम करते हैं जो वांछनीय नहीं है और पूरे संगठन की भी बदनामी होती है। और इसीलिए हमें इस बात की चिन्ता है कि हम जनता को अच्छी तरह जानकारी दें ताकि उन्हें मालूम हो कि फार्म किस प्रकार भरने हैं।

90 प्रतिशत मामलों में स्वनिर्धारित कर स्वीकार किया जाता है। केवल लगभग तीन प्रतिशत मामलों में जहां भारी राशि हैं स्वनिर्धारण स्वीकार नहीं किया जाता है। थोड़ी राशियों के लिए कोई चिन्ता नहीं करता है। किंतु, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सही जानकारी नहीं देंगे। सही जानकारी देना अत्यन्त आवश्यक है। आप जो विवरणी देते हैं उनको देखकर यदि आयकर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें कोई गलती है, जो विवरणी से प्रथमदृष्टया सामने आती है, तो उनका अधिकार बन जाता है कि वह पूरी तरह पूछताछ करें और अतिरिक्त जानकारी भी मांग लें। किंतु

सब मिलाकर विभाग द्वारा स्वमूल्यांकन 97 प्रतिशत मामलों में स्वीकार किया जाता है और केवल शेष तीन प्रतिशत संपूर्ण जांच का सहारा लिया जाता है।

मैं समझता हूं कि मैं श्री टोम्बी सिंह द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को एक वर्ग मान कर किसी प्रकार की छूट के सम्बन्ध में उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि सभी पिछड़े वर्गों को 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायता उपलब्ध थी, तो प्रथम वर्ग उत्तर-पूर्वी राज्य, पर्वतीय क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र थे। वास्तव में यह 'क' (प्रथम) वर्ग की अर्थात् लगभग 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता के हकदार थे। इसका एक दूसरा दर्जा भी है जो कि वास्तव में 15 प्रतिशत का हकदार था और यही एक राज सहायता वहां उपलब्ध थी। बैंक के द्वारा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया था। लेकिन उसका कर-संरचना से कोई सरोकार नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में भी, यदि कोई व्यक्ति काला धन कमाता है, तो मैं यह नहीं समझता कि माननीय सदस्य यह कहने को इच्छुक होंगे कि धन कमाने के पश्चात् भी उन व्यक्तियों से कर नहीं लिया जाए। मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा इन बातों को स्वीकार करना सम्भव है। अन्य चीजों के सम्बन्ध में भी, मेरे विचार से हम कुछ नहीं कर सकते।

जहां तक अनिवासी भारतीयों की समय अवधि का प्रश्न है, तो जिन्हें पहले यहां रहने के लिए 90 दिन की अनुमति प्रदान की गई थी उस अवधि को हमने बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। अब, मैं समझता हूं कि डा० राजहंस यह कहेंगे कि 150 दिन ही क्यों किया गया है, 270 दिन क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार 365 दिनों में थोड़ा ही समय बच जाता है। अतः इससे वह करीब-करीब भारत के नागरिक हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप उन्हें अनिवासी भारतीय होने के कारण मिलने वाली रियायतें, जो कि काफी हैं, नहीं मिल पायेंगी। मेरे विचार से आप अनिवासी भारतीयों को यहां ज्यादा अवधि के लिए रहने का अनुरोध करके उनका हित नहीं कर रहे हैं।

महोदय, श्री शांताराम नायक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, जो कि 32(क), अर्थात् अवमूल्यन और पूंजी निवेश में छूट के बारे में है, यह वास्तव में सम्पूर्ण भारत में उपलब्ध है। उस समय व्याप्त अधिनियम के फलस्वरूप गोवा एक विशिष्ट क्षेत्र था, जिसके कारण वहां के लोग अभी भी उन सभी रियायतों का लाभ उठा रहे हैं। यदि पति-पत्नी दोनों ही कर की अदायगी करते हैं, तो यह प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन यदि एक करदाता है और दूसरा नहीं तो इस धारा के तहत जो अवमूल्यन छूट की स्वीकृति है वह उन्हें नहीं मिल पायेगी। हम इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं। हम इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे विचार से सरकार के लिए यह सम्भव नहीं होगा, कि इस सम्बन्ध में गोवा सरकार या गोवा के सभी आयकर अधिकारियों को एक विशेष प्रकार की व्यवस्था, मात्र गोवा के लिए अपनाने का निर्देश दे सकें। मेरे विचार से इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए बिना हम इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, तो हम इसकी अच्छी तरह से जांच करेंगे और अधिनियम में संशोधन कर कोई इसके समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस अधिनियम में संशोधन किए बिना, मैं नहीं समझता कि किसी आय-कर अधिकारी को निर्देश देने से कोई लाभ होगा···(**व्यवधान**)

श्री शांताराम नायक : कृपया इसकी जांच करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : निश्चय ही, मैं इसकी जांच कर रहा हूं। मैंने अधिकारियों से इस सम्बन्ध में जांच करने और इसका एक सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने का आग्रह किया है।

एक और मुद्दा जो उठाया गया था वह आय-कर अधिकारियों द्वारा लगाए गए छापों तथा

उनको प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से सम्बन्धित था। हाल ही में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एक-दो जगहों पर कुछ घटनाएं हुई हैं, जहां कुछ लोगों ने अपार काले धन का अर्जन किया है। हो सकता है कि इसकी सूचना आय-कर अधिकारियों को हो और जब वे उस क्षेत्र में छापा मारना चाहते थे, तो उन लोगों द्वारा गुण्डों की सहायता से आयकर अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। मुझे यही सूचना मिली है। मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को खुद लिखकर यह अनुरोध किया है कि ऐसे मामले में उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए···(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस : यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें पुलिस सुरक्षा मिले।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह उन्हें निश्चय ही मिलेगी। मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारें किसी भी प्रकार का असहयोग दिखाएंगी। अंततः आय-कर अधिनियमों के द्वारा राज्य सरकारें ही लाभान्वित होंगी। आय-कर का 80 से 85 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को उपलब्ध होगा और बहुत ही कम धन केन्द्र को प्राप्त होगा, अतः इसका एक पहलू यह है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि, अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि किसी अधिकारी को किसी भी वर्ग द्वारा सरकारी कार्य के करने में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे एक-दूसरे को सहायता प्रदान करें और यह देखें कि वे अपना काम सही ढंग से कर सकें। यदि कोई शिकायत है, तो इसे हर संभव प्रयास कर दूर किया जाना चाहिए परन्तु यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप उच्च अधिकारी से शिकायत करें, लेकिन आप किसी अधिकारी को उनका कर्तव्य पूरा करने से नहीं रोक सकते। अतः हम सभी अधिकारियों को विश्वास दिला सकते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से भयभीत नहीं होना चाहिए और जहां ऐसे छापे मारना अत्यन्त आवश्यक हो वहां उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए।

एक और मुद्दा जो सम्भवतः हमारे एक पूर्वाधिकारी द्वारा उठाया गया था वह यह है कि ये छापे मेरे इशारे पर मारे जा रहे हैं। जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैं कभी भी ऐसे कार्यों में शामिल नहीं हुआ हूं। यह अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। अंततः यदि यह प्राप्त सूचना के ऊपर निर्भर करता है। यदि सूचना उपलब्ध है, तो हर सम्भव आप कहीं भी जाकर छापे मार सकते हैं। लेकिन इसमें मात्र एक प्रतिबंध यह है कि जब छापा मारना हो, तो यह इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे बहुत कम लोग यह जान सकें कि वास्तव में क्या किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको जो सूचना प्राप्त हुई है वह वास्तव में विश्वसनीय है। यदि यह किसी अन्य उद्देश्य से, उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करने के उद्देश्य से छापे मारने की सूचना दे रहा है, तो निश्चय ही यह गलत रास्ता अख्त्यार करना होगा और यह उचित कदम कदम नहीं होगा। आय-कर छापे परेशान करने की प्रक्रिया नहीं है। आप किसी व्यक्ति विशेष को मात्र इसलिए परेशान नहीं कर सकते क्योंकि आप उसे पसन्द नहीं करते। चाहे वह किसी विशेष दल से सम्बद्ध है या नहीं, यह बिल्कुल ही भिन्न बात है और युक्तिसंगत नहीं है। लेकिन यदि आपको सही सूचना प्राप्त होती है तो वह किसी भी दल का क्यों न हो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आय छुपाने की कोशिश कर रहा है, धन संचय कर रहा है, वह अपने धन का ब्यौरा नहीं दे रहा और सरकार को कर अदा नहीं कर रहा तो, सभी दृष्टि से यह छापा मारने का उचित मामला है चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो और किसी भी दल से क्यों न हो।

मैं उम्मीद करता हूं कि श्री पासवान जी का यह तर्क सही है कि यदि कोई दल न्यायालय में अपील करता है तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि अपील करने के पहले उन्हें धन जमा करवाना चाहिए और फिर न्यायालय से न्याय की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह निर्णय नहीं लेना है, कि न्यायालय ने सही स्थगन आदेश दिया है या गलत। वास्तव में यह निर्णय न्यायाधीश को लेना है। यह गलत है या सही इसका निर्णय करना न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका के रूप में यदि आपको प्राप्त सूचना के आधार पर निर्णय देना हो, जो हमें हमारे अधिकारियों द्वारा मिली हो तो मैं नहीं सोचता कि यह एक उचित निर्णय होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जहां न्यायपालिका का सम्मान किया जाए। वास्तव में, जब तक हम अधिनियम में संशोधन नहीं करते और संविधि में एक विशेष प्रकार की उपबंध नहीं लाते, तब तक मेरे विचार से किसी भी दल को, पहले धन देने के लिए और बाद में स्थगन आदेश प्राप्त करने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरीके से बहस करते हैं कि वह अनेकों स्थगन आदेश प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने के लिए 10 से 12 साल लग जाते हैं तथा सरकार को धन का नुकसान उठाना पड़ता है। जिन मामलों में स्थगनादेश दिए गए हैं उनमें 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए तक राशि अंतर्ग्रस्त है। कई बार आयकर विभाग में ही उच्चाधिकारियों द्वारा ही स्थगनादेश दे दिए जाते हैं। स्थगनादेश पर अधिकार के तौर पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्रथमदृष्टया मामला है कि किसी पार्टी को इसमें सफलता मिल सकती है तब निश्चय ही उन्हें स्थगनादेश देने का अधिकार होगा। लेकिन इसके लिए न्यायालय हैं और वहां के अधिकारी इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मैं संभवतः मात्र यही कह कर उनकी आलोचना नहीं कर सकता कि किसी मामले विशेष में उनके द्वारा दिया गया स्थगनादेश उचित नहीं है। यह उनका निर्णय है।

ऐसा लगता है कि श्री गोपेश्वर को छुट्टी यात्रा भत्ता, छंटनी के उपरांत मिलने वाली देय राशि और परिवहन भत्ता जैसी कई बातों के बारे में गलत जानकारी दी गई है। ये रियायतें तो पहले ही से दी जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ और किए जाने की जरूरत है। लेकिन, किसी प्रकार उन्होंने यह जरूरी समझा कि उन्हें इनका जिक्र करना चाहिए। वह यह भी कह रहे थे कि बचत की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए और किसी लघु बचत योजना पर छूट दी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस गति से कोई भी सरकार काम कर सकती है। मैं संभवतः इस बात से कभी सहमत नहीं हूं कि इस तरह की रियायतों के सम्बन्ध में कोई ऊपरी सीमा होनी चाहिए और इस निश्चित सीमा के बाद तो इसे कर-योग्य माना ही जाएगा।

मेरे विचार से माननीय सदस्यों द्वारा यही मुख्य मुद्दे उठाए गए थे और मैंने उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं यह स्पष्ट करने तथा इस मामले में सरकार की राय के बारे में बताने का प्रयास किया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2, 3 और 4 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

2.26 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खंड-5 (नयी धारा 33कग का अंतःस्थापन)

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 44—

"के खंड (क)" **का लोप किया जाए ।** (एक)

अध्यक्ष महोदय : श्री सीताराम जे० गावली—अनुपस्थित । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 44—

"के खंड (क) का लोप किया जाए ।" (एक)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

"खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 6 (धारा 48 का संशोधन)

श्री वी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4—

खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

6. आय-कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक और उसका स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु एसे निर्धारिती की दशा में जो अनिवासी भारतीय हैं या विदेशी निगमित निकाय है किसी भारतीय कंपनी में शेयरों और डिबेंचरों के रूप में किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, अर्जन की लागत, ऐसे अंतरण के सम्बन्ध में पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत व्यय और शेयरों और डिबेंचरों के क्रय में आरम्भिक रूप से उपयोग की गई उसी विदेती करेंसी में पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल के कुल मूल्य को संपरिवर्तित करके परिकलित किया जाएगा, और ऐसी विदेशी करेंसी

से इस प्रकार परिकलित पूंजी अभिलाभ को भारतीय करेंसी में पुनःसंपरिवर्तित किया जाएगा, तथापि, इस प्रकार से कि पूंजी अभिलाभ के परिकलन की पूर्वोक्त रीति, तत्पश्चात किसी भारतीय कंपनी में, और उसके शेयरों और डिबेंचरों के विक्रय में, प्रत्येक पुनः विनिधान से प्रोद्भूत या उद्भूत पूंजी अभिलाभ की बाबत लागू होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए --

(एक) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ है जो धारा 115ग के खंड (ङ) में है;

(दो) "विदेशी निगमित निकाय" से अभिप्रेत है विदेशी कंपनियां, भागीदारी फर्में, सोसाइटियां, और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम साठ प्रतिशत भाग प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व में है तथा विदेशी न्यास जिसमें कम से कम साठ प्रतिशत फायदाप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप में अनिवासी भारतीय द्वारा धारित है तथा जो, ऐसे रूप में तथा रीति से जैसाकि विहित किया जाए, इस प्रकार प्रमाणित है;

(तीन) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 में हैं;

(चार) भारतीय करेंसी का विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन और विदेशी करेंगी का भारतीय करेंसी में पुनः संपरिवर्तन, इस निमित्त विहित विनिमय की दर पर किया जाएगा;

(पांच) किसी अनिवासी भारतीय द्वारा भारत में किसी बैंक में अपने अनिवासी (विदेशी) खाते में से शेयरों तथा डिबेंचरों के क्रय में उपयोग की गई किसी राशि को इस प्रकार उपयोग की गई "विदेशी करेंसी" माना जाएगा ।"

महोदय, मेरा संशोधन आय-कर अधिनियम की धारा 48 (1)(क) के खंड 6 के संबंध में है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत सरकार की भुगतान संतुलन की स्थिति काफी खराब है। वास्तव में हम संकट में हैं । यहां तक कि योजना मंत्री ने भी सरकार को चेतावनी दी है और भारत की अत्यधिक मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण तथा भुगतान संतुलन की स्थिति पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की है । जहां तक भारत का संबंध है विदेशी ऋण के मामले में अत्यधिक कर्ज के बोझ से लदे हुए देशों में से हम एक हैं और हमारा स्थान लगभग मेक्सिको और ब्राजील के बाद आता है । मेक्सिको और ब्राजील भारत की तुलना में काफी छोटे देश हैं परन्तु जहां तक भुगतान संतुलन की स्थिति का संबंध है भारत की स्थिति सबसे खराब है । जब तक भारत को विदेशों से धन प्राप्त नहीं होता हम और उद्योग लगाने और अपने देश का विकास करने में सफल नहीं हो सकते । इसीलिए मैं धारा 48 (1)(क) के खंड 6 में संशोधन किए जाने पर जोर दे रहा हूं । वास्तव में मुझे खुशी है कि जहां तक अनिवासी भारतीयों का संबंध है, मंत्री महोदय ने उनके लिए यह संशोधन रखा है, किन्तु जहां तक अनिवासी भारतीय कम्पनियों का संबंध है, निगमित निकायों के बारे में कोई संशोधन नहीं किए गए हैं । मुझे यह देखकर चिंता हुई है कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) विधेयक के अनुसार धारा 48(1) (क) में किये जाने वाले संशोधन से केवल अनिवासी भारतीयों को ही फायदा होगा । यह बात हम सब जानते हैं कि अधिकांश अनिवासी भारतीय अवश्य ही अपनी फालतू धनराशि को अपने नाम ही रखना चाहेंगे किन्तु वे इस धनराशि का निवेश उन विदेशी कंपनियों, साझेदार फर्मों, न्यासों, सोसाइटियों आदि में करना चाहेंगे जिनमें उनके शेयर अधिक होंगे । यदि ऐसा है तो हम इनमें

निगमित निकायों को भी शामिल क्यों नहीं करते ? ऐसे प्रवल स्वामित्वों के निर्धारण का मानदंड यह है कि इन कंपनियों में कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व अनिवासी भारतीयों के पास होना चाहिए। अत: ऐसा करना आम बात हो गई हैं और 1982 से ही भारत सरकार की नीति यह रही है कि अनिवासी भारतीयों को अपना फालतू धन भारत में लगाने की ओर आकर्षित किया जाए।

इस नीति का अनुसरण पिछले सात-आठ वर्षों से किया जा रहा है। यदि हम निगमित निकायों को इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो सरकार के प्रस्ताव में निहित उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

इस संबंध में मैं सदन और माननीय वित्त मंत्री का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के प्रपत्र की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें विदेशी समुद्रपारीय कंपनियों और अन्य निगमित निकायों के द्वारा निवेश के बारे में बड़े स्पष्ट रूप में दिया गया है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित उद्धृत करना चाहूंगा :

> "वर्तमान नीति में एक अन्य महत्वपूर्ण छूट यह है कि सीधे और पोर्टफोलियो निवेश की सुविधायें, जो पैराग्राफ 3 और 4 में दी गई हैं वह सुविधायें अब समुद्रपारीय कंपनियों, साझेदार फर्मों, ट्रस्ट्रों समितियों और अन्य निगमित निकायों को भी मिल सकेंगी जिनका स्वामित्व भारतीय मूल के या भारतीय नागरिकता के अनिवासी लोगों के हाथ में होगा। इस प्रकार के स्वामित्व के निर्धारण का मापदंड यह किया गया है कि इन निगमित निकायों का कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व अनिवासी भारतीय मूल के लोगों का भारतीय राष्ट्रकों के हाथ में होगा। ऐसे निकायों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निर्धारित पत्र 'डी० ए० सी०' पर एक सर्टीफीकेट दें जो कि समुद्रपारीय लेखा परीक्षक, सनदी लेखाकार/अधिकारिक सार्वजनिक लेखाकार द्वारा दिया गया हो। यह प्रमाण पत्र उनके शेयरों में निवेश के आवेदनों के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, या तो विदेशी मुद्रा के अधिकारिक बैंकों या नए शेयरों को जारी करने वाली कंपनियों के माध्यम से जमा कर सकते हैं।"

अत: महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रपत्र से यह स्पष्ट है कि इन सुविधाओं के लिए निगमित निकायों को भी शामिल किया गया है। फिर ऐसे मामलों में आप निगमित निकायों को कैसे छोड़ सकते हैं ? जब आप व्यक्तियों को शामिल करते हैं, तो आपको निगमित निकायों, ट्रस्टों और अन्य निकायों को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

महोदय, राष्ट्र विदेशी मुद्रा के गहरे संकट का सामना कर रहा है और इस समय चालू खाते के घाटे में सुधार की आवश्यकता है। अधिकांश अनिवासी भारतीय जो अफ्रीका, यूरोपीय देशों और उत्तरी अमरीका में रहते हैं, अपने पसीने की कमाई को समुद्रपारीय निगमित निकायों के माध्यम से निवेश करते हैं और अधिकांश सीधा निवेश इन्हीं समुद्रपारीय कंपनियों के माध्यम से होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 1989 को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि हमारे राष्ट्र को अपने इतिहास पर गर्व है, अपने वर्तमान पर गर्व है और उसे भविष्य पर भी गर्व की आशा है। इसलिए राष्ट्र का कार्य रुकना नहीं चाहिए चाहे अस्थायी रूप से कुछ निराशायें ही क्यों न हों। जब ऐसी स्थिति हो तो हमें योजना और कार्यक्रमों के कुछ ऐसे उपायों को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अधिक मात्रा में निवेश हो और हम ज्यादा उद्योगों की स्थापना कर सकें। लेकिन, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप इसे केवल व्यक्तियों तक सीमित कर रहे हैं। लेकिन

इस संशोधन विधेयक को पारित करके आप वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि ट्रस्टों और कंपनियों के साथ निगमित निकायों को भी इन सुविधाओं को प्राप्त करने में शामिल कर लें।

महोदय, सरकार जो संशोधन लाने जा रही है उसका तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक कि उसमें समुद्रपारीय निगमित निकायों को शामिल न किया जाये जहां से वित्तीय निवेश का मुख्य स्रोत प्राप्त होता है। यदि सरकार का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः अनिवासी भारतीयों के धन को भारत में अधिकाधिक लाना है, जो कि प्रतीत भी होता है, तो यह उद्देश्य तब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि समुद्रपारीय निकायों, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण अनिवासी भारतीयों के हाथ में है, उनको इस संशोधन में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह आम जानकारी में है कि सामान्यतः अनिवासी भारतीय अपने औसत लाभ व्यक्तिगत नाम से नहीं अपितु निगमित निकायों के नाम से रखते हैं।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा निवेश एफ० सी० एन० आर० और एन० आर० ई० जमा खातों से सस्ता पड़ता है, जिन पर ब्याज की बढी हुई दरें दी जाती हैं। सीधे तौर पर किए गए निवेश जो कि व्यक्तिगत रूप में और सी० बी० सी० द्वारा किया गया हो, उसकी राशि में 2 से 3 प्रतिशत वार्षिक अन्तर होता है और जहां कई हजार करोड़ रुपये का लेन देन हो, वहां हमें अत्याधिक ब्याज देना पड़ता है। अतएव मैं एक बार फिर माननीय वित्र मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को देखें और निगमित निकायों को इनमें शामिल करने पर विचार करें।

वर्तमान प्रावधान से केवल व्यक्तियों को ही लाभ है जबकि पिछले सात वर्षों में अनिवासी भारतीयों और समुद्रपारीय निगमित निकायों को निवेश संबंधी कई लाभ दिये गये हैं। लेकिन इस विधेयक के द्वारा आप समुद्रपारीय निगमित निकायों को इस सुविधा से वंचित कर रहे हैं। मैं नहीं जानता सरकार ने ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपनाया है। यह माननीय वित्त मंत्री को गौर करना है कि उन्हें शामिल किया जाये या नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभी अनिवासी भारतीयों—व्यक्तियों और समुद्रपारीय निगमित निकायों दोनों को यह लाभ उपलब्ध कराएं। यह आवश्यक है कि इस आशय के लिए एक स्पष्टीकरण देते हुए उपबंध (6) का उचित संशोधन किया जाए। अतएव मैंने यहां एक उपयुक्त संशोधन और साथ ही समुद्रपारीय विदेशी निकायों के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

मेरी दूसरी चिंता शेयरों और डिबेंचरों से संबंधित है। उन्होंने शेयरों को शामिल किया है लेकिन डिबेंचरों को नहीं। शेयर और डिबेंचर ऐसे मामलों के साथ-साथ लिए जाते हैं फिर ऐसे मामलों में आप यहां डिबेंचरों को इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? सामान्यतः अनिवासी भारतीयों के संबंध में अपनाई जा रही नीति में शेयरों और डिबेंचरों दोनों को शामिल किया जाता है। मुझे बताया गया है कि बिल का प्रारूप बनाते समय यह भारी भूल हो गयी थी। वास्तव में इसे निकाल दिया गया है। अतएव मेरा दूसरा संशोधन यह है कि शेयरों के साथ-साथ डिबेंचरों को भी शामिल किया जाए।

मेरी तीसरी चिंता उस निवेशित धन से है, जो अनिवासी भारतीय के एन० आर० ई० खाते में से इन लाभों को प्राप्त करने के लिए निवेशित किया जाता है। इस संबंध में टेक्समैन प्रत्यक्ष कर प्रपत्रों के 1988 के संस्करण के खंड 2 के पृष्ठ 1115 पर दिए गए प्रपत्र संख्या 473 (एफ० 478/33/86-एफ० टी० डी०) दिनांक 29-10-1986 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं। जहां यह बताया गया है कि यदि एन० आर० ई० और एफ० सी० एन० आर० खातों में विदेशी मुद्रा में पैसा भेजा जाता है, तो धारा 115 (क) (1) (1-क) इस पर लागू होगी।

इसे एक उदाहरण के रूप में लेते हुए यह कहा जा सकता है कि अनिवासी भारतीय के एन० आर० ई० खाते में से शेयरों की खरीद के लिए जो धन खर्च किया जाता है, वह विदेशी मुद्रा है अतः धारा 48 उपधारा (1) (क) में दिए गए लाभ अनिवासी भारतीय को प्राप्त होने चाहिएं। अतः मैं प्रत्यक्ष कर कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1989 के खंड 6 के स्पष्टीकरण में उप-खंड जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं।

अतः, मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और मैंने इस संशोधन को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। मुझे इस संशोधन को दुबारा देखने की आवश्यकता नहीं है।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी तौर पर संसद में यह बताया गया है कि भारत के आन्तरिक और बाहरी ऋण 2,03,000 करोड़ रुपए बताये गये हैं और मार्च, 1989 तक आप 68800 करोड़ और प्राप्त कर रहे हैं। यह वस्तुस्थिति है। जब यह स्थिति है तो आप इसे कैसे चुकायेंगे ? आपने पहले ही इतने वायदे किए हुए हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह 2,03,000 करोड़ रुपये के आंकड़े क्या हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : आन्तरिक और बाहरी ऋण 2,03,000 करोड़ रुपये हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : क्या आप विदेशी ऋण की बात कर रहे हैं या कुल ऋण की ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : जब हम भुगतान संतुलन की विषय स्थिति का सामना कर रहे हैं, तब हम वित्तीय संकट में हैं जब स्थिति इतनी खराब है तो निगमित निकायों को धन निवेश करने के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता हैं ? यही मेरा अनुरोध है, इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, जहां तक मेरे मित्र श्री कुलनदईवेलू द्वारा प्रस्तावित संशोधन का प्रश्न है तो मैं उनकी चिंता को अच्छी तरह समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित तीनों संशोधनों को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए।

महोदय, पहले उपाय के रूप में, सरकार ने यह आवश्यक समझा कि और अधिक विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए हमें लोगों को यह रियायत देनी चाहिए जिससे पर अपने स्वयं के अनुभव से उनके सामने जो समस्याएं आएं उनके बारे में सुझाव दे सकें। यह बात इतनी आसान नहीं है जैसाकि माननीय सदस्य बताने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, अलग-अलग लोगों के लिए भी उनके सामने काफी समस्याएं आएंगी। हमें उनके लिए हल ढूंढना होगा और हम उसमें किस सीमा तक सफल होंगे यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए मैं तत्काल अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि, वास्तव में, हम विदेशी मुद्रा जमा धनराशि, विदेशी इक्विटी जमा धनराशियां और इक्विटी भागीदारी को आकर्षित करने में बहुत उत्सुक हैं। यह पूंजी लाभ और पूंजी लाभ के अन्तर्गत उपलब्ध रियायतों के बारे में प्रश्न है। उनके द्वारा कुछ निश्चित धनराशि का निवेश किया गया है और वे इस प्रकार का सुझाव दे रहे थे ताकि रुपए के मूल्यह्रास का कुल निवेश जोकि वह अब तक करते रहे हैं उस पर उसका बुरा प्रभाव न हो क्योंकि यदि विदेशी निवेश के मामले में रुपए का मूल्यह्रास होता है तब वास्तव में पूंजी का पलायन होगा। इसीलिए हमने यह आवश्यक समझा कि निवेश और उसके बाद बिक्री का हिसाब रखने के लिए सम्पूर्ण ब्यौरे का

हिसाब लगाने की दृष्टि से, इसे रुपयों में परिवर्तन किया जाए ताकि जो विदेशी मुद्रा में निदेश कर रहे हैं उन्हें किसी लाभ विशेष में वंचित न रखा जाए ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, यहां तक कि उद्देश्यों और करणों का के कथन में भी आपने पैरा 2 में बताया है कि "देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि सदस्य का एक समुचित संतुलन सुनिश्चित किया जाए और देश में विदेशी मुद्रा के आने को प्रोत्साहित किया जाए ।"

श्री एस० बी० चव्हाण : जी, हां, मैं उसके बारे में मना नहीं कर रहा हूं ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जब आप और अधिक विदेशी मुद्रा चाहते हैं और जब आप अनिवासी भारतीयों से इतना अधिक धन चाहते हैं, तो आपको निगमित निकायों को भी आमंत्रित करना होगा । तभी केवल आप इसे प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : आपने इस मामले में अपनी बात कही थी और इसीलिए मैं यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों यह आवश्यक नहीं है । अब हम व्यक्ति विशेष से यह शुरू कर रहे हैं, जहां तक पूंजी लाभ का सम्बन्ध है यह एक नई किस्म का प्रयोग है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं । आने वाली समस्याओं के बारे में और भारतीय सदन के साथ कितनी मुद्राएं सम्बन्धित होंगी, उनके बारे में उनकी वास्तविकता की किसी को जानकारी नहीं है । ये विभिन्न पहलू हैं जिनकी जांच करनी होगी । मैं, इस स्तर पर, इस बात को स्वीकार नहीं करता और यह रियायत जोकि अब व्यक्ति विशेष को दी जाती है वह विदेशी निगमित निकायों को भी दी जानी चाहिए । यह एक ऐसा मामला है जिसकी पूरी तरह से जांच करनी होगी । सभी आशयों को समझना होगा और उसके द्वारा यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि हम व्यक्ति विशेष के मामले में सफल रहे हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम यह रियायत निगमित निकायों को भी न दें ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : गत आठ वर्षों से अनिवासी भारतीयों ने इस रियायत को प्राप्त किया है और आप इसमें सफल रहे हैं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि यह रियायत उपलब्ध थी तो इस संशोधन का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं है । यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि हम यह रियायत पूंजी लाभ में देना चाहते थे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदई वेलू जो चाहते हैं वह यह है कि यह रियायत थोड़ी-थोड़ी नहीं, एकमुश्त देनी चाहिए ।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं उनके विचारों की अच्छी तरह समझ सकता हूं क्योंकि वह उसी प्रकार विदेशी मुद्रा के बारे में भी चिन्तित हैं ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, मैं तमिलनाडु के बारे में चिन्तित हूं क्योंकि हमें तमिलनाडु के लिए अधिक धनराशि मिलेगी । इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने सोचा कि आप सभी अनिवासी भारतीयों के बारे में उत्सुक थे । मैं आपके दृष्टिकोण की अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में सरकार की कठिनाई समझिए । हम अपनी भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारेंगे और देश में विदेशी मुद्रा निवेश को बढ़ाने का प्रयास करेंगे । सभी अन्य रियायतें हम उनको देते रहे हैं । यह केवल पूंजी लाभ के बारे में है, हम कहते हैं, हम व्यक्ति विशेष के साथ इसे सावधानीपूर्वक शुरू करें, यदि हम इसमें सफल हो जाते हैं, तब वास्तव में, ऐसा कोई कारण नहीं

होना चाहिए कि यह रियायत अन्य लोगों को भी न दी जाए। हम वह कर सकते हैं और इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

संशोधन के अन्य भाग के बारे में मैं माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। माननीय सदस्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल इसलिए क्योंकि माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हैं और वह उन संशोधनों के लिए सुझाव दे रहे हैं और इसीलिए हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का आभास नहीं होना चाहिए। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं क्योंकि शेयरों और ऋणपत्रों में मुश्किल से बहुत ही थोड़ा अन्तर है। वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं है कि "शेयरों" और ऋणपत्रों के बीच अन्तर करने का हमें प्रयास करें इसलिए मैं संशोधन के उन भाग को, संशोधन के उस रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरे विचार से इस प्रकार के समझौते से माननीय सदस्य इस संशोधन* पर बल नहीं देंगे। लेकिन यह संशोधन इस रूप में होगा कि "शेयर" अथवा "शेयरों" शब्द जहां कहीं भी ये खंड 6 में आते हैं, वहां "ऋणपत्रों" शब्द भी जोड़ा जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,—

"शेयरों के रूप में" **के स्थान पर** "शेयरों अथवा उसके डिबेंचरों के रूप में" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12,—

"शेयरों" **के स्थान पर** "शेयरों अथवा डिबेंचरों" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19,—

"शेयरों" **के स्थान पर** "शेयरों अथवा डिबेंचरों" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (11)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,—

"शेयरों के रूप में" **के स्थान पर** "शेयरों अथवा उसके डिबेंचरों के रूप में" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12,—

"शेयरों" **के स्थान पर** "शेयरों अथवा डिबेंचरों" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19,—

"शेयरों" **के स्थान पर** "शेयरों अथवा डिबेंचरों" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (11)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश (तृतीय संस्करण, 1985) के निर्देश 4.3 के अनुसार श्री पी० कुलनदई-वेलू द्वारा रखा गया संशोधन संख्या 8 सभा द्वारा अस्वीकृत किया गया माना गया।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

(इस खंड पर दिया गया संशोधन विधेयक के हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़े दिए गए।

खंड 10—(नई धारा 115 ख ख क का अंतःस्थापन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 41 के **पश्चात** निम्नलिखित **अंतःस्थापित किया जाए**—

"परन्तु खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।" (3)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 से 21 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 22—(नई धारा 194 ङ का अंतःस्थापन)

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 16, पंक्ति 43,—

"सितम्बर" के स्थान पर "नवम्बर" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 10, पंक्ति 44-45,—

"अनिवासी खिलाड़ी या खेल-कूद संगम या संस्था" के स्थान पर "अनिवासी खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है) जो भारत का नागरिक नहीं है या अनिवासी खेल-कूद संगम या संस्था" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 24—(धारा 198 से धारा 200 और धारा 202 से 205 का संशोधन) संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 12,—

"सितम्बर" के स्थान पर "नवम्बर" प्रतिस्थापित किया जाये। (6)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 में 33 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2.51 म० प०

सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अगला विषय लेगी । श्री ए० के० पांजा ।

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री० ए० के० पांजा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

इस विधेयक में सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 और 135 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

पहला प्रस्ताव हीरों तथा हीरों से निर्मित वस्तुओं को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123(2) के उपबंधों से मुक्त करने के लिए संशोधन करने के बारे में है । आमतौर पर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जब एक सही अधिकारी वर्जित वस्तुओं को इस उचित विश्वास के तहत जब्त करता है कि ये वस्तुएं इस अधिनियम के तहत जब्त योग्य हैं, ये वस्तुएं तस्करी की वस्तुएं हैं यह साबित करने का भार विभाग पर होता है, इन वस्तुओं को रखने वाले या इनके मालिक पर नहीं। फिर भी, ऐसी अत्यन्त मूल्यवान और संवेदनशील वस्तुओं के सम्बन्ध में यह दायित्व इन जब्त वस्तुओं को रखने वाले या इनके मालिक पर हो जाता है । इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं जैसे सोना, हीरे, सोने या हीरे से निर्मित वस्तुएं, घड़ियां सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हैं ।

2.52 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 में यह कहा गया है :—

"धारा 123, कुछ मामलों में प्रमाणित करने का भार—

जहां पर कोई वस्तु, जिस पर यह धारा लागू होती है, इस अधिनियम के तहत इस उचित विश्वास में जब्त की जाती है कि वे तस्करी की वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं तस्करी की वस्तुएं नहीं हैं यह साबित करने का भार इन पर होगा :

(क) ऐसी स्थिति में जब यह जब्ती किसी व्यक्ति के पास से की जाती है,

(i) उस व्यक्ति पर, जिसके पास से इन वस्तुओं को जब्त किया गया; तथा

(ii) इन जब्त वस्तुओं को जिस व्यक्ति के पास से लिया गया, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति जब उसका मालिक होने का दावा करता है तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर।

(ख) किसी अन्य मामले में, यदि कोई व्यक्ति है, उस पर, जो कि इन जब्त हुई वस्तुओं का मालिक होने का दावा करता है।"

(2) यह धारा सोने, हीरे, सोने या हीरे से बनी वस्तुओं, घड़ियों और वस्तुओं की किसी अन्य श्रेणी पर लागू होगी जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करती है।

(3) उपरोक्त उपबन्ध में हीरे, तथा 'हीरे से बनी वस्तुएं' इनको शामिल करना महत्वहीन रह गया है। इस तथ्य के बावजूद कि प्रमाणित करने का भार वस्तुओं के धारक अथवा मालिक पर होता है विभाग पर नहीं, हाल के वर्षों में ये वस्तुएं अधिक मात्रा में जब्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रवर्तन एजेंसियों ने उक्त उपबंधों का उपयोग करना आवश्यक नहीं समझा है।

दूसरी तरफ, "हीरे और हीरों से निर्मित वस्तुएं" हमारे निर्यात का मुख्य अंग बन गई हैं। अपरिष्कृत हीरों के आयात में काफी वृद्धि हुई है। इसकी आयात नीति में भी पर्याप्त रियायत दी गई है और इसलिए इसके आयात में भी करों से छूट है। साथ ही अपरिष्कृत हीरों को तराशने और पालिश करने पर भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। हीरा शोधन उद्योग के सम्बन्ध में ये सभी उपाय किए गए हैं क्योंकि 'हीरे और हीरों से निर्मित वस्तुएं' हमारे निर्यात का महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं, तराशे और पालिश किए गए हीरों तथा हीरों से निर्मित वस्तुओं का अधिक मूल्य पर निर्यात करके हम देश के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

उदार आयात नीति के अन्तर्गत अपरिष्कृत हीरों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है और इस नीति के अंतर्गत ऐसे हीरों को तराशने और पालिश करने के लिए तथा हीरों से निर्मित वस्तुओं को पुनः आयात करने के लिए इन्हें कारीगरों को दिए जाने की भी अनुमति है। इस प्रकार अपरिष्कृत हीरे तथा तराशे गए और पालिश किए गए हीरे आयात से लेकर निर्यात होने तक अनेक व्यक्तियों के हाथों में पहुंचते हैं। इन परिस्थितियों में हजारों छोटे और मध्यम दर्जे के कारीगरों से, जो सामान्यतः अनपढ़ होते हैं, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे यह साबित करें कि उनके कब्जे में जो अपरिष्कृत हीरे हैं उन्हें वैध रूप से आयात किया गया है और उन्हें देश में तस्करी करके नहीं लाया गया है। तराशे और पालिश किए गए हीरों तथा ऐसे अपरिष्कृत हीरों से निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है।

इसलिए हीरा उद्योग को, जिससे हम काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं तथा काफी मात्रा में लोगों को रोजगार मिला हुआ है, प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि "हीरों और हीरों से निर्मित वस्तुओं" को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 की उप-धारा (2) से छूट दे दी जाए ताकि जब्त किए जाने पर इन वस्तुओं की तस्करी होने के बारे में सबूत पेश करने की जिम्मेदारी प्रवर्तन संगठनों की हो।

प्रस्तावित संशोधन के भविष्य में इन वस्तुओं की तस्करी का विरोध करने के रास्ते में बाधक

होने की संभावना नहीं है क्योंकि धारा 123 किस वर्ग की वस्तुओं पर लागू होगी, इस धारा की उप-धारा (2) में इसका उल्लेख पहले ही से किया गया है और केन्द्र सरकार जब भी आवश्यक समझे इन शक्तियों का उपयोग कर सकती है ।

इस विधेयक में संशोधन का दूसरा शेस्ताव सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 की उप-धारा (1) के खंड (i) के उपबंधों में संशोधन करने के बारे में है । सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 में कहा गया है :—

"135. शल्क या प्रतिषेधों का अपवंचन—

(1) इस अधिनियम के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी माल के सम्बन्ध में उन पर प्रभार्य किसी शुल्क के, या इस अधिनियम या ऐसे माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तत्समय अधिरोपित किसी प्रतिषेध के, कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन का प्रयास करने में किसी भी प्रकार जान-बूझकर संबंध रखेगा, या

(ख) किसी माल का जो वह जानता है या जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे धारा 111 के अधीन अधिहरण के दायी हैं, कब्जा प्राप्त करेगा या उनके वहन, हटाने, निक्षेप करने, संश्रय देने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने में किसी भी प्रकार सम्बन्ध रखेगा या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करेगा, तो वह—

(I) उस माल से, जिनको धारा 125 लागू होती है और जिनकी बाजार में कीमत एक लाख रुपये से अधिक है, सम्बद्ध किसी अपराध की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इसके प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जो न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसा कारावास छह मास से कम का नहीं होगा;

(II) किसी अन्य दशा में कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।"

महोदय, तस्करी किए गए सोने के पकड़े जाने के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में इसकी तस्करी में वृद्धि हुई है । पिछले तीन वर्षों में बरामद सोने के आंकड़े इस प्रकार हैं : 1986 में 46.66 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ, 1987 में 65.78 करोड़ रुपए का तथा 1988 में 200.51 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ । 1986 में बरामद सोने का वजन 2.174 मीट्रिक टन, 1987 में बरामद सोने का वजन 2.255 मीट्रिक टन तथा 1988 में 6.094 मीट्रिक टन था ।

3.00 म० प०

यह भी देखा गया है कि भारत में सोने की तस्करी वर्ष 1988 के दौरान बहुत अधिक रही । यह मानने पर भी कि सोने की खरीद के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की खरीद काले बाजार से करने पर भी प्रति 10 ग्राम सोने पर लाभ पूरे 1988 वर्ष के दौरान 509 रुपए और कई बार

600 रुपए से अधिक रहा। दूसरे शब्दों में 10 तोले के एक स्वर्ण बिस्कुट की तस्करी पर 5000 रुपये से अधिक लाभ हो रहा था। साथ ही वर्ष 1988 में भारी मात्रा में जो भी सोना बरामद हुआ उससे पता चलता है कि तस्करों ने इसका पता लग जाने का जोखिम उठाकर भी काफी मात्रा में सोने का लदान कराने में फायदा समझा।

धारा 135 की उप-धारा (1) के खंड (i) के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 123 के अन्तर्गत आने वाली एक लाख से अधिक मूल्य की वस्तुओं के मामलों में न्यूनतम दंड एक वर्ष कारावास है। बहुमूल्य वस्तुओं की तस्करी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से न्यूनतम दंड को "एक वर्ष" से बढ़ाकर "तीन वर्ष" करने का प्रस्ताव रखा गया है।

यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक के माध्यम से उपरोक्त संशोधनों को प्रभावी बनाया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार जाए।"

अब श्री सोमनाथ रथ बोलेंगे।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि जहां तक हीरे का सम्बन्ध है यह विधेयक छोटे और मध्यम श्रेणी के कारीगरों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। ये मध्यम श्रेणी के कारीगर आमतौर पर अशिक्षित होते हैं। वे हीरों को तराशने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है, जिसके पास हीरे होते हैं ताकि इसकी तस्करी न हो सके। इन कारीगरों को राहत देना कठिन है और इसीलिए यह संशोधन लाया गया है।

साथ ही विधेयक में अन्य भागों में धारा 135 में संशोधन करने के साथ-साथ न्यूनतम दंड की अवधि "एक वर्ष" से बढ़ाकर "तीन वर्ष" कर दी गई है ताकि भारत में सोने की तस्करी, घड़ियों के निर्माण को रोका जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर तस्करों के गिरोह के नेता अपने एजेंटों को तस्करी करके सोना भारत में लाने के लिए कहते हैं और मुख्य अपराधी, जिसका तस्करी के पीछे हाथ होता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसे दंड नहीं मिलता। मात्र एजेंट ही पकड़े जाते हैं और उन्हीं को सजा मिलती है। अतः यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वास्तविक अपराधी अर्थात् वे लोग जो तस्करी में करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, ही पकड़े जाएं और पूरे घोटाले की जांच हो और तस्करी को रोका जाए न कि सिर्फ कुछ नौकरों अथवा उन लोगों को दंड दिया जाए जिनके कब्जे से वे वस्तुएं बरामद होती हैं। इन वस्तुओं की तस्करी उन लोगों द्वारा की जा रही है जो पकड़े नहीं जाते किंतु वे जाल बिछाकर लाभ कमाते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई बार जब वस्तुएं बरामद की जाती हैं, तब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है। यदि मंत्री महोदय, जो कि बंगाल से निर्वाचित हैं, इस पर जरा भी ध्यान दें और उन मामलों पर विचार करें जो कि पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं—वह वहां सीमा-शुल्क अधिकारियों से भी परामर्श कर सकते हैं—वह देखेंगे कि रिट याचिकाओं के द्वारा, यहां तक कि सिविल मामला दायरा करके भी, सीमा-शुल्क आयुक्त का नाम शामिल करके, इन वस्तुओं को जिनसे ये जब्त की गई हैं,

उन्हीं को दिया जा सकता है और उन्हें इन वस्तुओं को बेचने की अनुमति भी दी जा सकती है। न्यायालयों के अनावश्यक हस्तक्षेप से, इसका उद्देश्य भी विफल हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ताकि न्यायालय सीमा-शुल्क अधिकारियों की कार्यवाही में बाधा न डालें। इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए पृथक न्यायाधिकरण होने चाहिए तथा उन्हीं को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। हमारे देश में न्यायाधिकरण हैं, लेकिन वे कार्य नहीं कर रही हैं। कई मामलों में नियम नहीं बनाए गए हैं और वे अदालतें वैसा काम नहीं कर रही हैं जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है।

भारत में, विशेषकर गांवों में निर्धन जनता, विशेष रूप से महिलाओं को सोने से बड़ा लगाव होता है क्योंकि वे सोने को बुढ़ापे का सहारा मानकर उसे सुरक्षित रखते हैं। दक्षिण भारत जाने पर भी निश्चित रूप से आप यह पाएंगे कि हर स्त्री ने कानों में सोने की बालियां पहनी हैं। वह समझती है कि उसकी मृत्यु के बाद भी, यदि उसके पास थोड़ा बहुत सोना रहता है, तो उसके बच्चे उसका दाह-संस्कार या श्राद्ध करेंगे। महोदय, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि भारत के दक्षिणी भागों में यह आम धारणा है कि हर किसी के पास सोना होता है, यहां तक कि इसी उद्देश्य से निर्धन के पास भी सोना होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत सोना बेचने के लिए कुछ प्रबन्ध करने के उद्देश्य से आगे बढ़ेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो कुछ हद तक सोने की तस्करी को रोका जा सकता है क्योंकि जिन लोगों को अपने बुढ़ापे के लिए सोने की जरूरत है वे सरकारी एजेंसियों से इसे खरीद सकते हैं। यह अफीम की तस्करी को रोकने जैसा ही है, आज सरकार ऐसे लोगों को अफीम की सप्लाई कर रही है, जिन्हें दवा के रूप में इसकी जरूरत है। इसी तरह यह देखने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए कि आम आदमी, विशेषकर महिलाओं को कुछ मात्रा में सोना उपलब्ध कराया जाए।

हम समाचार-पत्रों में रोज पढ़ते हैं कि बड़ी मात्रा में तस्करी की गई वस्तुओं को बरामद किया जा रहा है। लेकिन हमारी प्रवर्तन एजेंसियों को इतना सुदृढ़ नहीं बनाया गया है जिससे कि वे समुद्र और भूमि पर भी तस्करों का सामना कर सके। तस्करों के पास सरकारी अधिकारियों से ज्यादा उन्नत साजो सामान मौजूद है। अतः इस बुराई से निपटने के लिए अधिकारियों को सभी साधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं। कभी-कभी अधिकारियों को तस्करों से धमकी भरा पत्र भी प्राप्त होता है। अपनी जान बचाने के डर से वे उनसे भयभीत रहते हैं। अतः इस बुराई से निपटने के लिए सरकार को अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

*श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1989 का स्वागत करता हूं।

मैं माननीय मन्त्री जी से सोने और चांदी के आभूषणों में सीमा शुल्क की छूट देने के लिए अनुरोध करूंगा जिनका कीमती पत्थरों जैसे हीरा, नीलम, लेपिस-लजौली और अन्य कीमती पत्थरों के जड़ाव लिए प्रयोग होता है। साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि सोने और चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए सीमा शुल्क में छूट प्रदान करनी चाहिए। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 3000 रुपए है। यदि सुनार को सीमा-शुल्क में छूट प्रदान की जाए तो उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। ऐसी छूट सोने की घड़ियों में भी प्रदान की जानी चाहिए।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

पिछले दो सालों में हमने हीरे का निर्यात कर काफी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया है। इस देश में सोना एक दुर्लभ वस्तु है। इस कमी को दूर करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को 100 ग्राम तक सोना, सोने के रूप में या आभूषण के रूप में अन्य देशों से लाने की छूट देनी चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय को कृपया इन सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। इससे आम व्ययितयों को सोने के आभूषण हासिल करने में सहूलियत होगी। इससे सुनारों के रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सुनारों को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और अतिरिक्त सामाजिक लाभ भी उन्हें प्रदान किए जाने चाहिएं। जब माननीय मोरारजी देसाई यहां वित्त मन्त्री थे तब उन्होंने स्वर्ण नियंत्रण नीति शुरू की थी जिससे अनेक सुनार बेरोजगार हो गए थे। माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी भारतीयों के सोने और हीरे के प्रति लगाव को अच्छी तरह जानते हैं। माननीय मन्त्री महोदय भी भारतीयों का इसके प्रति लगाव जानते हैं। इसलिए, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वर्ण आयात नीति की समीक्षा करें।

भारत में सोने का उत्खनन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। अतः पर्याप्त मात्रा में अन्य देशों से आयात कर सुनारों को कम दामों पर वितरित किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके। मैं माननीय मन्त्री जी को इस प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध करूंगा। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं जो माननीय मन्त्री श्री ए० के० पांजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में यह संशोधन लाना अत्यावश्यक था क्योंकि जो कारीगर हीरे की कटाई और पालिश के काम में लगे हैं उन्हें खुला माहौल उपलब्ध न होने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अनेक तरह से सीमा-शुल्क विभाग द्वारा परेशान किया जाता है।

महोदय, मैं कारीगरों के ऐसे मामलों को जानता हूं जो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस व्यवसाय में कार्यरत हैं। वे बहुत ही गरीब लोग हैं। वास्तव में वे ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जो सोने और हीरे का व्यापार करते हैं। ये कारीगर जो हीरे को काटने और पालिश का काम करते हैं, वह उन्हें अमीर व्यक्तियों से प्राप्त होता है जो हीरे के मालिक होते हैं। यह सिद्ध करना काफी कठिन होता है कि हीरे को काटने और इसकी पालिश का कार्य वे मजदूरी के उद्देश्य से कर रहे हैं और वे इसके मालिक होने की स्थिति में नहीं हैं। अब इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। यहां पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन्हीं कारीगरों के परिणामस्वरूप आज जयपुर हीरे काटने और उसका पॉलिश करने का एक मुख्य केन्द्र है, और बड़े शहरों जैसे बम्बई और अन्य शहरों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। कारीगर जो इस व्यवसाय में व्यस्त है वे वहां इस व्यापार में वर्षों से हैं। उन्हें इस दिशा में विशेषज्ञता हासिल है। सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 123 में संशोधन करने से उन कारीगरों को सूचित सहायता मिल सकेगी, जिसे वे वर्षों से चाहते थे।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस हीरे के व्यापार से हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं। विदेशों में अशोधित हीरे इतनी कम मजदूरी पर काटे और पॉलिश नहीं किए जा सकते जैसा कि भारत में होता है। इसलिए, अशोधित हीरे बाहर से खरीदे जाते हैं और फिर उन्हें भारत लाकर काटा और पॉलिश किया जाता है और फिर उसका निर्यात किया जाता है जिससे हम काफी विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूंगा। उनका वाणिज्य मन्त्रालय से अच्छा

संबंध होना चाहिए। जयपुर और जोधपुर में आयात-निर्यात का एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए। वर्तमान में एक ऐसा कार्यालय जयपुर में है। राजस्थान के आयात-निर्यात की आवश्यकताओं को यह अकेले पूरा नहीं कर सकता है। राजस्थान से हस्तशिल्प, वस्त्र और कपड़े जैसी वस्तुओं का भी निर्यात किया जाता है। अतः मैं वाणिज्य मन्त्रालय से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें दो और कार्यालय उदयपुर और जोधपुर में खोलने चाहिएं।

माननीय महोदय ने सोने की तस्करी संबंधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। अभी भी हमें, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में सोने की तस्करी देखने को मिलती है। तस्करों ने वहां तक धंधा बना रखा है। वे पाकिस्तानी और भारतीय दोनों नागरिकों को नियुक्त करते हैं। उनके लिए यह एक साल की सजा पर्याप्त नहीं है क्योंकि कभी-कभी ऐसे लोगों की संख्या काफी होती है। एक व्यक्ति यदि जेल जाता है तो दूसरा व्यक्ति तस्करी गतिविधियों को जारी रखता है। अतः आपने सजा को एक साल से बढ़ा कर तीन साल करने की दिशा में उचित कदम उठाया है। सजा को तीन साल तक बढ़ाने के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आप इसे और ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भागों में सोने की तस्करी अक्सर जारी रहती है। इसे नियन्त्रित किया जाना चाहिए। इससे वहां पर तैनात अधिकारी भी भ्रष्ट हो जाते हैं। वे किसी भी विभाग से सम्बद्ध हो सकते हैं। अतः तस्करी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए, यह बहुत जरूरी है कि सम्बद्ध अधिनियम में कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाए।

सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 135 में आपने कहा है कि :

> "उन समस्त वस्तुओं के मामले में जिन पर धारा 123 लागू होती है और जिनका बाजार मूल्य एक लाख रुपए से अधिक है, से सम्बद्ध किसी अपराध की दशा में, कारावास के साथ-साथ जिनकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।"

आपने उन मामलों में सजा की अवधि सात साल तक बढ़ायी है, जहां तस्करी की गई वस्तुओं की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी। अब तक इसके लिए मात्र एक साल की सजा का प्रावधान था, जो सोने के तस्करों के लिए तक आसान-सी सजा थी।

श्री ए० के० पांजा : इसमें सजा का प्रावधान सात साल के लिए या कम से कम सजा एक साल के लिए थी। इसके लिए न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश यदि एक साल की न्यूनतम सजा देना चाहते हैं तो उन्हें इसका कारण स्पष्ट करना होगा। हम इसे कम से कम सजा की अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर रहे हैं।

श्री राम सिंह यादव : जब तस्करी की गई वस्तुओं की कीमत एक लाख रुपए से ज्यादा की होगी तो यह सजा सात साल की होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि न्यायालय की आम प्रक्रिया यह है कि उन्हें कम से कम सजा दी जाती है न कि अधिकतम। अधिकतम सजा बहुत ही कम मामलों में दी जाती है। अब आपने कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान किया है, इसलिए अब न्यायाधीशों को कम से कम तीन साल की सजा सुनानी होगी। तस्करी की ऐसी गतिविधियों के लिए तीन साल की भी सजा कठोर नहीं है। यह ज्यादा नहीं है। तस्करी गतिविधियों को समाप्त किया जाना चाहिए।

आपने अभी-अभी अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि सोने की तस्करी के कारण देश

की अर्थव्यवस्था का काफी नुकसान हुआ है और तस्करी की इन गतिविधियों के कारण काले-धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था कायम है। अतः इस संबंध में जो कदम उठाया गया है वह उचित है।

एक बात, जिसकी ओर हमारे पहले के वक्ताओं ने भी ध्यान दिलाया है वह है कि सीमा पर प्रवर्तन एजेंसियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। उनको वाहन उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। हमने ऐसा अनुभव किया है कि उनके पास उतने साधन नहीं हैं, जितने कि तस्करों के पास हैं।

आपको इन तस्करों की गतिविधियों को नियन्त्रित करना होगा। यह तभी सम्भव है जब आप अधिकारियों को तस्करों से बेहतर वाहन उपलब्ध कराएंगे। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करों के पास आधुनिक वाहन हैं जबकि हमारे अधिकारी इन सभी सुविधाओं से वंचित हैं। इसके परिणामस्वरूप वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वे उनसे कुशलतापूर्वक नहीं निपट सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन प्रवर्तन एजेन्सियों को आधुनिक वाहन उपलब्ध कराए जायें। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। तभी तस्करी की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है, विशेषकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में।

इन सुझावों के साथ ही मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन एक उचित संशोधन है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में इनका उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। इसे फिर से दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में हीरे और हीरे से निर्मित वस्तुएं मुख्य वस्तुएं हैं। ऐसा देखने में आया है कि विगत कुछ वर्षों से इन वस्तुओं की व्यापक पैमाने पर बरामदगी नहीं की गई है।

3.25 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सरकार ने हीरे के निर्माण में लगे लघु और मध्यम कारीगरों की सुरक्षा के उद्देश्य से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। अतः, यह विधेयक हमारे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से काफी हद तक बेरोजगारी दूर करने में सक्षम होगा। सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम लाए गए हैं। आज शहरों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए इस योजना को प्रस्तुत किया जाना एक महान कदम है। अतः, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विशिष्ट और स्पष्ट आश्वासन दिया है जिससे कि विदेशी मुद्रा अर्जन में सहयोग होगा क्योंकि हीरे का निर्माण हमारे निर्यात का एक प्रमुख अंग हो गया है। हमारे एक माननीय मित्र ने कहा है कि हीरे और अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक सराहना की जाती है।

सोने की तस्करी करने वालों तथा सोने की घड़ियों के निर्माताओं आदि द्वारा की जाने वाली तस्करी को भारत में रोकने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 में संशोधन का भी प्रस्ताव है जिसमें सजा की अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने का प्रस्ताव है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि तस्करी ने हमारे देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था कायम कर दी है। हमारे देश की समृद्धि और विकास को इन तस्करों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हर सम्भव यह प्रयास कर रही है कि तस्करी और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे द्वारा इतने अधिक कानून, अधिनियम, तस्करी विरोधी कानून और अन्य

प्रवर्तन एजेंसियों को लागू करने के पश्चात् भी रिकार्ड और आकड़ों द्वारा यह जाहिर होता है कि तस्करी की गतिविधियों में उतनी कमी नहीं आती जितना हमने अनुमान लगाया था। इसका एक कारण यह भी है कि जो लोग इन गतिविधियों में शामिल हैं वे तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सांठ-गांठ बनाए हुए हैं। उन्हें उन लोगों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है जो वास्तव में देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और जिन्हें तस्कर अपने धन और बल प्रयोग द्वारा बाध्य करते हैं। अक्सर ही ऐसा देखा गया है कि तस्करी की गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्ति ज्यादा उन्नत हथियार और वाहनों का प्रयोग जमीन पर वायु में और समुद्र में करते हैं। उनसे उसी तरह निपटने के लिए, हमें अपने प्रवर्तन विभाग तथा तस्करी विरोधी दस्तों को ज्यादा उन्नत किस्म के हथियार और वाहन उपलब्ध कराने होंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हैलिकाप्टर और अन्य आधुनिक उपकरण भी प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि तस्करों के इरादों में परिवर्तन लाया जा सके।

विभाग के कुछ कर्मठ और सक्रिय अधिकारियों को, जो अपनी जान पर खेल कर इन तस्करों का पीछा करते हैं उन्हें किसी तरह का पारितोषक या प्रोत्साहन देने के बजाय, परेशान किया जाता है। यह उचित नहीं है। उन पर ध्यान देना आवश्यक है, उन्हें हर तरह की सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इससे उन्हें तस्करी संबंधी गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलेगी।

मैं अपने अनुभव के आधार पर एक दूसरी चीज बताना चाहता हूं। मद्रास में सीमा-शुल्क कार्यालय के सामने एक बाजार है जहां कई दुकानें हैं और वहां हर तरह का तस्करी का सामान आसानी से उपलब्ध होता है। जब हमने इस संबंध में एक सीमा-शुल्क अधिकारी से पूछा तो उसने कहा कि यह उनकी आंखों में कांटे की भांति खटकता है फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे सीमा-शुल्क अधिकारियों के काम करने का यही तरीका है।

इसके अतिरिक्त इस देश के लोगों के मन में यह भावना जगानी होगी कि तस्करी की वस्तुओं को खरीदना या इन गतिविधियों में सम्मिलित होना राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो कि किसी भी समय आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर देगा। इसलिए, इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विधेयक द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 123 और धारा 135 में संशोधन का प्रस्ताव है। धारा 123 में प्रस्तावित संशोधन द्वारा हम इसके उपबंधों को और उदार बनाना चाहते हैं जबकि धारा 135 में संशोधन के द्वारा हम इसे ज्यादा सख्त बनाना चाहते हैं। ये दोनों चीज समय की आवश्यकता के अनुरूप हैं और इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं।

ऐसा देखने में आता है कि 1962 के उपरांत छोटे और मध्यम कारीगरों से व्यापक पैमाने पर सोने और हीरे की बरामदगी नहीं की गई है। इस संशोधन के पहले, इसकी जिम्मेवारी गरीब और अनपढ़ लोगों पर थी जो हीरे को काटकर और पॉलिश करके अपना जीविकापार्जन करते थे। हीरा एक निर्मातोन्मुखी उद्योग है और यह व्यापक पैमाने पर विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। हमारी सरकार का उद्देश्य हमेशा गरीब, कार्यकारी वर्ग को सहायता करने का रहा है और उन्हें बेकार परेशान न

किया जाए। वर्तमान उपबंधों के तहत हमेशा छोटे और उपेक्षित वर्ग के लोगों, छोटे और मध्यम वर्ग के कारीगरों को असंगत तरीके से परेशान किए जाने का भय बना रहता था। अतः यह आवश्यक हो गया था कि उन्हें इस प्रकार की परेशानियों से बचाया जा सके। अब उन्हें उस धारा के क्षेत्राधिकार से बाहर लाया जा रहा है जिससे कि इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।

साथ ही, मैं सरकार को विशेष रूप से वित्त मन्त्रालय को धारा 135 के उपबन्धों को सख्त करने तथा सोने और अन्य वस्तुओं की तस्करी में सजा की अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने के लिए बधाई देता हूं। यह भी स्वागत योग्य है। अतः, मात्र एक ही बार में, एक संशोधन के द्वारा जहां आवश्यकता थी वहां इसे उदार बना दिया गया और जहां कठोर बनाने की आवश्यकता थी वहां इसे कठोर बना दिया गया। यह दोनों उपाय आवश्यक थे।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले, मैं एक या दो टिप्पणियां करना चाहूंगा। सरकार द्वारा तस्करी को रोकने के लिए सभी उपचारात्मक उपायों के बावजूद भी तस्करी बड़ी मात्रा में बिना किसी रोकथान के जारी है। शायद इसमें वृद्धि ही हुई है। सीमा-शुल्क और उत्पाद कर के प्रभारी अधिकारी संसदीय समितियों के किसी भी प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाए कि देश में कितनी तस्करी की जा रही है। वे कहते हैं कि वे व्यापक पैमाने पर बरामदगी करके इस पर नियंत्रण रख रहे हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि देश में तस्करों और बेइमान व्यापारियों के द्वारा समानान्तर अर्थव्यवस्था चलायी जा रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक चुनौती भी है और खतरा भी है। हम एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। लेकिन तस्करों और कालाबाजारियों द्वारा चलाई जा रही समानांतर अर्थव्यवस्था इसके लिए खतरा बन रही है। हम इसे कैसे रोकें और हम इस चुनौती का सामना कैसे करें ? निःसन्देह मैं अपने प्रवर्तन तंत्र की सराहना करना चाहूंगा। इसके कुछ अधिकारी बहुत निर्भीक हैं और अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने काला धन्धा करने वालों और तस्करों के साथ सांठ-गांठ कर रखी है। अतः ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें उत्साहित करना हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रोत्साहन योजना है लेकिन इसे ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जो खतरा उठा रहे हैं और जिन्होंने तस्करी को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय किया हुआ है उन्हें विधिवत पुरस्कृत किया जाना चाहिए। प्रवर्तन एजेंसियों में जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित संगठनों के पास पूरा साज सामान होना चाहिए। हमने देखा कि वे बदलती परिस्थितियों का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। समय के परिवर्तन के समय तस्करों के पास बिल्कुल नवीनतम, आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरण, बिजली से चलने वाली नौकाएं, वाहन आदि हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे अधिकारियों के पास ऐसे सभी आधुनिक उपकरणों की कमी है। अतः उन्हें ये सभी चीजें प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई की जानी चाहिए।

अब मैं एक अथवा दो शब्द कानूनी हस्तक्षेप के बारे में कहना चाहता हूं। मैं किसी न्यायालय विशेष का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों में कुछ खंडपीठ ऐसे हैं जोकि अपने हस्तक्षेप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वे जांच स्तर पर आरोप पत्र तैयार करने से पहले निषेधाज्ञाएं दे रहे हैं और स्थगन आदेश जारी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय का नाम ले सकता हूं। जब वहां कुछ माल पकड़ा गया था, जब वे उसकी सूची तैयार कर रहे थे, इससे पहले कि आरोप पत्र तैयार हो, उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि उनके सामने स्थगन आदेश आ गया था। यह सब कैसे हो गया ? पूरी गम्भीरता के साथ इस पर नए सिरे से गौर किया जाना चाहिए। सोने के बारे में नीति पर फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में सोना

रखने से भ्रष्टाचार के इस ड्रामे को, जोकि हमारे देश में चल रहा है एक नया सामान मिल रहा है। उससे भी हमारे लोकतन्त्र को खतरा है। भ्रष्टाचार बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है।

जो धाराएं जिनमें संशोधन किया जा रहा है वह बहुत ही स्वागत योग्य हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सम्पूर्ण समस्या पर नए सिरे से विचार करे जिससे कि तस्करी पर प्रभावकारी ढंग से रोक लगाई जा सके और हमारे देश में जो समान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है उस पर भी नियंत्रण किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं कस्टम अमेंडमेंट ऐक्ट 1989 का समर्थन करता हूं। सेक्शन 2 के तहत अमेंडमेंट रखा गया है—

[अनुवाद]

> " "हीरे, सोने या हीरे की निर्मितियों" शब्द के स्थान पर "और उनकी निर्मितियों" शब्द रखे जाएं।"

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है जो सेक्शन 123 में क्लाज (1) में है—

[अनुवाद]

> "यह धारा सोने, हीरे, सोने या हीरे की निर्मितियों, घड़ियों और किसी अन्य वर्ग के ऐसे माल को लागू होती है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

[हिन्दी]

इसमें वे सारी चीजें निकाल दी गई हैं, डायमन्ड एण्ड वाचेज, इसमें रखा गया है—

[अनुवाद]

> "यह धारा सोने, हीरे, सोने या हीरे की निर्मितियों, घड़ियों और किसी अन्य वर्ग के ऐसे माल को लागू होती है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि आपने डायमन्ड को बिल्कुल इस प्रावधान से छोड़ दिया है, कस्टम ड्यूटी से इसको फ्री कर दिया है, क्योंकि इसके जरिए से आपको फारेन एक्सचेंज मिल रहा है, काफी पैसा उपलब्ध हो रहा है, जिसकी वजह से आपने इनको यह सहूलियत दी है।

मेरा निवेदन यह है कि छोटे-छोटे कारीगर जो डायमण्ड पालिश या अन्य प्रकार के काम करते हैं, वे मजदूर के तौर पर काम करते हैं। आपको कैसे मालूम हो गया कि डायमण्ड उनकी खरीदी हुई प्रापर्टी है, वे तो एक मजदूर के तौर से काम करते हैं। सारी सहूलियतें पूंजीपतियों को देने के लिए आपने इनको भी अन्दर घुसेड़कर इनको सारी सहूलियतें दे दीं। यह सारा काम किन्हीं अधिकारियों की मिली-भगत से किया गया है और पूंजीपतियों को यह सहूलियत दी गई है। आप जयपुर में जाकर देखिये, वित्त मंत्री भी आ गए हैं, आप जयपुर में जाकर देखिए कि हजारों लोग डायमंड कटिंग के

काम में मजदूरी करते हैं और बड़े-बड़े पूंजीपति इनको बाहर भेजते हैं। इस तरह से कैसे इन छोटे-छोटे कारीगरों को छूट दी है, किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी और अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जबकि सारे का सारा फायदा इसके जरिए बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, जो अरबों रुपए का काम डायमण्ड का करते हैं, उन लोगों को इसका सारा फायदा मिलेगा। इस तरीके से आपने जितनी छूट दी है, वह अधिकारियों की मिलीभगत से पूंजीपतियों को छूट दी गई है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इनकी छूट दी गई है, इसको निश्चित तरीके से देखना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है सेक्शन 135 के तहत एक साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। जितने गोल्ड स्मगलर्स हैं या अन्य प्रकार की चीजों की स्मगलिंग करते हैं, हजारों करोड़ रुपए का सामान यहां पर आ रहा है, आपने 1 साल से बढ़ाकर मिनिमम 3 साल कर दिया, जबकि पनिशमेंट इनके लिए 7 साल का मुकर्रर है। गोल्ड स्मगलर्स को 7 साल से कम सजा क्यों देते हैं। बहुत-सी जगहें ऐसी हैं जहां इनको गोली मार दी जाती है या फांसी लगा दी जाती है। आप इसको एक साल से तीन साल करने जा रहे हैं तो यह काफी नहीं है। जो आदमी एक हजार करोड़ रुपये का सोना लाए और पकड़ा जाए तो उसे सिर्फ तीन साल की सजा दी जाए और वह छूटकर फिर वही काम करेगा और देश की अर्थ-व्यवस्था को खराब करेगा, इससे आप कैसे छुटकारा पायेंगे। यह तीन साल कम हैं, उसको उम्र कैद दी जाए या फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि वह देश के साथ दुबारा गद्दारी न करे और देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करे। हमारे पैसे की कीमत इससे गिरती जा रही है। आज आप देखिए रुपये की कीमत तेरह पैसे भी नहीं रही है। ऐसी हालत में आपको चाहिए कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। आजकल तस्करों में कई बड़े राजनेता होने लग गए हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही न करने की वजह से इन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी हैं, कहीं इनसाफ पार्टी बन रही है तो कहीं जस्टिस पार्टी बन रही है और सारे देश में ये लोग अपने कारिन्दे बिठाकर इस देश पर छाना चाहते हैं जिससे आने वाले समय में इनको आजादी मिल जाए। इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून बनाने चाहिए। जिससे इनके दिलों में भय छाया रहे कि अगर पकड़े जाएंगे तो हमें फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह से ये लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनमें कमी आएगी। मुझे दोनों संशोधनों में जो कमी लगी है, वह मैं आपको बताना चाहता चाहता हूं। एक तो 23 के तहत आप आर्टिजन्स को सहूलियतें देना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि आर्टिजंस मजदूर हैं और वे मजदूरी करके कमाते हैं। वह न तो एक्सपोर्ट करते हैं। वह तो बड़े-बड़े लोग करते हैं जो हजारों, करोड़ों रुपए का निर्यात करते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। इसका फायदा उन्हीं पूंजपतियों को मिलेगा। यह बात सही हो सकती है कि अगर वह ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके हमें विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराएं, लेकिन आपने आर्टिजन्स को, गरीब लोगों को सहूलियत देने के लिए कहा है, वह इसमें स्पष्ट नहीं होता है। आप जयपुर में जाकर देखें या और कहीं जाकर देखें जहां डायमण्ड का काम होता है तो आपको पता चलेगा कि डायमन्ड का व्यापार कौन कर रहा है, इसका मालिक कौन होता है। जिनको आप सहूलियत देने की बात करते हैं वह आर्टिजन्स केवल मजदूरी करते हैं। न तो वह व्यापार करते हैं और न ही एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा सुझाव है कि आपने सजा का प्रावधान एक साल से बढ़ाकर तीन साल किया है तो उसको कम-से-कम आप उम्र कैद तक बढ़ायें या फांसी तक लागू करें। उनको छोटी-मोटी सजाएं देने से काम नहीं चलेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। तब जाकर ये तस्कर कम होंगे जोकि ये समानान्तर इकोनोमी चलाए हुए हैं। कोई कालाधान के बारे में कहता है कि यह तीस हजार करोड़ है, कोई कहता है कि यह चालीस हजार करोड़ है तो इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, अगर इसी तरह से इनको

सहूलियतें देते रहें। इनके खिलाफ तो सख्ती से कार्यवाही की जाए जिससे हमारे देश की इकोनोमी भी मजबूत हो और आर्थिक व्यवस्था में सुधार आए।

श्री उत्तम भाई ह० पटेल (बलसार) : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और देश के अर्थ तंत्र को बर्बाद जो यह तस्कर तस्करी से कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। जो समुद्र का किनारा है वहां भी बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। जहां तस्करी होती है उसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है और मेरा मत भी ऐसा है कि जहां भी तस्करी करते हुए किसी को देखें उसे गोली मार देनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए। बरसों से अर्थतन्त्र की जो बरबादी हो रही है, उसे रोकने के कानून में सुधार हुआ है लेकिन फिर भी इसे रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे आफिसर्स जो मौत के मुंह में जाकर तस्करों को पकड़ने का कार्य करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। देशभर में जो अच्छे अधिकारी हैं, उनको तस्करी करने वालों को पकड़ने के काम में लगाना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि उनके सामने खतरा है। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए फिर से कहता हूं कि तस्करी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को गोली मारनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि यह विधेयक चार बजे से पहले पारित करना है तब तो माननीय मंत्री को अभी उसका अन्तर देना होगा। लेकिन यहां कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जोकि इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के गडवी) : यह आज पारित नहीं किया जा सकता।

श्री ए० के० पांजा : यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो यह स्वभाविक है कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता।

सभापति महोदय : लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि यह भाग अवश्य पारित किया जाए, तब इसका विकल्प क्या है ?

श्री ए० के० पांजा : यदि संभव हो तो इसे आज पारित किया जा सकता है।

सभापति महोदय : डा० त्रिपाठी।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : माननीय सभापति जी, कस्टम्स अमैंडमैंट बिल 1989 जो इस सदन के स क्ष प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन जो स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, उसमें विरोधाभास परिलक्षित होता है। व्यास जी ने बड़ी अच्छी तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। यह बात समझ में नहीं आती, गर्वनमैंट का इनटैन्शन यह है कि मीडियम और स्माल आर्टिसन्स को सुविधा मिले। कानून की जटिलता, कानून का टेढ़ापन कानून लागू करने के लिए नागरिकों को तकलीफें जरूर देता है, लेकिन इस बिल में जो यह कहा गया है कि गरीब मजदूरों को या कारीगरों को लाभ मिलेगा, यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि 1962 में जो कस्टम एक्ट पास किया गया था, जिसमें डायमंड्स या डायमंड्स की कटिंग पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, जिसका इनटैन्शन था कि स्मगलिंग होकर डायमंड ज्यादा न आए। यह ठीक

है कि डायमंड की स्मगलिंग ज्यादा नहीं हुई, यह भी ठीक है कि इसके केसेस ज्यादा नहीं मिले लेकिन चाहे स्मगलिंग थोड़ी हो या ज्यादा, यह राष्ट्र विरोधी हरकत है, ब्लैक मनी जनरेट करती है। इसे किसी भी कीमत में बर्दाशत नहीं किया जाना चाहिए और यदि कानून का इनटैंशन छोटे लोगों के फायदे का था, या है, तो इसमें किसी भी तरह से छोटे आर्टिसन्स या मीडियम आर्टिसन्स लाभान्वित नहीं होने वाले हैं क्योंकि वह तो मजदूर हैं, पैसा लेते हैं, मजदूरी करते हैं। हीरे का व्यापार तो बिग ट्रेडर्स करते हैं, लाभ तो उनको भी मिलेगा, मजदूरों को इस कानून से किसी किस्म का लाभ मिलने की गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन दूसरी ओर जो कस्टम एक्ट 1962 के सैक्शन 135 में स्ट्रीनजैन्ट पनिशमैंट की व्यवस्था की गई है, यह प्रशंसनीय है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि कानून कितना बढ़िया बना है, इस बात का भी नहीं है कि कितने कठोर दंड की व्यवस्था की गई है, प्रश्न इस बात का है कि अपराधी कड़े कानून के तहत दंडित हो सकता है या नहीं हो सकता है लेकिन वह मशीनरी जो इस तस्करी को रोकने के लिए कार्यरत है उसको एन्करेजमैंट भी मिलना चाहिए और इन्सैंटिव भी मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर वही एजेन्सी, मशीनरी स्मगलिंग कराने में हिस्सेदार हो तो इस कानून में या प्रचलित कानूनों में या किसी भी कस्टम एक्साइज कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर एग्जीक्यूट करने वाली मशीनरी ही स्मगलिंग को बढ़ावा देती है स्मगलिंग कराने में उसका इन्वाल्वमैंट है या किसी भी तरीके से स्मगलिंग को रोकने में डैलीब्रेटली हिस्सेदार बन रही है तो उस पर कैसे काबू पायेंगे ? यह दुखद पहलू है।

आज इस देश की सारी अर्थ-व्यवस्था ब्लैक मनी से और स्मगलिंग से बिल्कुल हिल गई है, चरमरा गई है। मैं निवेदन करूंगा कि दंड की व्यवस्था को कठोर किया जाये। 3 वर्ष बहुत कम है ऐसे लोगों के लिए जो राष्ट्र-विरोधी हरकतें करें। इनको और कड़ा बनाया जाये। मंत्री महोदय इसको स्पैसेफिकली बतायें कि कैसे इस परिवर्तन के बाद, जब डाइमंड को इसके परव्यू से निकाल देंगे तो कैसे स्माल और मीडियम आर्टिजन इससे लाभान्वित होंगे ? ऐसा प्रतीत होता है कि उनके नाम पर बड़े लोगों को अनावश्यक और अनुचित लाभ मिल जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें फिर से विचार करने की गुंजाइश है 2 माननीय मंत्री जी पास होने से पहले इसको देखें ताकि छोटे लोगों के नाम पर बड़ों को लाभ न मिल सके।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मुझे दो, तीन बातें कहनी हैं। मैंने राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स का अध्ययन किया है, उसमें आधे से ज्यादा लोग जैम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्टर हैं। यह बात सही है कि आर्टिजन के नाम पर जो कन्सैशन दिया जा रहा है, वह नॉन-आर्टिजन को कहां मिल पाएगा, वह बड़े-बड़े लोगों को मिलेगा, आप उसको लीगलाइज करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप डाइमंड के आर्टिजन को पकड़ लीजिए कि कहां से डाइमंड का सीजर हुआ, कहां से रफ डाइमंड लाये और उसको एक्सपोर्ट किया। इस कंट्री में डाइमंड के एक्सपोर्ट से और जैम-ज्वैलरी के एक्सपोर्ट से बहुत फारेन एक्सचेंज आता है, यह बात सबको मालूम है। मंत्री जी को शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो कामर्स मिनिस्ट्री से पता कर लें कि गोल्ड ज्वैलरी की भी बहुत डिमांड है खासकर उन कन्ट्रीज में जहां कि इंडियन्स सैटिल कर गए हैं। कनाडा में, यू० एस० ए० में और दूसरे कंट्रीज में बहुत डिमांड है। आप गोल्ड के आर्टिजन को कैसे पकड़ियेगा, कैसे कहियेगा कि तुम स्मगल कर के गोल्ड लाये ? दो स्टेंडर्ड कैसे एक जगह कीजियेगा ? आप इस पर फिर से विचार कीजिये। इस लोग में शादी ब्याह में सोना आवश्यक समझते हैं; कम से कम 10 ग्राम सोना मंगल-सूत्र के लिए आवश्यक है इसलिए आपको गोल्ड की नीति पर ठंडे दिल से विचार करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि गोल्ड की स्मगलिंग को बढ़ावा दीजिए लेकिन कोई न कोई ऐसा उपाय कीजिए

कि गरीब आदमी को साधारण आदमी को कम से कम 10 ग्राम सोना उपलब्ध हो सके, गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिले या किसी और जगह से मिले और उसको वह प्रीजर्व कर सके, यह बहुत जरूरी है। हमारे 5 हजार साल के इतिहास को आप देखें पहले भी सोना इस देश में पाया जाता था और लोग सोना रखते थे आप इस पालिसी पर फिर से विचार कीजिए ताकि सोना लोगों को रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध हो। आज भी नेपाल से दुनिया भर का सोना स्मग्ल होकर आ रहा है।

नारकोटिक्स इस देश में इसके परव्यू में नहीं जा रहे हैं लेकिन इस देश का यूथ बर्बाद हो रहा है इस देश में नारकोटिक्स स्मग्ल हो रहा है। आप स्मगलिंग की बात करते हैं, आज पालिका बाजार में हर तरह के इलैक्ट्रानिक गुड्ज एवेलेबल हैं। आप कुछ कर के देखिए, स्मगलिंग करने वालों पर सख्त एक्शन लीजिए लेकिन लोगों के मन में यह होगा कि सोने पर यह रोक क्यों नहीं लगाई गई ? आप सोने की स्मगलिंग पर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि थोड़ा-सा सोना शादी-ब्याह के अवसर पर लोगों को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

4.00 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या हम अगले विषय को लेने से पहले दस मिनट का और समय ले लें और इस विधेयक को पूरा कर लें। यदि माननीय सदस्य सहमत हों···

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : हम अगले विषय को 4.10 म० प० पर लेंगे।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : सभापति महोदय, क्या आप कृपया मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में एक विवरण रखने की अनुमति देंगे ? उसके बाद मुझे राज्य सभा में जाना होगा और उन्हें वहां प्रस्तुत करना होगा।

सभापति महोदय : ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं।

4.01/2 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के दूसरे बैच के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

4.01 म० प०

सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—जारी

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : महोदय, मुख्य मुद्दे के बारे में जो कि माननीय सदस्यों द्वारा वाद-विवाद में उठाया गया है, इस संशोधन का पहला भाग फायदे के लिए है···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : सभापति जी, अजेय सिंह के मामले में सरकार को अपना वक्तव्य देना चाहिए। आज उनका बयान आया है कि बिन चड्ढा और अमिताभ बच्चन को उनके समान देखा जाए। हम बिन चड्ढा को उसी नजर से देखते हैं। जब उनके पिता ने बड़े-बड़ उद्योगपतियों को बंद किया था उस समय उनकी समझ में कुछ नहीं आया और न ही उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी ही लिखी। सरकार इस बारे में स्टेटमेंट दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब उस विषय को नहीं ले सकता।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। (व्यवधान) सभापति जी, इनके पिता के कामर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद 17 बैंकों में इनका बैंक बैलेंस हो गया और जमाने भर की प्रापर्टी इन्होंने लंदन और न्यूयार्क में खरीद ली। इनके पिता ने यहां तक कहा कि इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री सलाउद्दीन (गोड्डा) : सभापति जी, यह एक अहम सवाल है। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम विधेयक के मध्य तक पहुंच गए हैं। क्योंकि विधेयक पर चर्चा चल रही है, अब आप किसी अन्य विषय को नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : सरकार स्टेटमेंट देकर यह बात सामने लाये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति जी, यह आपके बिल से ज्यादा महत्व रखता है। सारे देश का सवाल है। गलत लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और सरकार को स्टेटमेंट देना ही चाहिए।

श्री रामेश्वर नीखरा : चाहे कोई वित्त मंत्री का बेटा हो या जनता दल के किसी नेता का बेटा हो या रामेश्वर नीखरा का ही बेटा क्यों न हो, सबके लिए कानून समान होता है। इससे किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार को अवश्य इस बारे में स्टेटमेंट देना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे को नोट कर लिया गया है। यदि पत्रों को औपचारिक रूप से सभा पटल पर रखा जाता है और यदि उन्हें सभापति द्वारा अनुमति दी जाती है, तो हम निश्चित रूप से सभी तथ्यों को रखेंगे···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय; कृपया संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में वाद-विवाद का उत्तर दीजिए ।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक इस संशोधन विधेयक के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये मुद्दों का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य किए गए उपबन्धों को ध्यानपूर्वक देखें, यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये फायदे छोटे कारीगरों को दिए जाएंगे । यह सच है कि धनी लोग हीरों के व्यापार में लगे हुए हैं । लेकिन अब क्या है कि इस संशोधन के बिना इस समय सबूत का दायित्व अपरिष्कृत हीरा रखने वाले व्यक्ति पर है । जब मेरा अधिकारी वहां जाता है और जब वह कारीगर के हाथों में कुछ अपरिष्कृत हीरे देखता है, उसे यह सिद्ध करना होता है कि यह तस्करी किया हुआ नहीं है —यह उस व्यक्ति का दायित्व बन जाता है और एक भारी दायित्व निभाना होता है । इसीलिए, यह उपलब्ध किया गया है । लेकिन यह वही अधिकारी होता है जो वहां जाता है और जो उन चीजों को पकड़ता है । उसे सबसे पहले प्रथमदृष्टया यह साबित करना होगा कि ये चीजें तस्करी की चीजें हैं । इसीलिए यह मालिक के फायदे के लिए है । यह सच नहीं है कि धनी लोगों को उससे छूट है । मैं धनी और निर्धन के बीच इस देश के कानून के अन्तर्गत अन्तर नहीं कर सकता । लेकिन मुख्य व्यक्ति जिनके पास हीरे को काटने अथवा उसे पालिश करने अथवा किसी प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाने के समय वास्तव में ये चीजें उनके पास होती हैं, वे निर्धन शिल्पी हैं । उन्हें किन्हीं अधिकारियों द्वारा उनसे रसीद दिखाने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लिए रसीद दिखाना सम्भव नहीं है ।

यह सच है कि यह अधिनियम 1962 में बनाया गया था और हम यह संशोधन 1989 में ला रहे हैं । कारण यह है कि हीरों के आयात में वृद्धि हुई है । इसलिए हमने कुछ उदारता बरती है । यहां हमारे अपने अच्छे कारीगरों के निपुण हाथों द्वारा उसे काटने के बाद विश्व बाजार में उसकी बहुत अच्छी मांग हो जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है । इसीलिए यह दिया जा रहा है ।

जहां तक सजा की अवधि का सम्बन्ध है, उनके लिए सात वर्षों के लिए सजा की व्यवस्था है । परन्तु उसमें एक प्रावधान था कि वह न्यायाधीश जो किसी मामले को देख रहा है, वह अपने निर्णय में कारण बताकर कम से कम एक वर्ष की सजा दे सकता है । विभिन्न निर्णयों को देखने से ऐसा लगता है कि कई मामलों में एक वर्ष की सजा दी जाती है । अतः इस प्रस्तावित संशोधन के द्वारा एक वर्ष के स्थान पर न्यूनतम सजा तीन वर्ष की करने का प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु सात वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान अब भी है । सभा ने नशीले पदार्थ सम्बन्धी मामलों में दोषी पाये गये व्यक्तियों के लिए मृत्यु-दंड निश्चित किया है । इस स्थिति में, सभी तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान उचित नहीं है और यह दंड स्थिति की वास्तविकता के अनुसार ही दिया जाना है ।

जहां तक "स्वर्ण नीति" का सम्बन्ध है, कई सुझाव दिये गये हैं । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, दो समितियों का गठन किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी हैं । एक प्रक्रियात्मक पक्ष पर आधारित है और दूसरा अन्य मौलिक पक्षों पर आधारित है । दोनों ही रिपोर्टें एक मंत्री दल को दी गई थीं । उन्होंने इस पर विचार किया है । उन्होंने रिपोर्ट पूरी भी कर ली है । अब किसी भी समय, "स्वर्ण नीति" के बारे में सरकार अपने अन्तिम निर्णय की घोषणा कर देगी ।

ये वे मुद्दे हैं जिन्हें माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करते हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और खंड 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए० के० पांजा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.09 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

प्रो० संफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं हार्दिक दुःख के साथ देश में व्याप्त अत्यधिक साम्प्रदायिकता के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में, जैसी स्थिति इस समय मैं देख रहा हूं, यह स्थिति सर्वव्यापी हो गई है। पिछले दशक के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में बात करने का कोई लाभ नहीं है। जमशेदपुर, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, भिवंडी, मुरादाबाद और अभी हाल ही में मेरठ में जो घटनायें घटीं, हमें उनकी याद ताजा हैं।

4.10 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

परन्तु हम इस वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि साम्प्रदायिक दंगे जो अभी कुछ दिन

पहले हुए थे, उनका एक भिन्न स्वरूप है। शायद आप जानते हैं महोदय, कि केवल राजस्थान और गुजरात में ही पचास स्थानों पर दंगे हुए थे···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : तीस दिनों में चौवन स्थानों पर हुए थे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अतः उन्होंने चार और जोड़ दिए हैं। शायद उन्होंने बदायूं को भी शामिल कर लिया है। महोदय, इस समय यह स्थिति पूर्व स्थिति से भिन्न है। यह एक गम्भीर स्थिति है। यह स्थिति राष्ट्र हित के लिए हानिकर है। मैं मुस्लिम समुदाय के लिए चिंतित हूं क्योंकि उस समुदाय से सम्बन्धित होना मेरे लिए गौरव का विषय है परन्तु पहले मैं अपने देश के लिए चिंतित हूं क्योंकि राष्ट्रमंडली में भारत का सम्मान है क्योंकि यह एक समाजवादी देश है, यह एक धर्म-निरपेक्ष देश है और समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता का मूल आधार दांव पर है। परन्तु इस समय विदेशों में मेरे देश भारत की छवि इसी साम्प्रदायिकता के कारण बिगड़ रही है।

मेरे लिए सर्वाधिक दुःखपूर्ण बात यह है कि इस समय राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दलों में से एक राजनैतिक दल साम्प्रदायिक दंगा-फसाद को बढ़ावा देने वाली विघटनकारी ताकतों में सबसे आगे है। पिछले दो वर्षों के दौरान मैंने भारतीय जनता पार्टी के हिन्दू सम्प्रदाय के साथ राजनैतिक प्रभाव को प्राप्त करने का खेल करीब से देखा है। इन्होंने आर० एस० एस० के साथ भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को नीति और कार्यक्रम दिए और शिव सेना को पर्याप्त मात्रा में स्नेह, प्रेम और समर्थन दिया। मैंने बहुत बारीकी से यह देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हेडगेवर शताब्दी समारोह का प्रयोग किया और उसका फायदा उठाया और निश्चित रूप से यह बी० जे० पी० के ही कार्यकर्ता थे जो रेलवे प्लेटफार्मों, डाकघरों और सभी सार्वजनिक स्थलों के चारों ओर पोस्टरों "**भारत देश में रहना होगा, हिन्दू बनके रहना होगा**" जैसे पोस्टर लगाने के कार्य में लगे हुए थे। मैंने इसे देखा था। मैं हिन्दी नहीं जानता हूं परन्तु क्योंकि यह एक सम्मिलित रूप से किया गया प्रयास था, अतः उन्होंने इन पोस्टरों को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बनाया था। मैंने उर्दू में भी इन पोस्टरों को देखा और मैंने व्यक्तियों से कहा कि वे मुझे बतायें कि हिन्दी पोस्टर में क्या छपा है। और यह अंग्रेजी में भी था। पुनः यह बी० जे० पी० का ही उद्देश्य था कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय "मुस्लिम समुदाय" को आतंकित किया जाये क्योंकि बी० जे० पी० ने यह सोचा कि मुस्लिम समुदाय को आतंकित किये बिना भारी वोट-बैंक बनाना उसके लिए अत्यन्त कठिन होगा। बी० जे० पी० कोई धार्मिक नाटक नहीं रच रही है क्योंकि हम जानते हैं कि **शिला पूजन** क्या है। इसमें कुछ भी धार्मिक नहीं है। मैं बाद में उस पर भी कहूंगा। यह सारा राजनैतिक खेल है और बी० जे० पी० के राजनैतिक विश्लेषक इस बात को जानते थे कि मुस्लिमों को आतंकित करके वे कांग्रेस पार्टी को भी क्षति पहुंचा सकते हैं।

बी० जे० पी० ने बाबरी मस्जिद विवाद से भी फायदा उठाया और वह भी भरपूर फायदा उठाया। दुर्भाग्य से, सरकार की निष्क्रियता से इसके शरारती तत्वों को समर्थन मिला। बाबरी मस्जिद के बारे में क्या विवाद है ? मैं पुनः एक प्रश्न पूछता हूं केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र हित में यह प्रश्न है कि वर्ष 1949 में वह कौन-सा व्यक्ति था जो पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया और उसे बताया कि रात्रि में कोई व्यक्ति एक प्रतिमा के साथ आया, उसने दरवाजा तोड़ दिया अथवा मस्जिद में प्रवेश करके वहां मूर्ति रख दी ? वह एक हिन्दू था। वह कौन व्यक्ति था जिसने भूख-हड़ताल की ? वर्ष 1949 में वह व्यक्ति भी अक्षय पंडित था जो राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि मस्जिद को मन्दिर बनाया जा रहा था। और ग्यारहवें दिन, एक महान आत्मा

श्री लाल बहादुर शास्त्री के हस्तक्षेप से और उनके इस आश्वासन से कि हम इस देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ने नहीं देंगे उन्होंने अपना व्रत तोड़ा और उन्होंने इन्हें बताया, हम बचपन से ही मस्जिद को देख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इसे मन्दिर में बदल दिया जाए क्योंकि यह "हिन्दूवाद" के लिए कोई गर्व की बात नहीं होगी। वह एक सच्चे हिन्दू थे और वह एक सच्चे हिन्दू ही बने रहे। सभापति महोदय, वह कौन था जो राजस्व रिकार्ड सहित जिला न्यायाधीश के पास गया तथा जिसने अयोध्या के जिला न्यायाधीश के सामने सबूत पेश किया तथा राजस्व रिकार्ड पेश किया और सत्र न्यायाधीश के सामने सबूत पेश किया कि यह एक खाली जमीन थी और एक मस्जिद बनाई गई थी, शताब्दियों से कोई झगड़ा नहीं था और इसका सम्बन्ध मुस्लिमों से है? वह पंडित बोगरा थे। वह कश्मीरी पंडित थे जो उस समय जिला मजिस्ट्रेट थे। यही पर्याप्त सबूत है कि यह मुस्लिमों से संबंधित है।

महोदय, हमें इस देश में शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दता से रहना है। अतः जब वहां झगड़ा होना है तब आप न्यायालय में जाते हैं और इस समय देश के मुस्लिम न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि न्यायालय में उन्हें न्याय मिलेगा। परन्तु मैं कहता हूं कि विघटनकारी ताकतें जिनका नेतृत्व इस समय बी० जे० पी० के हाथ में है वे मुसीबतों को बढ़ावा दे रही हैं। वे अब कह रहे हैं कि वे न्यायालय के फैसले की ओर नहीं देख रहे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह सभा के सामने है कि बी० जे० पी० जो इस समय इन सम्प्रदायिकतावादियों का अगुआ बनी हुई है, वह न्यायालय के फैसले से सहमत होने को तैयार नहीं है। महोदय, हमारे पास ग्राफ प्रिक्चर हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं। हमारे पास आंकड़े और तथ्य हैं और मैं आपको इस स्थिति में बताता हूं कि प्रेस अपना कर्तव्य निभा रही है। प्रातः काल में भी मुझे कई समाचार-पत्र मिले और मैंने उन सभी को पढ़ा। यहां तक कि "इंडियन एक्सप्रैस" जो अपने आप में ही विशिष्ट है। और सभी राष्ट्रीय अखबारों ने हमें सावधान कर दिया है। जहां तक साम्प्रदायिकता में वृद्धि का सम्बन्ध है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। वे हमें बता रहे हैं कि बी० जे० पी० हिन्दूओं को गुमराह कर रही है। मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्र में सभी हिन्दू और मुसलमान शांतिपूर्वक रहते हैं। उनमें कोई घृणा नहीं है। परन्तु वे एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि हिन्दू उन्हें हरा देंगे क्योंकि वे हिन्दूओं का गलत प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि सभी हिन्दू मुस्लिमों के खिलाफ हैं और यही सारी स्थिति नहीं है और प्रेस ने बी० जे० पी० नाटक के बारे में हमें सावधान कर दिया है। महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि वहां कई कहानियां हैं। मैं उन्हें सभा को नहीं बता रहा हूं। परन्तु उन्होंने हमें सतर्क कर दिया है और हम सतर्क नहीं होते। यही स्थिति है। अब बी० जे० पी० इन सभी साम्प्रदायिक ताकतों का नेतृत्व कर रही है और "शिला पूजा" अथवा "समारोह" का आयोजन किया जा रहा है। एक भारतीय के नाते मेरा एक प्रश्न था और राष्ट्र-हित में भी अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं। संभवतः गृह मंत्री को इसका उत्तर मिल जाये। वह उन व्यक्तियों से सलाह कर सकते हैं जो 'वेदों' का ज्ञान रखते हैं परन्तु हिन्दू धर्म को नहीं जानते। इन "शिला" समारोहों की मंजूरी किसने दी? ये धार्मिक नहीं हैं वे सभी राजनीतिक हैं। क्या कोई व्यक्ति मुझे उपलब्ध पुस्तकों और साहित्य के माध्यम से विश्वास दिला सकता है कि "शिला पूजा" की हिन्दू ग्रन्थों के अनुसार अनुमति है? यह सारा राजनीतिक खेल है और किस प्रकार से बी० जे० पी० इसे प्रकट कर रही है। हम सब इससे अवगत हैं। केवल दो दिन पूर्व "खान मार्केट" क्षेत्र में जब उन्होंने "शिला पूजा" की, तब श्री अडवाणी जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस रीति का आयोजन किया और वह इस

समारोह के "गुरु" थे और तब इस "शिला" को कई बस्तियों में ले जाया गया जहां इसे शांतिपूर्वक देखा गया। मैं नहीं जानता। संभवत सरकार को इसकी स्पष्ट जानकारी हो परन्तु इस सारे नाटक को बहुत शांतिपूर्वक देखा जा रहा था और इस पर गांव स्तर पर एक जानकारी एकत्र की जा रही है तथा मैं समाचारपत्रों का शुक्रगुजार हूं क्योंकि वे हमें जानकारी देते रहते हैं। केवल इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों के भरोसे हमारा काम नहीं चल सकता है, हम लोक सभा में बैठकर यह नाटक नहीं देख सकते हैं। समाचार पत्रों में अनेक बातें प्रकाशित हुई हैं। वहां 3,50,000 शिलाओं का जुलूस निकाला जायेगा इन शिलाओं को गांवों से लाया गया है तथा वे अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 नवम्बर तक यह शिलान्यास समारोह चलेगा। महोदय, तब मजिस्ट्रेट ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं ? वे भूमि की अनुमति किस प्रकार दे सकते हैं क्योंक्ति उन्हें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? मुसलमानों, हिन्दुओं और अन्य सभी संबंधित लोगों को यह निर्णय, चाहे जैसा भी हो, मानना चाहिए। यद्यपि इस बात के पक्के सबूत हैं कि यह मस्जिद मुसलमानों की है परन्तु वे यह नहीं कहते हैं कि आप इसे हमें दे दीजिए। वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे क्योंकि यह उनकी तरफ से न्याय नहीं होगा ? उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए। परन्तु भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। मैं यह नहीं समझता कि सरकार इस समारोह को जो जारी रखने की अनुमति किस प्रकार देगी। बूटा सिंह जी ने बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐसा ही ध्यान देने का प्रयास किया है। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से समझता हूं कि दोनों पक्षों के नेताओं के साथ लगातार छः अथवा सात घंटे की बैठक के बाद उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है। परन्तु अब उन्हें अवसर का लाभ उठाना पड़ेगा तथा उन्हें इस स्थिति का जवाब देना पड़ेगा जिसे वे नहीं कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों की तरह अयोध्या में खान मार्किट में भी वे बता रहे हैं कि वे यह शिला समारोह कब निकालेंगे :

[हिन्दी]

"सौगंध राम की खाते हैं—हम मंदिर वहीं बनाएंगे।"

कैसे बनाएंगे ?

[" سوگند رام کی کھاتے ہیں ۔ ہم مندر وہیں بنائیں گے"
کیسے بنائیں گے ؟]

[अनुवाद]

यह कैसे संभव है ? मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अराजकता फैलाना चाहती है। क्या आप इसकी अनुमति देंगे ?

महोदय, मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है, वे इस प्रकार से इस शिला पूजा की अनुमति कैसे देंगे तथा आगामी दिनों वे ऐसे कैसे चाहेंगे, 10 नवम्बर तक क्या होगा, क्या वे मूक दर्शक बने रहेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वे मूक दर्शक बने रहें। मैं इस तर्क पर बल दे रहा हूं। हमने सरकार को हेडगेवार के सम्मेलन पर सचेत किया था परन्तु उस समय सरकार ने भी सुरक्षात्मक भूमिका नहीं निभायी। महोदय, अब कांग्रेस दल की जिम्मेदारी है। सरकार तथा दल में दल सर्वोच्च है क्योंकि दल कुछ लोगों के हाथों में कुछ सत्ता देता है। मैं कांग्रेस दल से एक प्रश्न पूछता हूं। आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए। आपको कम्युनिष्ट

दलों—भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा फारवर्ड ब्लाक का समर्थन प्राप्त है कम से कम इस विवाद पर उनमें मतभेद नहीं है। आप इन दलों को बुलाइए। जहां तक जनता दल का संबंध है, मैं समझता हूं कि वी० पी० सिंह की दोहरी नीति है। एक तरफ वह अपने मुस्लिम सहयोगियों की सलाह से मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने अक्सर कहा है कि जाकर धरना दो और 'हजरत मुहम्मद के जन्म दिवस के अवकाश की मांग करो।' सरकार को यह कार्य अपने विचार से करना चाहिए। परन्तु वे भी कुछ भूमिका निभाना चाहते हैं। यदि वी० पी० सिंह की कोई राजनीति नहीं है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम विरोध करना चाहिए। वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह दोनों तरफ से लाभ उठाना चाहते हैं। वह ऐसा नहीं कर सकते। परन्तु कांग्रेस दल को, जो सबसे बड़ा दल है तथा जिसने धर्मनिरक्षेपता का सिद्धांत अपनाया है अवसर का लाभ उठाना है। उन लोगों को आमंत्रित किया जाए जो उनकी दृष्टि में राष्ट्रवादी हैं। कम से कम कम्युनिस्ट तो आपका समर्थन कर रहे हैं आप उन्हें आमन्त्रित कीजिए और जोरदार राष्ट्रव्यापी चर्चा कीजिए।

मैं चाहता हूं कि सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्य पर, जो वह हाल में कर रही है, ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर यह एक नया दृष्टिकोण है। पहले उनका दृष्टिकोण पूर्णतः मुस्लिमों के विरुद्ध था। परन्तु अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नये दृष्टिकोण के आयामों को बताता हूं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक स्थिति का, जहां कहीं वे पहुंच सकते हैं, लाभ उठाना चाहती है। आप उर्दू को दर्जा दीजिए। वे समझते हैं कि मुस्लिमों को खुश किया जा रहा है। उर्दू अकेले मुसलमानों की ही भाषा नहीं है। हिन्दुओं और सिखों ने भी इसे अपनी भाषा बनाया है। वे हिन्दू वोट लेने अथवा हिन्दू वोट बैंक बनाने के नाटक में इसे भूल गए—रतन नाथ प्रसाद, ब्रज नारायण चकबास, त्रिलोक चन्द महबूब, सपरू, दत्तात्रेय काशी और अनेक व्यक्ति जैसे प्रेम चन्द तथा कृष्ण चन्द तथा वर्तमान में भोपाल मित्तल तथा गोपी चन्द नारंग और दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उर्दू को भाषा बनाया है। यह ऐसी भाषा है जिसने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता को सुदृढ़ किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उर्दू भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम थी। यह हिन्दू वोट को संगठित करने का नाटक है। उन्होंने बदायूं में साम्प्रदायिक दंगे क्यों कराये ? वे कहते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना चाहिए। यह केवल कश्मीर में असन्तोष पैदा करने की बात है वे दूरस्थ लद्दाख तक में हिंसा फैलाने जाते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले आडवाणी जी बम्बई गये थे और वहां जाकर उन्होंने कहा कि महात्मागांधी राष्ट्रपिता नहीं हैं। यह शर्म की बात है। मैं इस संस्था में यह कहना चाहता हूं कि यदि गोड़से ने महात्मा गांधी को शारीरिक रूप से समाप्त कर दिया परन्तु आडवाणी जी जैसे व्यक्ति उन परम्पराओं को समाप्त कर रहे हैं जो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के चारों तरफ बनी हैं। यह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा हर जगह किया जा रहा है चाहे महाराष्ट्र हो अथवा दिल्ली हो या लद्दाख हो यह भारतीय जनता पार्टी की शरारत है। यह हिन्दुओं को संगठित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा हिन्दू राष्ट्र के लिए नहीं कर रही है। आप हिन्दू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। संविधान में प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी और धर्म-निरक्षेप देश की व्यवस्था की गयी है। वे हिन्दुस्तान भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे इसकी जानकारी है कि अपनी गोपनीय बैठकों में वे श्री वी० पी० सिंह को धमकाते हैं तथा इस साम्प्रदायिक नाटक के द्वारा वे लोक सभा की कम से कम 50 सीटें प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि हिन्दू समुदाय उन्हें ऐसा अवसर देंगे। परन्तु उनकी 50 सीटें प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है। सत्तारूढ़ दल के लिए यह व्यापक प्रश्न है। यदि वे राजनीति के आधार

पर आयेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम यहां हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं परन्तु वे देश में शांति भंग करना चाहते हैं तथा इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। यह नाटक केवल अराजकता के लिए ही नहीं है बल्कि वे गृह युद्ध करा रहे हैं इसलिए गृहमंत्री को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्या वे इसकी अनुमति दे सकते हैं ? मेरा यह प्रश्न है।

महोदय, हाल ही में हमने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया है। इस संशोधन में सभी राजनैतिक दलों को धर्मनिरक्षेप और समाजवादी होने की व्यवस्था की गयी है। हमें समाजवादी तथा धर्मनिरक्षेप रहना है। इन बातों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य से हमें सम्मान मिला है। हमें सम्मान इस वजह से नहीं मिला है कि हम आत्म निर्भर हैं या हमारे पास ओ० एन० जी० सी० अथवा अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। हमारे पास यह प्रदर्शित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि हम वास्तव में धर्म निरक्षेप हैं। हम समाजवादी हैं तथा विश्व में हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वे इस छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्हें किसी विचारधारा के प्रति वचनबद्ध बनाता है परन्तु चुनाव के समय वे इसके लिए मना कर रहे हैं। क्या गृह मंत्री भारत के चुनाव आयोग के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श करेंगे क्योंकि आप किसी को भी इस देश में मनमानी करने की अनुमति नहीं दे सकते। आपको यह कुठाराघात रोकना है। इसलिए गृहमंत्री महोदय के समक्ष यह प्रश्न है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि क्या वह भारतीय जनता पार्टी का पंजीकरण समाप्त करेंगे। क्या वह भारत के चुनाव आयोग से विचार-विमर्श करेंगे ? क्या कोई न्यायालय बनाया गया है जिसमें हमें इस कुठाराघात के विरुद्ध न्याय मिल सकता है ? क्या गृह मंत्री महोदय और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न की जांच करेगी जो मैंने उठाया है ?

महोदय मैं कुछ बातें मुस्लिम समुदाय के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें धमकाने का प्रयास कर रही है। 50 करोड़ लोगों को मारना और इस समुदाय को धमकाना आसान बात नहीं है। मुझे आशा है कि मुस्लिम समुदाय अनुशासन में रहेगा। किसी जगह कुछ नेता कोई बात कह सकते हैं। परन्तु मैं जानता हूं कि मुस्लिम समुदाय अनुशासित है। वे जानते हैं कि इस संविधान में गारंटी दी गयी है। वे इस देश में आडवाणी अथवा वाजपेयी जी की दया से नहीं हैं। संविधान में उन्हें इस देश के नागरिकों के साथ-साथ समानता का दर्जा दिया गया है इसलिए वे समय और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। वे भारत की सीमाओं के अतिरिक्त किसी सत्ता की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। हमें यहीं रहना है और हमें यहीं मरना है। हमें इस देश में सम्मान के साथ रहना है। भारत का संविधान एक बाइबल है। मुझे उन लाखों लोगों की बात कहने का विशेषाधिकार प्राप्त है जो यह सोचते हैं कि भारतीय संविधान उनके सामाजिक और राजनैतिक जीवन में बाइबल की तरह तथा वे संविधान का सम्मान करते हैं क्योंकि यह उन्हें अन्य सभी नागरिकों की तरह समान दर्जा प्रदान करता है।

निस्संदेह गृह मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का जबाब देंगे। परन्तु एक उद्धरण के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। इस अंधेरे में, जो साम्प्रदायिक संगठनों विशेषत: भारतीय जनता पार्टी के संगठित प्रयास के द्वारा फैलाया है, मैं जान-ए-सार अख्तर को उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि वह एक राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। अपनी कविता में वह आपको संकेत देते हैं कि आप अपनी स्थिति को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं तथा बिना किसी विभाजन के कोई राष्ट्र चट्टान की तरह कैसे ऊंचा उठ सकता है।

[हिन्दी]

तो उनका शेर उर्दू में है, उस नज्म की दो-चार लाइनें मैं पढ़ देता हूं। इस वक्त बी० जे० पी० ने बहुत अंधेरा फैलाया हुआ है।

[تو ان کا شعر اردو میں ہے اس نظم کی دو چار لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس وقت بی جے پی نے بہت اندھیرا پھیلایا ہوا ہے]

[अनुवाद]

वे समझते हैं कि वे कांग्रेस आई को धमका सकते हैं। जनता दल को उन्होंने पहले ही धमका दिया है। परन्तु सरकार को साहस करना चाहिए तथा कांग्रेस दल को अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। आप कम्युनिस्टों तथा समान विचारों के व्यक्तियों को राजी करके बातचीत के माध्यम से इस विचारधारा को अस्वीकार कर दीजिए। इस देश को महान बनाइये तथा प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ भविष्य का निर्माण कीजिए।

[हिन्दी]

इस किस्म की बात है। जान-ए-सार अख्तर कहते हैं:

ऐ अरजे वतन मगमूम न हो···

[اس قسم کی بات ہے۔ جاں نثار اختر کہتے ہیں۔

[اے ارض وطن مغموم نہ ہو ......]

[अनुवाद]

इन फूट डालने वाले प्रयासों के बावजूद भी भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

[हिन्दी]

ऐ अरजे वतन मगमूम न हो, फिर प्यार के चश्मे फूटेंगे।
ये नस्लो नसब के पैमाने, ये जात के दामन टूटेंगे।
जहनों की घुटन मिट जायेगी, इंसान में तफक्कुर जागेगा।
कल एक मुकम्मल वहदत का, बेबाक तसव्वुर जागेगा।
तामीर नई वहदत होगी, मानवता की बुनियादों पर।
ऐ अरजे वतन विश्वास तो कर एक बार हमारे वादों पर।

[اے ارض وطن مغموم نہ ہو پھر پیار کے چشمے پھوٹیں گے
یہ نسل و نسب کے پیمانے یہ ذات کے دامن ٹوٹیں گے
ذہنوں کی گھٹن مٹ جائیگی انسان میں تفکر جاگیں گے
کل ایک مکمل وحدت کا بے باک تصور جاگے گا۔
تعمیر نئی وحدت ہوگی مانوتا کی بنیادوں پر۔
اے ارض وطن وشواس تو کر ایک بار ہمارے وعدوں پر]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मि० चैयरमैन, सर, इस देश की आजादी के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की, कुर्बानियां दीं और तब जाकर यह देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद भी, हम सब ने मिलकर इस देश को बनाया, आगे बढ़ाया, और इस काम में भी सब ने मिलकर कोशिश की, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई सबने सहयोग दिया। उसी का नतीजा है कि आज हिन्दुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत है। जब-जब भी इस देश पर बाहर से हमला हुआ है, हम सबने मिलकर उसका मुकाबला किया, चाहे 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग आप देख लीजिए. हमारी सीमाओं पर जो भी खून गिरा, वह मात्र हिन्दुओं का खून ही नहीं गिरा, मात्र मुसलमानों का खून ही नहीं गिरा, मात्र सिक्खों का खून ही नहीं गिरा या मात्र ईसाइयों का खून ही नहीं गिरा, वहां जो खून गिरा वह हिन्दुस्तानियों का था, जिन्होंने अपने बोर्डर को डिफैंड किया। आज कोशिश हो रही है कि उस सैक्यूलरिज्म की भावना को, उस भाईचारे की भावना को, जो इस देश में सदियों से बनी हुई है, किसी न किसी रूप से तोड़ा जाए। हमारी इण्डियन स्टेट की बुनियाद में सैक्यूलरिज्म की भावना विद्यमान है और सब ने मिलकर इस देश के संविधान को बनाया है, जिसका जिक्र अभी मेरे भाई सोज साहब कर रहे थे। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर इंसान का, हर शख्स का, हक महफूज है। संविधान में इसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि कुछ पार्टियां अपने निहित स्वार्थों के लिए इस देश के अमन को भंग करना चाहती हैं, इस देश की एकता को तोड़ना चाहती हैं, जिस तरह से हम मिलजुल कर इस देश का डैवलपमेंट कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं, वे हमारी उन कोशिशों को निष्फल कर देना चाहती हैं। तो इसलिए यह एक बड़ी सीरियस सिचुएशन पैदा हो गई है। यह नए किस्म का कम्युनलिज्म देश में आया है। फसाद तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब जिस ढंग से प्लान करके, पालिसी और प्रोग्राम बनाकर उसको अमल में लाया जा रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ। इसलिए मैं होम मिनिस्टर की तवज्जुह इस तरफ दिलाऊंगा कि यदि ये बातें बढ़ीं, तो इस देश को नुकसान होगा और इस देश के टुकड़े करने की जिम्मेदारी इन फोर्सेस पर होगी, जो ऐसी बातों को देश में लाकर कम्युनल फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं।

सर, बी० जे० पी० ने शुरू-शुरू में, जब वह बनी थी, तो एक नारा "हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान" इस देश को दिया था, लेकिन उनका यह नारा चला नहीं क्योंकि देशवासियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके कारण इनकी पहले इलैक्शन में कोई पोजीशन नहीं बन सकी। इसके बाद इन्होंने सोचा कि सैक्युलरिज्म की तरफ मुड़ा जाए, लेकिन वह नारा भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इस देश के लोग जानते हैं कि बी० जे० पी० एक कम्युनलिस्ट पार्टी है चाहे वह सैकुलरिज्म का पर्दा ओढ़ने की चाहे जितनी कोशिश करे। इस बात को इस देश के लोग जानते हैं। ये लोग हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता गुमराह नहीं हो सकती है। अब फिर ये लोग वही पॉलिसी लाए हैं "हिन्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तान की।" यह बात इन्होंने अपने बाम्बे सैशन में बिलकुल साफ कर दी है कि ये लोग हिन्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तान को रिप्रजेंट करते हैं।

चेयरमैन साहब, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है जिसमें सब जगह एक साजिश चलाई जा रही है। देशवासियों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। बी० जे० पी० लोगों को प्रोवोक कर रही है। इस देश की जनता को बी० जे० पी० रोज नए-नए नारों से प्रोवोक कर रही हैं, जिनका जिक्र मेरे भाई सोज साहब ने किया है। इन नारों के अलावा भी बहुत से नारे हैं, शिला पूजन के जो जलते और जुलूस निकाले गए उनमें वे नारे लगाए गए जिससे बड़ी प्रोवोकेशन पैदा हुई। इसके

अलावा गांव-गांव में वे शिला-पूजन के प्रोसैशन कर रहे हैं। ऐसी-ऐसी जगह कर रहे हैं जहां आज तक नहीं हुए। इसके अलावा अब उन्होंने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है हिन्दू वोट हासिल करने के लिए वह यह है कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए जिसमें वो प्रोवोक हों और वे उनको वोट करें। उसका दूसरा मकसद यह भी है कि जो मायानॉरिटी कम्युनिटी है, उसको डराया जाए। मैजोरिटी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है और वे अपना राज चाह रहे हैं, तो ऐसा होता ही। अगर एक कम्युनिटी जो बहुसंख्यक है, वह यदि यह कहे कि हमारा राज होना चाहिए, तो कुदरती बात है कि मायानॉरिटी कम्युनिटी वाले डरेंगे, घबराएंगे और उससे डर कर यदि मायानॉरिटी कम्युनिटी वाले कोई स्टैप उठाएं, तो जाहिर है कि सिचुएशन खराब होगी। इनकी यही प्लानिंग है।

सर, 1977 में जब जनता पार्टी पावर में आई, उस समय उसमें बी० जे० पी० भी शामिल थी। उस वक्त ये लोग महात्मा गांधी की समाधि पर गए और इन्होंने मत्था टेका था और बापू को नमस्कार किया था और इन्होंने बापू को "फादर आफ दि नैशन" कहा। आडवाणी जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी "मदर आफ दि नेशन" नहीं थे। यह जो परिवर्तन लाया गया है, यह सब आपके सामने है। इससे सिचुएशन खराब होगी।

सर, अब इन्होंने बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के सवाल को उठाया है और उसमें विश्व हिन्दू परिषद और दूसरी संस्थाएं शामिल हैं और इसके जरिए इन्होंने नई फिजा पैदा करने की कोशिश की है, जिससे भ्रम बढ़े, भेदभाव बढ़े, एक-दूसरी कम्युनिटीज में नफरत फैले। यह चीज इन्होंने पहली दफा नहीं की है। ये लोग इलैक्शन के टाइम पर हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। एक बार इलैक्शन के समय ये लोग गाय का सवाल उठाकर लाए थे लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे इलैक्शन में इन्होंने गंगाजल का पाइंट उठाया। लोगों को कहते थे कि हर आदमी गंगाजल सिर पर उठाकर लाए, घरों में जाकर लोगों को रामायण के ऊपर हाथ रखाते थे कि आप बी० जे० पी० को वोट डालें। रिलीजन का इस्तेमाल इन्होंने इस तरह से करने की कोशिश की। लेकिन मैं हिन्दुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वे इनकी बातों में नहीं आए, वे सैकुलर धारा में रहे और उस पर उनका मुकम्मल यकीन था। लेकिन अब जो सूरते-हाल इन्होंने पैदा की है वह बहुत डेनजरस है। इसे केवल सरकार को ही नहीं बल्कि तमाम पोलिटिकल पार्टी को सोचने की जरूरत है क्योंकि यह बड़ी गम्भीर समस्या बन गई है, एक बड़ी डैलीकेट सिचुएशन पैदा हो गई है। सही तौर पर इसकी बुनियाद जहां से शुरू हुई, जो यह सच है, जो यह फिक्र है, सोच और फिक्र का जो बी० जे० पी० का अन्दाज है, उसको हमें समझने की जरूरत है। इसलिए तमाम पोलिटिकल पार्टी पर जिम्मेदारी हो जाती है कि वे इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करें। सरकार तो मुकाबला कर ही रही है और करेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार मजबूत हाथों से इसका इलाज करेगी लेकिन इसके साथ-साथ यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की कि वे इसका मुकाबला गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर करें। सरकार अपना पार्ट प्ले करे, पोलिटिकल पार्टी अपना पार्ट प्ले करेगी तब जाकर इसका मुकाबला हम कर सकेंगे। इसलिए जहां तक जनता पार्टी का ताल्लुक है, मैं हैरान हूं कि वे बी० जे० पी० को साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। श्री वी० पी० सिंह बहुत कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने यह कहा है कि बी० जे० पी० का हमारे महाराष्ट्र में कोई गठबंधन नहीं है। क्या बी० जे० पी० महाराष्ट्र में और है, यू० पी० में और है, राजस्थान में और है ? बी० जे० पी० तो वही है, उसकी मैनटैलिटी वही है, उसकी सोच वही है, उसकी फिक्र वही है और फिक्र का अन्दाज वही है इसलिए श्री वी० पी० सिंह लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। उनको साफ करना होगा कि वे नैशनलिस्ट फोर्सस के साथ हैं, उन फोर्सस के साथ इकट्ठा

रहना चाहते हैं जो देश की आजादी को मजबूत करना चाहती हैं या उन फोर्सेस के साथ हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बी० जे० पी० की यह पालिसी देश को तोड़ेगी और देश को नुकसान होगा और इस बात के लिए हम सबको मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। इसके अलावा मैं यह बात होम मिनिस्टर से कहूंगा कि बी० जे० पी० की यह पालिसी है। यह फसाद सारे हिन्दुस्तान में नहीं हो रहे हैं, यह सिर्फ उस जगह में किए जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है। यह फसाद कलकत्ता में क्यों नहीं हुए ? क्या वहां हिन्दू और मुसलमान नहीं रहते ? यह आंध्र में नहीं हुए, कर्नाटक में नहीं हुए, तमिलनाडु में नहीं हुए, यह उनकी नीति है कि जहां पर कांग्रेस की हकूमत है वहां यह प्राबल्म खड़ी की जाए और कांग्रेस को बदनाम किया जाए कि कांग्रेस हकूमत करने में ना-अहल है, कांग्रेस मिनारिटीज को सम्भालने में और उनको ताफफुज देने में नाकाम रहे। असली पालिसी उनकी यह है, एक तो हिन्दु वोट कैरी करना, हिन्दु कार्ड इस्तेमाल करना और दूसरी तरफ यह कहना कि कांग्रेस ना-अहल है मिनारिटीज को तहफूज करने में। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर को यह आगाह किया जाए कि यह जो फसाद हुए हैं यह बढ़ेंगे। अखबार वालों ने उनकी इनटैन्शनस को हाईलाइट किया है और उन्होंने साबित किया है कि बी० जे० पी० की यह स्ट्रेटेजी है और यह पालिसी हैं इलैक्शन के समय। यह आज से तीन-चार साल पहले क्यों नहीं हुई ? पिछले इलैक्शन के बाद क्यों नहीं हुई। मैं आपको वार्न करता हूं कि इलैक्शन तक यह बहुत फसाद कराएंगे। इसलिए आप अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कहे कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीनजैन्ट करें और इस बात का ख्याल करें कि कोई फसाद न होने पाए। इसके अलावा मैं यह भी आपसे अर्ज करूंगा कि हरेक डिस्ट्रिक्ट में आप पीस कमेटी हिन्दू और मुसलमान भाइयों की बनायें। वहां से जो लोकल रथ-यात्रा जाती है या जो एक्शन वह वहां पर करते हैं उसके बारे में हिन्दू और मुसलमान भाई मिलकर, पीस कमेटी में बैठकर विचार करें। खासकर जो सैकुलर पार्टीज हैं, उनको आप वहां पर रिप्रेजेन्टेशन दीजिए, सी० पी० आई० और सी० पी० (एम०) और कांग्रेस पार्टी को और जो भी नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं उनको ताकि वह वहां पर ही फैसला करें, लोकल लैवल पर इसको दबा दें ताकि यह आल इंडिया इश्यू न बन पाये। इस तरह की पीस कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में आप बनायें।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का मामला एक, दो महीने पहले ही नहीं आया है, यह बहुत पहले का है। हमने उसकी सीरियसनैस को नहीं लिया। यह बड़ी डेंजरस पोटैंशियल है हमारे सामने। इसका फैसला कोर्ट करेगा। आप कोर्ट को लिखिए, रिक्वैस्ट कीजिए, फैसला तो कोर्ट को करना है, कब करेगी लेकिन गवर्नमेंट यह तो कर सकती है कि उनको कहे कि इसमें डिले से बहुत नुकसान हो रहा है और फसाद हो सकते हैं। कुछ पोलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठा रही हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप यह दरख्वास्त दें कि कोर्ट इसका फैसला जल्दी करे। अगर फैसला होने के बाद कोई पार्टी या इंडीविजुअल कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं तो फिर सरकार वहां पर है, उस फैसले को मजबूती से लागू किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि फसाद करना उनकी इंटैंशन्ज हैं और वह देश को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं इसलिए इसको जानते हुए आप एड-मिनिस्ट्रेशन को मजबूत करें और जहां-जहां स्टेट्स में आपकी फोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वहां भेजिये। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पीस कमेटीज बनाइये और जो एंटी-सोशन एलीमैंट्स हैं, जहां-जहां ये जायेंगे, यू० पी० में इनकी मेन धारा है, जहां पर ये जायेंगे, वहां पर आप पूरे मुकम्मिल इन्तजाम कीजिए ताकि कहीं शरारत न होने पाये। जितने एंटीसोशल एलोमैंट्स हैं, वह ज्यादा मौके का फायदा उठाते हैं, उनको आप स्ट्रांग हैंड से डील कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए, अदरवाइज बी० जे० पी० इस

बात पर तुली हुई है कि वह देश के टुकड़े-टुकड़े कर देगी। वह अपने वोटों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, उनको देश की कोई फिक्र नहीं है, देश की एकता की फिक्र नहीं है, आजादी की फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोटों की फिक्र है। इसलिए वह कौमुनल कार्ड यूज कर सकते हैं और पावर में आना चाहते हैं। इस तरह की जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार यह देखे कि हाऊ टू डील विद दिस प्राब्लम ? सरकार को इस तरह से डील करना है ताकि सदन के लोगों का हौसला बढ़े और सरकार को मजबूती के साथ इस सिचुएशन को डील करना है। मैं होम मिनिस्टर साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस देश में सैकुलर लोग मैजोरिटी में हैं, बहुत चन्द आदमी हैं जो इस तरह की शरारत करना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों को स्ट्रांगली डील नहीं कर सकते हैं तो देश का बहुत बुरा हाल होगा। अगर आप इस मामले को मजबूती से लेंगे, तो तमाम भाई चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, वह आपका साथ देंगे। इसलिए आपको आगे आकर इस सिचुएशन को डील करना होगा।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सभापति महोदय, इस टर्म में भी मुझे लगभग दो या तीन बार इस कौमुनल हारमनी के लिए, कौमुनल रायट्स के बारे में बात करनी पड़ रही है। यह बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इन 40 बरसों में देश के बड़े-बड़े नेताओं की कुर्बानी हुई देश में एकता बनाये रखने के लिए और बहाली के लिए। 1948 में महात्मा गांधी गये, हिन्दू और मुसलमान एकता के लिए और 1984 में हमने देखा कि इंदिरा जी ने अपनी आहुति दी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सर्वोदयी कार्यकर्ता पंजाब होकर आये थे उन लोगों से जब मैडम ने पूछा कि आपका क्या अनुभव है, आप कैसा समझते हैं, कैसे यह हल होगा, तो निर्मला देशपांडे ने कहा कि मैडम, यह सवाल इतना आसान नहीं है। यह बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद ही ठंडा होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या दो आहुतियां होने के बाद भी हम लोग समझ नहीं सके हैं। एक इंसान को 35 साल के बाद विजडम टूथ आजादी है, अक्ल दाढ़ जिस को कहते हैं, क्या देश को 40 साल के बाद भी अक्ल दाढ़ नहीं आई। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग आज बी० जे० पी० के बारे में बोल रहे हैं। वह अपनी श्रीनगर वैली में जब कोई दंगा फसाद होता है तो उसके बारे में क्यों नहीं बात करते। क्या वजह है कि हम सिर्फ अपनी कास्ट, अपने धर्म और अपने ही लोगों के बारे में ही बोलते हैं। मैंने सईद साहब से पिछली बार कहा आप भिवंडी ही की बात क्यों करते हैं, आपके यहां केरल में हिन्दू और क्रिश्चयन का झगड़ा होने की क्या नौबत नहीं आई, आपने उसके लिए क्या किया है। अगर हम पूरे हिन्दुस्तानी हैं तो मुसलमानों की रक्षा हिन्दुओं को करनी पड़ेगी और हिन्दुओं को मुसलमानों की रक्षा करनी पड़ेगी, सिखों और इसाईयों की रक्षा हम दोनों को मिल कर करनी पड़ेगी। अगर यह नहीं हुआ तो यह समझ लीजिए कि जो लोग आज भारत को बनाना चाहते हैं वह फिर से देश के टुकड़े होते देखेंगे। मैं आडवाणी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जो मातृभाषा सिंधी है क्या वह किसी जमाने में परिशयन स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जाती थी। क्या आज भी जो बम्बई में उनके अखबारात पब्लिश होते हैं क्या वे उर्दू लिपि में नहीं लिखे जाते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) वह अरबी में लिखे जाते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कम मालूम हो। मैं आपकी बात को मानता हूं। यह कहां का झगड़ा है। उर्दू को अहमियत दी गई तो झगड़ा खड़ा किया गया। मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिन्दी का कथा साहित्य प्रेमचन्द से शुरू हुआ है और उन्होंने शुरुआत उर्दू में ही की और इन्हीं प्रेमचन्द को हम सर पर उठाते हैं। चिरंजीलाल शर्माजी जो हरियाणा से चुनकर आए हैं मुझे जब एक हिन्दी के शब्द का मतलब समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई चिरंजी लाल जी,

आप शर्मा जी हैं आपको इस शब्द का मतलब अवश्य मालूम होगा, आप मुझे इसका मतलब बतायें, इस पर उन्होंने कहा कि भाई, मुझे माफ करना, मुझे तो उर्दू ही आती है। उन्होंने कभी उर्दू पढ़ने से और न हिन्दुस्तानी होने से इनकार किया। मुसलमानों को उर्दू पढ़ाने से आपके दिल में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जब आप कर्नाटक में सब भाषी लोगों के लिए कन्नड़ कम्पलसरी की और बाद में झगड़े हुए, वही दूसरी भाषा वालों को सहूलियत दी गई। मुझे नहीं मालूम कि यहां कितने कर्नाटक के लोग हैं। जब हमने उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ने की इजाजत दी तो फिर यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।

जनाब, देश में यह खेल हर वक्त खेला गया। विभाजन से पूर्व भी ऐसे झगड़े हुए। नतीजा यह निकला कि देश के टुकड़े हो गए। आज वही चीज, वही बात फिर से हम लोग दोहराने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के फिर से आप टुकड़े करना चाहते हैं। जो लोग खालिस्तानियों के लिए वहां जाकर लड़ते हैं उसमें हिन्दू होते हैं, मुसलमान होते हैं, क्रिश्चयन होते हैं और अन्य कई धर्म के मानने वाले होते हैं। फिर आपस में क्या झगड़ा है। मैं उन हिन्दुओं से पूछना चाहूंगा जो आज मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। में उनसे यह भी पूछूंगा कि आप लोगों में यह हरिजन गिरिजन, आदिवासी या बैकवर्ड क्लास से संबंधित झगड़े क्यों हैं, आप उनके हक उन्हें क्यों दे रहे हैं। क्या आप भी बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा को गोमूत्र से धोना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो माफ करना मुझे भी आज से हिन्दू कहने में शर्म लगती है।

मैं ट्राइबल हूं लेकिन मैं कन्वर्शन में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेरी बीबी क्रिश्चयन है और वह चर्च जाती है। उसने मुझे चर्च जाने के लिए कभी मजबूर नहीं किया और न ही मैंने उसे मन्दिर जाने के लिए मजबूर किया। हम में यह भावना होनी चाहिए। हमारी इबादत अपने घरों में, मन्दिरों में, मस्जिदों में और गुरद्वारों में होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने देखा कि जो स्लोगन वहां लगाए गए वह बड़े अजीब हैं। ठीक है, आपका अधिकार है। राम जन्म भूमि की जगह पर मन्दिर बनाने का और जाने क्या-क्या है, वह मैं बाद में बताऊंगा लेकिन जरा यह नारा सुनिए। मेरे पास अंग्रेजी का तर्जुमा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता : "जो स्वप्न देखते बाबर के, अरमान मिटाकर मानेंगे।" मिटाकर यानी किसको आप मिटाना चाहते हैं? किसको मिटाने की बात करना चाहते हैं, अरमान मिटाना चाहते हैं? किसी आदमी के दिन से अरमान मिटा सकते हैं वह तभी मिटा सकते हैं जब तक आप उसको खत्म नहीं करते? गलतफहमी है, इन लोगों को, यह गलतफहमी दूर होनी चाहिए। दूसरा स्लोगन जो मैंने देखा : "याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा"। किसके साथ संग्राम करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ? अपने भाइयों के साथ, जिनको आपने कांस्टीट्यूशन में विश्वास दिलाया कि हम लोग रिलीजन बेसिस पर अपने देश के टुकड़े नहीं करना चाहते। हम दोनों कौमों को एक जगह रखना चाहते हैं, दोनों जातियों को कहिए। मैं कौम कह दूंगा तो फिर बेकार गलतफहमी खड़ी हो जाएगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपना वह वादा भूल गए, ठीक है, 1977 का गांधी की समाधि पर जाना, शपथ लेना और भूल जाना सही है लेकिन जो चीजें आपने अपने संविधान में लिख छोड़ी हैं, जिस पर बड़े-बड़े लोगों ने दस्तखत किए हैं, क्या वह भी आप भुला देना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। इस देश के टुकड़े-टुकड़े होकर रहेंगे।

आज से कोई 2-3-4 रोज पहले मैंने नेशनल हैराल्ड में एक बड़ा मजेदार आर्टिकल पढ़ा था। मद्रास में एक पेपर किन्हीं चतुर्वेदी साहब ने पेश किया है और उनका यह ख्याल है, उनका यह दावा है कि हिन्दू शब्द का उपयोग बहुत दूर से शुरू हुआ है। हिन्दू नाम का कोई धर्म नहीं था, यह उन्होंने

लिखा है। मैंने पूरे पेपर्स लाने की कोशिश की लेकिन वह मुझे इनमें नहीं दिखा। आप वक्त देंगे तो मैं दूसरी बार लाकर बता दूंगा। इन सभी चीजों को हमें समझना है। बाहर की ताकतें हम लोगों में झगड़ा कराना चाहती हैं लेकिन 40 सालों में क्या हमने होश नहीं संभाला? हम क्या अभी बच्चे हैं, क्या हम दूध पीते बच्चे हैं कि कोई आकर आपको बरगला देता है और आप उसमें उलझ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे आज आपसे एक विनती करनी है और इसके बाद सिर्फ बी० जे० पी० का दोष देने से नहीं चलेगा। बी० जे० पी० को संभालना होगा, बी० जे० पी० के लोगों की भी संभालना होगा और उनके पीछे जाने वाले लोगों को भी हमको समझना होगा कि भाई लोगों आप पूजा जरूर कीजिए, वह आपका अधिकार है लेकिन उनकी दूसरी बातों में अगर आप आ गए तो देश के फिर से टुकड़े होंगे, यह मत भूलिए। उसी तरह जो लोग उस रैली में गड़बड़ करते हैं, वहां लोगों को तकलीफ देते हैं, माइनोरिटीज को तकलीफ देते हैं, उन लोगों को हमको बताना पड़ेगा कि आप यह चीज मत होने दें क्योंकि उसका री-एक्शन यहां हो जाता है और फिर यहां के लोगों की भावनाएं अगर भड़कती हैं तो आप किसी को दोष नहीं दे पायेंगे।

हमने डैमोक्रेसी को माना है और डैमोक्रेसी का राज है, डायलॉग। अगर डायलॉग ही भुला दिया तो इस देश से जम्हूरियत खत्म हो जाएगी, इस देश से डैमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, और इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि भाई अब वह वक्त आ गया है जब हम लोगों को यह समस्यायें कि आपका हिन्दू धर्म है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने देवी-देवताओं को पूजिए। मुसलमान इस्लाम मानते हैं, आप अल्लाह को पूजिए, सिख गुरु नानक को मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, गौतम बुद्ध को मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, ईसा को मानते हैं, बिल्कुल ठीक है लेकिन यह सब करते समय दूसरों के ऊपर छींटाकशी न हो, इसके बारे में थोड़ी एहतियाद बरतें। जब तक यह नहीं होगा तब तक इस देश को खतरा रहेगा, वह खतरा मिट नहीं पाएगा और इसलिए इस सदन के द्वारा मैं भारतीय जनता से यह प्रार्थना करना चाहता हूं, अब तो हमने 18 साल के बच्चों को भी वोट का अधिकार दिया है, उनको भी संभालने, संवारने, समझाने की जिम्मेदारी आप सब पर है, देश पर है, मीडिया पर है। हम उनसे कहे कि देश का एक बार विभाजन हो गया है, दूसरी बार विभाजन करने की कोशिश चल रही है, आप इससे बचिए, देश को बचाइए।

5.00 म० प०

आज के इस डिसकशन के माध्यम से मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि अगर देश के कोने-कोने में यह चीज फैल जायें, तब भी मुझे पक्का भरोसा है कि देश की जनता गलत बहकावे में आकर गलत चीज नहीं करेगी, बल्कि मजबूती के साथ आपके साथ रहेगी। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि सरकार ऐसी कोई बात होने से टाले। जो-जो उनके सैक्रेड प्लेसेज हैं, उनको बचाए, बचाव करे और उन सभी लोगों को इतमिनान दिलाए कि हम कोई ऐसी हरकत होने देने वाले नहीं हैं।

एक चीज मैं और कहूंगा, जिसका जिक्र भाटिया जी ने भी किया है, जब कभी भी झगड़े होते हैं तो देखा यह गया है कि चाहे हिन्दू गुंडा हो, मुसलमान गुंडा हो वह अपने-अपने हाथ धो लेता है। मेरी सभी स्टेट गर्नमेंट्स से प्रार्थना है कि सबसे पहले इन लोगों को ले जाकर बन्द करिए, इससे लोगों की थोड़ी तकलीफ भी कम होगी और हिन्दू-मुस्लिम रायट का खतरा भी कम होगा और अगर हुआ तो देश में अमन होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस देश की जनता समझदार है। कई बाढ़ें आ चुकी हैं। मराठी में एक छोटी सी कविता है, जहां पर बहुत बड़ी-बड़ी बाढ़ आती हैं, वहां अगर घास झुक जाए, धान का छोटा पत्ता अगर झुक जाए, तो बाढ़ के निकलने से वह फिर खड़ा हो जाता है। बाढ़ें

आती जाएंगी, गुजरती जायेंगी, आप घबराइए नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं यह शेर कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। शायद इकबाल ने कहा था धर्म तो नशा है—

"नशा पीला कर के गिराना तो सबको आता है।
मजा तो तब है गिरते को थाम ले साकी।"

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी): सभापति महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता के समय से ही हमारे देश की स्थिति बहुत ही अशांत और खराब रही है। आज इस देश में सुरक्षा की भावना बिल्कुल समाप्त हो गयी है और लोगों विशेषकर अल्पसंख्यकों का विश्वास लड़खड़ा गया है।

बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि का यह मुद्दा नया नहीं है। यह मुद्दा सिर्फ एक या दो महीने पुराना नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि का यह मुद्दा 1 फरवरी, 1986 को बाबरी मस्जिद के ताले खोलने की बात को लेकर शुरू हुआ और फिर आज यह पूरे देश में सर्वाधिक विस्फोटक समस्या बन चुका है। आज हमारे सामने यह सबसे अधिक संवेदनशील समस्या है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विगत चार वर्षों से प्रभावशाली ढंग से और मुस्तैदीपूर्वक इस समस्या के समाधान के लिए गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है। 1 फरवरी, 1986 को ताले खोल दिये गए थे। हमने शांतिपूर्ण ढंग से समझौता चाहा था। हमने प्रधानमन्त्री महोदय से बात की। हमने गृह मन्त्री महोदय से बात की। हमने अभ्यावेदन दिया और आंदोलन किया लेकिन यह सब असफल हो गया क्योंकि तब सरकार निष्क्रिय और निरुत्साहित थी। सरकार ने सिर्फ एक या दो वर्ष पूर्व अर्थात् इलाहाबाद चुनाव के बाद से इस ओर ध्यान दिया। मुझे खुशी है कि अन्ततः सरकार बात-चीत के लिए तैयार हो गई और हमने भी उनके पक्ष में ही उत्तर दिया है। हम इस वार्तालाप का स्वागत करते हैं। हमने कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए किसी भी प्रस्ताव पर जोकि न्यायोचित और अनुकूल हो हम विचार करने के लिए तैयार हैं लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरा पक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। हम इससे सहमत हैं लेकिन दूसरा पक्ष अर्थात् विश्व हिन्दू परिषद ने सहयोग नहीं किया। लेकिन फिर इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष न्यायपीठ को सौंप दिया गया था। हमने इस बात की ही मांग की है। हमने मांग की कि जब वार्तालाप असफल हो जाए तो इस मुद्दे को न्यायिक निर्णय के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष न्यायपीठ को सौंप दिया जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि जब कोई भी सहमत नहीं है तो अन्तिम रूप से अपनाया जाने वाला तरीका यह है कि मामले को न्यायिक निर्णय के लिए सौंप दिया जाए। ऐसा ही किया गया। हमने कहा कि हम न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। अभी भी हम न्याय-पालिका में कुछ विश्वास रखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय या पुनः इसी न्यायालय द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के अजीज बाशा के मामले में दिए गए निर्णय के बावजूद भी हमें न्यायपालिका में कुछ विश्वास है। हमने कहा, "हम न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।" लेकिन दूसरे पक्ष का रवैया क्या है? यह अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है। वे कहते हैं, "हम किसी भी बात से सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी भी न्यायिक निर्णय से सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं।" वे समझते हैं कि उन्होंने मस्जिद पर अधिकार जमा लिया है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? आप अच्छी तरह यह बात जानते हैं। 1949 में इस मस्जिद में ताला लगा दिया गया था। मस्जिद में ताला लगा दिया गया था क्योंकि

आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया गया था कि अनुचित रूप से चोरी छिपे रात में मूर्तियां स्थापित कर दी गई थीं। 22 और 23 दिसम्बर, 1949 के बीच रात में बाबरी मस्जिद के अन्दर चोरी छिपे और अनुचित रूप से मूर्तियां स्थापित कर दी गई थीं। मस्जिद में ताला लगा दिया गया था। इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया। उस समय पंडित नेहरू वहीं थे। सरदार पटेल भी वहीं थे। पंडित पन्त मुख्य मन्त्री थे और श्री लाल बहादुर शास्त्री राज्य में गृह मन्त्री थे। इस मामले के न्यायिक निर्णय के लिए इसे न्यायालय में ले जाने का फैसला उन्होंने किया। उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। हमने कानून भंग नहीं की। हमने बल-पूर्वक अधिकार नहीं जमाया। हमने कहा, "हम प्रतीक्षा करेंगे।" लेकिन इसका परिणाम क्या है ? कुछ लोग फैजाबाद के जिला न्यायालय में गये और बगैर सुनवाई के और अभिलेखों की जांच किए बिना ही एक पक्षीय निर्णय दिया गया और ताले तोड़ देने के आदेश जारी किए गए थे। उसका यह परिणाम है। देश में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई है। यदि इस विस्फोटक समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो देश में कत्लेआम हो जाएगा। यह तो स्थिति है। देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। यदि साम्प्रदायिक सद्भावना भंग होती है तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यूह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार को इस संबंध में ठोस कदम उठाना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आक्रमणकारी फासिस्ट शक्तियां, साम्प्रदायिक और उग्र राष्ट्रवादी शक्तियां जैसे विश्व हिन्दू परिषद, आर० एस० एस०, शिव सेना आदि शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें समर्थन मिल रहा है। वे उग्रवादी बन चुके हैं।

आज हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता की चर्चा की गयी है। हम कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारण्टी प्रदान की गयी है। हम इस संविधान का सम्मान करते हैं। हम इस संविधान की अतिपवित्र मानते हैं लेकिन क्या इसे लागू किया जा रहा है ? इसे लागू किए जाने के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं। आप कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षकारी शक्तियां बहुत ही मजबूत हैं। वे कहां हैं ? हम चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षकारी शक्तियां मजबूत बनें लेकिन देश में धर्मनिरपेक्षकारी शक्तियां मजबूत नहीं हैं। दूसरी ओर, फासिस्ट, उग्र राष्ट्रवादी, साम्प्रदायिक और आक्रमणकारी शक्तियां दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही हैं क्योंकि इन शक्तियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने समय पर प्रभावकारी कदम नहीं उठाया है। आज हम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है।

हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सरकार है लेकिन अभी भी क्या होता है ? विगत 42 वर्षों से लगातार दंगे हो रहे हैं। विगत छः महीनों में स्थिति और बिगड़ गयी है। मैं समझता हूं कि 30 दिनों में 54 दंगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन में दो बार दंगे हुए हैं। आज क्या हो रहा है ? राजस्थान में आग लगी हुई है। आज मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है। किसलिए ? उत्तर प्रदेश में हम वह सरकार नहीं ला सकते हैं जो कि उर्दू को द्वितीय राज भाषा के रूप में घोषित कर सकती हो। यह देश के दो सम्प्रदायों, हिन्दू और मुस्लिम के बीच एकता उत्पन्न करने वाली भाषा है। यह राष्ट्रीय एकीकरण है। इस प्रकार की भाषा द्वितीय राजभाषा नहीं बन सकती है। इस कारण यह हुआ था कि मुस्लिमों की हत्या कर दी गयी थी। इस प्रकार की घटना 42 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके बाद कभी नहीं। उन्हें घसीटा गया था और दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गयी थी। यह घटना देश में एक शिष्ट सरकार के सत्तारूढ़ होते हुए, देश में सेना और पुलिस के रहते हुए हुई थी। अब क्या हो रहा है ? सभी जगह राम-शिला पूजा की जा रही है। और जहां भी राम-शिला पूजा होती है वहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। मुसलमानों की हत्या की जा रही

है। मैं जानता हूं कि वहां सरकारी तन्त्र मौजूद हैं लेकिन इस मामले में वे रुचि नहीं लेते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मूर्तियां जला दी जाती हैं और अपवित्र कर दी जाती हैं। इन फासिस्ट साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा मन्दिरों को तोड़ दिया जाता है। जुलूस निकलते हैं और कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं और इसके लिए हमें दोष दिया जाता है। महोदय, हम सिरफिरे लोग नहीं हैं। इस सम्मानजनक सभा के सदस्यों की भांति हम यह बात अच्छी तरह से समझते हैं। हथियारों से लैस जुलूस निकलते हैं और हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। हम बदला लेने के लिए उन पर पथराव नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमें नुकसान होगा, हम मारे जायेंगे। हम बेवकूफ नहीं हैं जो ऐसा करेंगे। कुछ उपद्रवी फासिस्ट तत्व ऐसा कर रहे हैं। वे लोगों को हिंसा करने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं। हमें ऐसे तत्वों का पता अवश्य लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि कोटा में क्या हुआ। उन्हें इस बात का कुछ पता था कि कुछ फसाद होने वाला था। जब जुलूस निकलते हैं तो 200 पुलिसकर्मी भी नहीं होते हैं। उनका ध्यान रखने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं होते हैं। यदि कल स्थिति अधिक बिगड़ जाती है तो क्या सरकार यह सफाई देगी कि उनके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं थे? अतः इस प्रकार की स्थिति को निपटाना है। अल्पसंख्यक क्या चाहते हैं? अल्पसंख्यक लोग पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक सदभाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई शांतिपूर्वक रहे। विगत 40 वर्षों से हमारी यही धारणा रही है। लेकिन इसके बावजूद आज क्या हो रहा है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को अपमान पर अपमान, उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ रहा है। फिर हमारे हौसले को तोड़ने और आर्थिक दृष्टि से हमें कमजोर बनाने के लिए दंगे हो रहे हैं आज यही सब हो रहा है। अभी भी हम यह कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष शक्तियां मजबूत हो रही हैं और साम्प्रदायिक शक्तियां कमजोर बनती जा रही हैं। कैसे? यह बात गलत है। धर्मनिरपेक्ष शक्तियां आज प्रभावकारी नहीं हैं। यदि धर्मनिरपेक्ष शक्तियां प्रभावशाली होतीं तो इस प्रकार की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। यही बात हम आपको बतलाना चाहते हैं। ये फासिस्ट और साम्प्रदायिक शक्तियां किस बारे में कहती हैं? वे 'हिन्दू राष्ट्र' के सम्बन्ध में कहती हैं। वे धर्मनिरपेक्षता का आधार ही नष्ट करना चाहती हैं। 'हिन्दू राष्ट्र' का नारा उनके द्वारा दिया गया है। दिवारों पर यह लिखा हुआ है। इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है? दिवारों पर लिखे गये नारों को वे नहीं मिटाते हैं। वे वहीं पर लिखे रहते हैं और इससे इस देश के बहुसंख्यक लोगों की साम्प्रदायिक भावना स्पष्ट होती है। दूसरा जो नारा उन्होंने एक समय दिया वह था—

"हिन्दी, हिन्दू, रहो हिन्दुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान।"

इसका अर्थ क्या है? हम मुसलमान है लेकिन समने इस देश में जीने और मरने का निश्चय किया है। यह हमारा देश है। कोई हमें भारत छोड़ने के लिए नहीं कह सकता है। हमने इस देश के लिए अपना खून बहाया है और हमें इस देश में रहने का पूरा अधिकार है। हमें कोई यहां से नहीं निकाल सकता है। यह नारा क्या है? क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि ऐसी बातों को रोके? उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है जिन्होंने "या छोड़ो कुरान या छोड़ो हिन्दुस्तान" का नारा दिया। मैंने इस बात का उत्तर उस समय दिया जब श्रीमती गांधी उपस्थित थीं कि न तो हम भारत छोड़ेंगे और न ही कुरान। हम इस देश में मुसलमान बन कर ही रहेंगे और मुसलमान ही मरेंगे। सरकार ने इस संबंध में क्या किया है? कुछ भी नहीं। हम देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है।

जैसा मैंने आपसे कहा है कि बाबरी मस्जिद का मामला आज बेकाबू हो रहा है। इसका

समाधान लगभग चार वर्ष पूर्व निकालना था जब ताले तोड़े गए, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। जिम्मेदार कौन है ? मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता हूं, किन्तु उस समय आपके अपने लोग जिम्मेदार थे। उस समय वे आपके साथ थे, आज वे आपके खिलाफ हैं। कल वे आपके साथ थे, आज वे जनता दल के साथ हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री मेरठ के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वे नहीं रहे। उनको पुरस्कृत किया गया और केन्द्र में उन्हें मंत्रिमण्डल में स्थान दिया गया। आप कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती जा रही है। क्या यही तरीका है ?

5.17 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यहां एक बात कही गई है कि सरकार बातचीत कर रही है; उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद् के साथ समझौता कर लिया है। वे कहते हैं कि राम-शिला जुलूस निकलेंगे और देश के विभिन्न भागों से ईंटें ली जाएंगी; मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा और वहां पर एक मन्दिर की नींव रखी जाएगी। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि हम भारत में कहीं पर भी मन्दिरों के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं। मैं प्रत्येक पूजास्थल का आदर करता हूं, किन्तु हमारी स्थिति ऐसी है कि मन्दिर का निर्माण करने के लिए उसी स्थान पर आपको मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए। समाचार पत्रों के अनुसार सरकार ने विश्व हिन्दू परिषद् के साथ यह समझौता किया है कि मस्जिद नहीं गिरायी जाएगी और मन्दिर की नींव रखी जाएगी।

अब, चुनाव शीघ्र आरंभ हो रहे हैं। कृपया जनता की भावनाओं के साथ इस प्रकार खिलवाड़ मत कीजिए। प्राथमिकताएं निश्चित की जानी चाहिएं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सर्वाधिक प्राथमिकता किस बात को देंगे, देश की अखंडता, साम्प्रदायिक सद्भाव और संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को लागू करेंगे अथवा भावी चुनावों में दोनों समुदायों से मत प्राप्त करने के लिए जनता की भावनाओं के साथ खेलेंगे। हम अपने को धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक देश मानते हैं। भगवान के लिए ऐसी नीति मत अपनाइए। जनता कहती है कि आप मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं इस बात से कि आप मसजिद गिराने की अनुमति नहीं देंगे और हिन्दुओं को मन्दिर की नींव रखने की अनुमति देकर उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। प्रश्न यह रह जाता है कि आप उन्हें कहां पर नींव डालने की अनुमति दे रहे हैं ? क्या मस्जिद के समीप ही देंगे ? क्या वे वक्फ की भूमि अथवा सरकार द्वारा दी गई किसी भूमि पर नींव डाल रहे हैं ? इस प्रकार सरकार इसमें साझीदार बनेगी। वह स्थान मस्जिद से कितनी दूरी पर है ?

महोदय, हम चाहते हैं कि सदा के लिए इस मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाई जाए। यह हमारी इच्छा है। मेरे मित्र, श्री बनातवाला जो इस समय यहां हैं, ने इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने कहा कि सभी पूजा स्थल, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मन्दिर या गुरुद्वारा हो उसी स्थान पर रहें जहां पर वे 1947 में थे। यथापूर्व स्थिति बनी रहनी चाहिए। आप ने यह नहीं माना। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरदार बूटा सिंह ने व्यक्तिगत बातचीत में यह मान लिया था कि यह एक अच्छा सुझाव है। उन्होंने इस बात को सराहा। यही बात अक्षय ब्रह्मचारी ने 1949-50 में कही थी।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : व्यक्तिगत बातचीत में ही नहीं। सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया था।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : श्री बनातवाला ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया । फिर सरकार ने सामने आकर उनसे वह विधेयक वापस लेने को कहा ताकि वे एक सरकारी विधेयक ला सकें । परन्तु क्या सरकार ऐसा विधेयक ले आई ? श्री बनातवाला का विधेयक सभी पूजा स्थलों की यथा-पूर्व स्थिति बनाए रखना चाहता था जो 15 अगस्त, 1947 को थी । उनका विचार था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए । यदि सरकार ने विधेयक प्रस्तुत किया होता और यदि इस प्रकार का विधेयक तत्काल सदन में पारित किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती ।

श्री जी० एम० बनातवाला : अभी भी सरकार ऐसा विधेयक ला सकती है । आप एक सरकारी विधेयक लाते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं । परन्तु कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए यह केवल बाबरी मस्जिद का ही मामला नहीं है । आज वे मथुरा की बात करते हैं । बनारस की बात करते हैं । एक लम्बी सूची है ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वे लगभग 300 मस्जिदों की बात कर रहे हैं ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : पूरी स्थिति विस्फोटक हो चुकी है । यदि मामला नहीं सुलझाया जाए तो देश जल जाएगा । राष्ट्रीय, अखंडता भंग हो जाएगी । साम्प्रदायिक सद्भावना खंडित हो जाएगी । आपको कोई कार्यवाही करनी है । आप पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है । विशेषकर मैं आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधादेश याद दिलाना चाहूंगा । न्यायालय ने कहा कि वर्तमान पूरा स्थल के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और भवन की यथापूर्व स्थिति बनी रहनी चाहिए । यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था । अब इस निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है ? यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को सामने आकर कुछ करना चाहिए । आजकल पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की, श्री राजीव गांधी की सरकार की और जिसमें श्री बूटा सिंह गृह मन्त्री हैं, की है । पूरी जिम्मेदारी उनकी है । हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है । हमने प्रत्येक स्तर और प्रत्येक चरण पर सरकार के साथ अधिकतम सहयोग किया है । बूटा सिंह जी साक्षी हैं । हमने इस मूल समस्या के समाधान के लिए सदा सरकार का साथ दिया है । हमने सहयोग किया है किंतु दूसरा पक्ष सहयोग नहीं दे रहा है । अतः आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है विशेषकर उच्च न्यायालय द्वारा निषेधादेश पारित किए जाने के पश्चात् ।

मैं इन 42 वर्षों के दौरान उन सभी दंगों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं । आज की स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है । मैं कह सकता हूं कि मामला "जज्बाती" है । यह अत्यन्त भावुक, नाजुक और भावुकतापूर्ण मामला है और यह ज्वालामुखीय स्वरूप पकड़ रहा है । मैं आशा करता हूं कि सरकार समझ जाएगी । मैं आशा करता हूं कि किसी समझौते पर आ पहुंचेंगे । अतः इस बात की मांग की जाती है कि राम शिला जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाए । इसको आरम्भिक चरण, अर्थात् ग्राम स्तर पर ही रोक दिया जाना चाहिए । आप पहले लाखों की संख्या में जनता को इकट्ठा होने की अनुमति देकर फिर समस्या को सुलझाने की बात नहीं सोच सकते हैं । यह असंभव है । जब लाखों में जनता इकट्ठी होगी तो आप नहीं रोक पाएंगे । आपको यह भी देखना चाहिए कि यदि आपकी पुलिस स्थिति को नियन्त्रण में नहीं रख सकती है तो अयोध्या का पूरा नगर ही सेना के सुपुर्द किया जाना चाहिए । बुरी नीयत आने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली से मार दिया जाना चाहिए चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो । मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पूजा स्थलों की रक्षा करनी है । यही मुख्य लक्ष्य और विचार होना चाहिए । आपको देश बचाना है । आप को देश की अखंडता और साम्प्रदायिक शान्ति को बचाना है । इन 42 वर्षों में ऐसी स्थिति कभी नहीं उत्पन्न हुई थी । आकर्षक शब्दों में बात करना

ही काफी नहीं है। आप करते हैं कि हमारा संविधान भी तो है। हां हमारा संविधान है और मैं इस तथ्य को अस्वीकार नहीं करता हूं। आप कहते हैं कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। मैं तो इस बात को भी अस्वीकार नहीं करता हूं। किंतु कार्यान्वयन कहां है? यह बात कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है केवल तब सिद्ध होगा जब आप बाबरी मस्जिद की सुरक्षा करेंगे। क्योंकि कोई उदाहरण प्रस्तुत करने का यही सर्वाधिक सुरक्षित तरीका है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के रूप में बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते हैं। यदि आप बाबरी मस्जिद को बचाते हैं, तब आप देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना कर सकते हैं। एक बार यदि किसी मस्जिद को नष्ट कर दिया जाता है तब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया होगी। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि इस मस्जिद को अन्यत्र ले जाया जाए। इस मस्जिद को खोदा जा सकता है। मैं सोचता हूं कि श्री बाजपेयी जी का यह सुझाव था। उन्होंने कहा था कि आप इस मस्जिद को खोद डालिए और इसे किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक बार एक मस्जिद की स्थापना हो जाती है तब यह अल्लाह की सम्पत्ति हो जाती है श्री जियाउर्रहमान अन्सारी एक वरिष्ठ कैबिनेट मन्त्री जिन्होंने शाह बानो के मामले में भी अपने विचार व्यक्त किए थे, वह "फतवा" दे सकते हैं। मस्जिद की ईंटों और पत्थरों से पवित्रता नहीं होती है बल्कि पवित्रता उस स्थान की होती है जहां मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसे समझना है। अतः यब मस्जिद बन जाती है तब यह अल्लाह, अर्थात् परमेश्वर की सम्पत्ति हो जाती है। हम तो केवल प्रबन्धक एवं रक्षक हैं तथा इससे अधिक कुछ नहीं। वह सुझाव भी गलत है। इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुस्लिम समुदाय द्वारा इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाएगा। हमें जो करना है वह यह है कि मस्जिद की रक्षा की जानी चाहिए। यदि हमारे भाई बन्धु एक और श्री राम मन्दिर बनाना चाहते हैं, वे इसे कहीं दूरस्थ स्थान पर बना सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश में ऐसे कई मन्दिर हैं। आप एक और बनाना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस स्थिति को उस स्थान पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा जहां कल पुनः एक साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धा, साम्प्रदायिक हिंसा, और गृह-युद्ध हो और देश में साम्प्रदातिक एकता और अखंडता का विनाश हो।

अतः जैसा मैंने आपको बताया, स्थिति अत्यधिक गंभीर और अशांत होती जा रही है। मैं यह बात बहुत दुःख और पीड़ा के साथ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक समझौता होना चाहिए और वह भी 9 नवम्बर से पहले। आपको स्वयं इस समय अपनी योजनाओं के बारे में घोषणा करनी चाहिए तथा आपको बताना चाहिए कि आप स्थिति को किस तरह सुलझाने जा रहे हैं जिससे हमें कुछ मानसिक शान्ति प्राप्त हो सकें। अन्यथा हमारी रातों की नींद खराब हो रही हैं। हम एक निर्णय चाहते हैं जो सरकार की तरफ से किया जाये कि वे क्या करने जा रहे हैं। केवल तभी हमें मानसिक शांति मिल सकती है। मुझे आशा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगी और इस अत्यन्त गंभीर और संवेदनशील स्थिति का समाधान उस तरीके से करेगी जो एक शान्तिपूर्ण तरीका होगा तथा जिससे मस्जिद की रक्षा हो सकेगी और वहां व्यक्तियों के प्रार्थना करने के अधिकार की भी रक्षा हो सकेगी। कल मुस्लिम वहां प्रार्थना करने जा रहे हैं।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : हमारे राष्ट्रीय जीवन में यह वास्तव में एक दुःखपूर्ण क्षण है कि हमें भारत में साम्प्रदायिक अशांति पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है।

हाल ही में भारत के कई हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ी है। गुजरात में ही पिछले छः सप्ताहों में वहां 50 ऐसे स्थान हैं जो दंगाग्रस्त रहे हैं अथवा जहां साम्प्रदायिक हिंसा हुई है और इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह साम्प्रदायिक हिंसा

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, भगवान के पूजा स्थानों के आसपास ही हुई है। उन्हें भगवान का घर समझा जाता है। वे साम्प्रदायिक सद्भावना की समाप्ति करने के कारण हैं। यही भाग्य की विडंबना है। हम कभी नहीं जानते थे कि राम भक्ति इस प्रकार की होगी। यहां तक कि राम ने भी इसकी स्वीकृति नहीं दी होती अथवा किसी भी दिन इस बात की मंजूरी नहीं दी होती कि उसके पवित्र नाम पर साम्प्रदायिक दंगे होंगे, उसके पवित्र नाम पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों की हत्या की जाएगी तथा उसके पवित्र नाम पर अल्पसंख्यकों की दुकानों में आग लगा दी जाएगी जिसका परिणाम पूर्ण रूप से आगजनी होगा।

विकृत रूप में यह **राम भक्ति** जो भारतीय नागरिक को सिखाई गई है, वह हमें स्वीकार्य नहीं है। गुजरात में सबसे बुरी और दुःखपूर्ण बात जो मुझे लगी वह यह थी कि विश्व हिन्दू परिषद, भारतीय विद्या परिषद और बी० जे० पी०, कार्यकर्ता विद्यार्थी पीढ़ी में भी इस साम्प्रदायिकता का जहर फैलाना चाहते थे। उन्होंने 15 नवम्बर को विद्यार्थियों की हड़ताल का आह्वान किया। भाग्य से विद्यार्थियों ने इसका जबाव नहीं दिया यह ठीक ही कहा जाता है कि बी० जे० पी० हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

मुझे अपने अच्छे मित्र श्री सुलेमान सेट को विश्वास दिलाना चाहिये कि यह मुस्लिम लीग नहीं है जो मुस्लिम हितों की रक्षक है। कांग्रेस में मुस्लिम लीग की अपेक्षा अधिक मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस में अधिक हिन्दू हैं। अतः इस देश के लिए यह बहुत अच्छा है। हिन्दू मजदूरों का प्रतिनिधित्व ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाता है कि बी० जे० पी० अथवा भारतीत विद्यार्थी परिषद अथवा विश्व हिन्दू परिषद द्वारा। मुस्लिम मजदूरों का प्रतिनिधित्व ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाता है न कि मुस्लिम लीग अथवा जमात-ए-इस्लामी द्वारा। हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि औसत हिन्दू आज धर्मनिरपेक्ष है और औसत मुस्लिम भी आज धर्मनिरपेक्ष रहता है। अधिकांश हिन्दू और मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष हैं और वे उन साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा गुमराह नहीं हो सकते जो भारत को साम्प्रदायिकता की आग में जलाना चाहते हैं।

खैर, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वतन्त्रता के 40 वर्षों से अधिक बीत जाने पर भी हम देखते हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा भारत के विभिन्न भागों में भड़क रही है। इसका कारण यह है मैं इस मुद्दे पर सरकार को अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा। हम केवल "फायर ब्रिगेड" के रूप में कार्य करते हैं। हम साम्प्रदायिक प्रचार को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में समर्थ नहीं हुए हैं यदि हम साम्प्रदायिक प्रचार अथवा साम्प्रदायिक कीड़े को उसकी जड़ से ही निकाल फेंकने में समर्थ होते और यदि हमने स्थिति को इस प्रकार से और बिगड़ने नहीं दिया होता, तब स्थिति इतनी अनियमित न होती जैसी कि आज देश के कुछ भागों में हो गई है।

हमें किसी भी साम्प्रदायिक प्रचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के योग्य होना चाहिए और यह साम्प्रदायिक प्रचार जैसा कि मेरे अच्छे मित्र श्री भाटिया ने ठीक ही कहा है, यह राजनीतिक से प्रेरित है। हर बार चुनावों से पहले, कोई न कोई अथवा अन्य तर्कहीन धार्मिक मसला लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के लिए खड़ा किया जाता है और तब इसका राजनीति में उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्य से, ऐसी बातों पर विश्वास कर लिया जाता है क्योंकि राजनीति के खातिर धर्म से खिलवाड़ करना इस देश में विश्वसनीय हो जाता है। यही कारण है कि वे इस हथियार का उपयोग कर रहे हैं। यदि एक चुनाव से पहले गाय-हत्या होती है, तब दूसरे चुनाव में हिन्दू एकता माता यज्ञ किया जाता है। जिसमें पैसे के लिए गंगाजल को बेचा गया। उस पैसे का क्या हुआ ? मैं सोचता हूं कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को कहा जाए कि वह उस पैसे के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दें जो

ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा एकत्रित किया गया था बजाय इसके कि वह उस किसी मुद्दे पर अपना समय खर्च करें जिस पर पहले संयुक्त संसदीय समिति द्वारा चर्चा की जा चुकी थी और जिसे सुलझाया जा चुका है।

अत: विद्यार्थी और युवा पीढ़ी इन साम्यवादी ताकतों के मुख्य केन्द्र बिंदु हैं। वे इतिहास की सीख से भी अवगत हैं। वे जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया था। अतार्किक बातें युवा पीढ़ी को प्रश्नों के समान ज्यादा आकर्षित करती हैं जैसे कि यह जर्मन खून है अथवा गैर जर्मन खून है अथवा यह आर्य खून है अथवा गैर-आर्य खून। वे अतार्किक बातें इस पीढ़ी को आकर्षित करती हैं और इसीलिए वे पूजा अथवा धार्मिक पवित्रता की वस्तुओं को अपना राजनीतिक खेल खेलने के लिए उपयोग करना चाहते हैं।

कभी-कभी हम इससे मुक्त भी नहीं होते हैं। हमारे प्रचार माध्यम भी इससे मुक्त नहीं हैं। प्रेस की भूमिका के बारे में बोलते हुए मेरे अच्छे मित्र प्रो० सोज ने प्रेस की प्रशंसा की थी परन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है। गुजरात में कुछेक समाचारपत्र नियमित रूप से अपने "सिटी डायरी" कालम में शिला पूजन के कार्यक्रमों को छापते हैं। आज अहमदाबाद में कई स्थानों पर कई शिला पूजन होंगे और वी० जे० पी० मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होगी। इसी प्रकार से शिला पूजनों के कार्यक्रमों में चाहे श्री अडवानी जी हों जो पूजन में भाग लेते हैं अथवा कोई अन्य व्यक्ति हो, उनका समाचार विशेष रूप से भाषायी प्रेस में प्रकाशित किया जाता है। इससे वास्तव में साम्प्रदायिक प्रचार में भी मदद मिलती है।

हमें प्रैस से आशा थी कि वह इन साम्प्रदायिक कार्यक्रमों को प्रकाशित नहीं करेगा। अत: ऐसे कार्यक्रमों को प्रकाशित करके तथा उन्हें विश्वसनीय बताकर और यहां तक कि विभिन्न समाचार-पत्रों द्वारा सिटी डायरी कालमों में उन्हें प्रकाशित करके इस प्रकार के प्रचार को गति मिलती है। दुर्भाग्य से, हमारा दूरदर्शन भी स्वतन्त्र नहीं है। 2 फरवरी, 1986 को राम जन्मभूमि का ताला खोला जाना और दूरदर्शन पर अन्य प्रदर्शनीय कार्यक्रमों ने इसमें एक भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, प्रत्येक दिन हमारा दूरदर्शन इस देश में हिन्दू पुनःजागरण को बढ़ावा देता जा रहा है। मैं इस सभा में यह कह रहा हूं कि सरकार को धार्मिक प्रचार के लिए दूरदर्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। परन्तु इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है।

यह हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के विरुद्ध है। परन्तु दुर्भाग्य से मेरी अपील अनसुनी ही रह गई है। कोई भी इसे नहीं सुनता है। धर्म के किसी भी तरह के पुनर्जागरणवाद को सार्वजनिक प्रचार माध्यम द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। सौभाग्य से भारत में ऐसी धर्म-निरपेक्ष ताकतें हैं जो साम्प्रदायिक ताकतों से ज्यादा ताकतवर हैं। न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस का भी सत्तारूढ़ दल के नाते, और सरकार तथा भारतीय समाज के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कर्तव्य है और हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना हमारा कर्तव्य है कि हम साम्प्रदायिक प्रचार को क्यों नहीं रोक पाये हैं और ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ अन्य ताकतें भी काम कर रही हैं।

हाल ही में 2 अक्तूबर को मैंने मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री इ० एम० एस० नम्बूदरीपाद, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री राजेश्वर राव, फारवर्ड ब्लाक के महासचिव श्री चित्त बसू और आर० एस० पी० के महासचिव श्री त्रिदीब चौधरी द्वारा दिया गया संयुक्त

वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भूमिका का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यह बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ खुले तौर पर गठजोड़ करने से उभरी है। बम्बई में हुई उनकी राष्ट्रीय परिषद में क्या हुआ है? श्री बाल ठाकरे वहां उपस्थित थे जिन्हें उनकी कट्टरता की वजह से जाना जाता है, जिन्हें महात्मा गांधी की छवि धूमिल करने वाले के रूप में ही जाना जाता है, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। वह वहां आडवाणी जी तथा वाजपेयी के साथ बैठे हुए थे। इसी तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक बम्बई में हुई थी और इससे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका का पूरी तरह से खुलासा हो गया। वे साम्प्रदायिक भावनायें और साम्प्रदायिक जहर घोलना चाहते हैं जोकि उनकी चुनावी रणनीति का अभिन्न अंग है; यही वामपंथी नेताओं ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा है। मैं पूरी तरह से इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और सोचता हूं कि भारत में सभी धर्म-निरपेक्ष ताकतें एक हो जायेंगी और वे इस लोगों के विनाशक खेल का खुलासा करेंगी जो अपने राजनैतिक पागलपन के लिए जनता को साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित करते हैं। खुशकिस्मती से देश का नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष दल, कांग्रेस के हाथ में है, मैं अपने अच्छे मित्र श्री सेट जी और अन्यों को बताना चाहता हूं कि निराश होने का कोई कारण नहीं है, हताश होने की कोई वजह नहीं है। भारत का नेतृत्व एक ऐसे दल के हाथ में है जो धर्मनिरपेक्ष है और जिसकी बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो सभी बाधाओं को पार कर लेंगे और जो देश की अखण्डता की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तैयार रहेंगे। उनकी माता ने ऐसा किया है। वह भी ऐसा इसके करने के लिए तैयार हैं। पालनपुर में 5 अक्तूबर को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की साम्प्रदायिक राजनीति पर स्पष्ट आक्षेप लगाया है, हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था "जनसंघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की नाजाइज संतान है।"

[हिन्दी]

उन्होंने आर० एस० एस० की नाजाइज फरजंद के तौर पर जनसंघ का परिचय दिया था।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी का कहना है कि वे लोग जिनके हाथों से अभी भी महात्मा गांधी के खून की गंध आती है, उन्हें महात्मा गांधी और गांधीवादी के नाम पर समाजवाद पर बोलने का कोई हक नहीं है। श्री राजीव गांधी ने अपने पलानपुर के भाषण में भारतीय जनता पार्टी की साम्प्रदायिक राजनीति पर चोट की है। मैं चाहता हूं कि हम सब इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेंगे और एकजुट होकर सभी साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने का प्रयास करेंगे। खुशकिस्मती से अन्य दलों में भी कुछ धर्मनिरपेक्ष तत्व मौजूद हैं। जनता दल के नेतागण समय-समय पर विभिन्न कारणों से अवसरवादी और परस्पर विरोधी वक्तव्य देकर राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते रहे हों लेकिन उनके सामान्य जन साम्प्रदायिक नहीं हैं परिणामस्वरूप उनके नेताओं में से एक अर्थात् श्री देवी लाल ने अपनी पार्टी से संबद्ध राजनैतिक मामलों संबंधी बैठक में कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह साम्प्रदायिक रहती है तो सीटों के समायोजन में कुछ कठिनाई पड़ सकती है। इसी तरह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अपने परस्पर विरोधी सर्वविदित वक्तव्यों की शृंखला में कहा है कि हो सकता है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में शामिल नहीं हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साम्प्रदायिक नीति और इस तरह की अन्य सांप्रदायिक ताकतों ने जनता दल के नेताओं को

भी कुछ वक्तव्य देने के लिए मजबूर किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबन्धन को खतरा हो सकता है। इस संबंध में उन्हें और स्पष्टवादी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और अन्य मित्र अधिक सामंजस्य रखेंगे और चुनाव लड़ते हुए भी इस बात पर डटे रहेंगे। उनकी राजनैतिक आकांक्षा को इस देश की धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा के संदर्भ में उनके व्यवहार के आड़े नहीं आना चाहिए।

इस राम जन्म भूमि के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि गुजरात में आर० जे० बी० रथ के समय भी जब रथ बनासकांठा से गुजरात के विभिन्न भागों में जा रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे देखे गये। साम्प्रदायिक हिंसा को भड़कने के लिए प्रत्येक अवसर का फायदा उठाया गया।

"शिला पूजन" अहानिकारक भी हो सकता है। हम इस बात पर आपत्ति नहीं करते कि कोई पूजा कर रहा है। वस्तुतः उपासना करने की स्वतन्त्रता हिन्दू और मुसलमान दोनों को समान रूप से दी गई है। हिन्दू जिसे भी वे चाहें उसकी समान रूप से अराधना करने के अधिकारी हैं और इसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं हो सकता है या किसी भी अराधना को बलपूर्वक करने की बात भी नहीं हो सकती है। लेकिन वह पूजन या उस पूजन का सार्वजनिक प्रदर्शन या उसका भड़काने वाला निरूपण साम्प्रदायिक सद्भाव पर बुरा असर डालता है, तो मैं समझता हूं कि हम उन्हें यह कह सकते हैं कि यदि वे इस तरह के कार्यक्रमों से उत्पन्न हो रही साम्प्रदायिक हिंसा को नहीं रोक सकते हैं तो अच्छा यह है कि वह इसे बन्द कर दें। हमें उन्हें यह बताना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम या जलूसों आदि का प्रदर्शन, जिससे साम्प्रदायिक हिंसा पैदा होती है या साम्प्रदायिक असंतोष फैलता है, रोक दिया जाये। राज्यों को बेझिझक आगे आना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में राज्य अधिक स्पष्टवादी और अधिक निर्भीक होंगे और प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। यदि वे साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे तो लोग हमेशा उनका समर्थन करेंगे। लोग उन्हें चुनेंगे और उनका समर्थन देंगे जो निडर हैं और कार्य करते हैं और उन्हें नहीं चुनेंगे जो अपने घुटने मोड़ लेते हैं और इस समस्या की पहल झिझक कर या अनिच्छा से करते हैं।

यह बात निःसंदेह उस तथ्य की ओर इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विभाजन की नीति के कारण विपक्ष का कांग्रेस के एक उम्मीदवार के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा करके, सामना करना संभव नहीं होगा हमें उनसे यह पूछना चाहिए। यदि कोई वैकल्पिक सरकार सत्ता में आती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां बाबरी मस्जिद को हटाने और राम जन्म भूमि मन्दिर स्थापित करने के विचार को आगे बढ़ा सकेगी ? जी नहीं कोई भी सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी। अतः उनकी तथाकथित कृत्रिम एकता खत्म हो गयी है या चुनावों तक खत्म हो जायेगी। परन्तु मेरा मुद्दा यह नहीं है। मेरे लिए चुनाव और चुनाव भविष्य और इसी तरह की चीजों का महत्व गौण है। हम चाहते हैं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हो और उसके लिए कोई भी कीमत ऊंची नहीं है। हमें कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

यह ठीक ही कहा गया था कि न्यायिक निर्णय को स्वीकार कर लिया जायेगा। मेरे अच्छे मित्र श्री इब्राहम सुलेमान सेट ने कहा था कि सरकार अयोध्या में राम शिला पूजन, शिलाओं आदि के एकत्र करने की व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातों पर सहमत हो गयी है। जहां तक मुझे जानकारी है ऐसी बात नहीं है कि सरकार किसी मुद्दे पर सहमत हो गयी है या इस संबंध में उसने कोई वायदा किया है। यह आश्वासन तो विश्व हिन्दू परिषद ने सरकार को कतिपय मसलों पर दिया है। उदाहरण के लिए ये पांच मुद्दे हैं जिन पर विश्व हिन्दू परिषद ने सरकार को वचन दिया है :

"(क) विश्व हिन्दू परिषद संबद्ध जिला अधिकारियों को शिला जलूस मार्ग की पूर्व सूचना देगी और यदि सार्वजनिक हित में जिला अधिकारी चाहेंगे तो मार्ग में परिवर्तन करने के लिए सहमत होगी।"

यह मार्गों की व्यवस्था के बारे में है।

"(ख) विश्व हिन्दू परिषद और उनके अनुयायी कोई ऐसे भड़काने वाले नारे नहीं लगायेंगे जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुंचे।"

यह दूसरा मुद्दा है।

इस वचन का पालन गुजरात में, कम से कम इसके बाहरी भागों में किया जा रहा है। अन्य राज्यों की स्थिति मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया वचन यह है।

"(ग) जहां तक संभव हो 'पवित्र' ईंटों को ट्रकों द्वारा संबद्ध जिला अधिकारियों के साथ परामर्श कर पहले से ही तय किये हुए मार्गों द्वारा ले जाया जायेगा।

(घ) विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ और जिम्मेदार कार्यकर्त्ता जुलूस के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व लेंगे और जिला अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे।

(ङ) अयोध्या में वह स्थान जहां "पवित्र" ईंटों को एकत्र किया जाएगा उसका निर्धारण जिला अधिकारियों के साथ परामर्श कर किया जाएगा।"

मेरे अच्छे मित्रगण कृपया इस बात पर ध्यान देंगे कि उस स्थान को जहां ईंटों को एकत्र किया जाएगा, निश्चित करने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट जिला अधिकारियों को सौंपी गई है और मुझे विश्वास है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। यह बात मान लेने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि वह स्थान जहां ईंटों को एकत्र किया जायेगा, विवादग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस प्रकार सभी कुछ आपके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण के होगा।

श्री हरभाई मेहता : यह विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिया गया वचन है।

श्री जी० एम० बनातवाला : शिलान्यास इस प्रकार किया जाएगा कि बाद में यह मस्जिद को अपने घेरे में ले लेगा अथवा इसे ढाह देगा। (व्यवधान)

श्री हरभाई मेहता : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं आपको सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह उनके द्वारा दिया गया वचन है। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या आप इसका समर्थन करते हैं? (व्यवधान) सरकार ने यह कार्य संपादित किया है।

श्री हरभाई मेहता : सरकार किसी भी बात से सहमत नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपके संरक्षण में सभी कुछ किया जा रहा है। मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री हरभाई मेहता : यह एक वचन है। यह उनका वचन है। सरकार किसी भी बात से सहमत नहीं है। हम उस पर विश्वास करें। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिये गये वचन, क्रम संख्या (च) में कहा गया है—

"(च) विश्व हिन्दू परिषद निदेशों को पालन करने का वचन देता है···(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण मुझ पर जो आरोप लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, इस बात को मैं गम्भीरतापूर्वक लेता हूं···(व्यवधान) बहस का जवाब देते समय मैं इन मुद्दों की चर्चा करूंगा। लेकिन, मैं समझता हूं कि अभी जो कुछ उन्होंने यहां कहा है, उसका खंडन करना मेरे लिए अत्यन्त आवश्यक है। सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया है और किसी भी व्यक्ति द्वारा यह कहना गलत है···कि (व्यवधान) आप प्रेस रिपोर्टों द्वारा भ्रमित हुए हैं या फिर आपके मन में कोई अन्य बातें हैं। अतः इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हो सकता। लेकिन, हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से चर्चा करनी चाहिए। वास्तविक स्थिति यह है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

सरदार बूटा सिंह : मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम गलत रूप से आए। मैं खुले रूप में यह कहना चाहता हूं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाए। मैंने श्री शाहबुद्दीन जी और उनके सहयोगियों को स्पष्टीकरण दे दिया है। लखनऊ से वापस आने के बाद तुरन्त मैंने उन्हें बताया कि हमने प्रत्येक गांव में और प्रत्येक अवसर संभावित विरोध को टालने की कोशिश की है।···(व्यवधान) आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह कहने के बाद आपको अब मुझे एक अवसर देना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तावित यह एक व्यवस्था थी। अब आपने तीन-चार बार देखा है कि उन्होंने यह कार्य किया है। सरकारी अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि कोई विरोध नहीं हो। हमारे समाज के विभिन्न सम्प्रदायों एवं वर्गों में अब कोई तनाव नहीं उठ रहा। वे जुलूस नहीं निकालेंगे। सिर्फ कुछेक ईंटों ही लायी जाएंगी और इन्हें जिला अधिकारियों द्वारा पहले से निश्चित किये गये स्थान पर एकत्र किया जायेगा। शिला निवास के प्रश्न पर यह कहना आधारहीन है कि सरकार ने कोई जमीन दी है। मैं इसका खंडन करता हूं। कोई भी सरकारी जमीन नहीं दी गई है। कोई सरकारी जमीन नहीं दी जा रही। यदि यह कार्य वे अपने कुछ मन्दिरों में करते हैं, तो मैं इसे कैसे रोक सकता हूं··· (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस परियोजना के लिए, जहां शिला निवास किया जा सकता है कोई जमीन नहीं दी है ?··· (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : आप मुझसे जिरह क्यों कर रहे हैं जब मैं निरपवाद रूप से यह कह रहा हूं ? श्री शाहबुद्दीन जी, मैंने उसी दिन निरपवाद रूप से यह बात कही। मैं नहीं जानता हूं अब वह अपना इरादा बदल सकते हैं···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : तब क्या वे आपसे सन्तुष्ट थे ?

सरदार बूटा सिंह : विस्तृत चर्चा के पश्चात् मैंने उन्हें उस व्यवस्था के बारे में स्पष्ट किया, जिसे कि पहली बार विश्व हिन्दू परिषद ने लिखित रूप में दिया है कि वे न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि और आप क्या चाहते हैं। इसके बाद श्री शाहबुद्दीन जी ने यह कहा है जो कि कार्यवाही वृतान्त में दर्ज है कि यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है··· (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : ऐसा है क्या ? मुझे यह जानकर दुख हुआ···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : जी हां ! यदि वे कहते हैं कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है तो

मैं इससे सन्तुष्ट होने वाला नहीं हूं ? मैं नहीं जानता हूं कि दूसरे किन बातों से मैं सन्तुष्ट हो पाऊंगा···(व्यवधान)

मैं साफ-साफ बात करना चाहता हूं। इसमें कोई सरकारी सांठ-गांठ नहीं है। इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। मैं देश को विपत्ति से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया इन भावनात्मक मुद्दों की चर्चा न करें। हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है और मैंने कहा है कि सभी परिस्थितियों में सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए वचनबद्ध है। मैं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं···(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मस्जिद की सुरक्षा भी आपका ही कर्तव्य है···(व्यवधान)

श्री हरभाई मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिए गए अन्तिम वचन को मैं उद्धृत करता हूं।

> "(च) विश्व हिन्दू परिषद यह वचन देता है कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ द्वारा 14-8-89 को दिए गए इस आशय के निदेशों का पालन करेगा कि मुकदमे में सम्बद्ध पार्टियां यथापूर्व स्थिति बनाए रखेंगी और सम्बन्धित परिसम्पत्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि शांति और साम्प्रदायिक सदभावना बनी रहे।"

यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि दिए गए वचन के किसी भी भाग का उल्लंघन न हो··· (व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : न्यायालय के निर्णय के पूर्व शिला निवास का मन्दिर बनाये जाने की क्या जल्दी है ? आप अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया व्यक्त करें···(व्यवधान)

श्री हरभाई मेहता : आप यह प्रश्न उन सांप्रदायिक शक्तियों को संबोधित करें जो कि इसका निर्माण करना चाहती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की इकाइयां तथा अन्य सांप्रदायिक तत्व इस वचन का पालन नहीं करना चाहते हैं। कम से कम मेरे राज्य में उनका व्यवहार यही दर्शाता है। विश्व हिंदू परिषद इस राम जन्म भूमि को येरूशलम की तरह हिन्दुओं की "वेलिंग वाल" समझती है। अतः हम लोगों को देखना है कि कोई सांप्रदायिक अफवाह फैलने न पाये। हमें शुरू में ही सांप्रदायिक अफवाह को दबा देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक बार इस आग के भड़कने पर आप इसे शांत नहीं कर पायेंगे। हमें सही समय पर कार्यवाही करनी होगी और शुरू में ही सांप्रदायिक उत्तेजना को रोकना होगा।

मैं कह रहा था कि गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें हो चुकी हैं। मेरे पास इससे संबंधित आंकड़े हैं। वे निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	बड़ी घटनाएं	छोटी घटनाएं
1980	18	40
1981	15	53
1982	19	70
1983	10	73
1984	13	51

वर्ष	बड़ी घटनाएं	छोटी घटनाएं
1985	32	53
1986	32	177
1987	15	225
1988	3	180
1989 (31-7-89 तक)	1	183

अगस्त, 1989 के दूसरे पखवाड़े में 14 छोटी घटनाएं हुईं। सितम्बर के पहले पखवाड़े में 30 घटनाएं हुईं जो पिछले पखवाड़े की अपेक्षा दुगुनी थीं। विगत छः सप्ताह में सांप्रदायिक घटनाओं में 50 स्थान प्रभावित हुए। मैं माननीय गृह मंत्री से गुजरात की स्थिति पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। दुर्भाग्यवश अनेक कारणों से गुजरात पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन उतना सतर्क नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए।

यह सही कहा गया है कि न्यायिक निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं उस स्थिति का समर्थन नहीं करना चाहूंगा जहां कि एक विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा दबाव डालने के कारण अपने पूजा स्थान छोड़ना पड़े। बिलकुल सुस्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं कि मैं नहीं चाहूंगा कि मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग बाबरी मस्जिद सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि हिन्दू संगठन उनसे ऐसा करवाना चाहते हैं। इस प्रकार के विवादों को न्यायिक निर्णय द्वारा निपटारा जाना चाहिए। धर्म निरपेक्ष राजनीतिक दलों और कुछ धार्मिक नेताओं ने भी यह स्थिति स्वीकार की है। द्वारका के शंकराचार्य ने यह बात स्वीकार की है कि हमें न्यायिक निर्णय का पालन करना चाहिए और जब तक कि न्यायिक निर्णय द्वारा इस विवाद का फैसला नहीं हो जाता हमें यथा-पूर्व स्थिति में विघ्न नहीं डालना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं, जिनकी स्थिति उनके अनुपस्थित रहने से और भी स्पष्ट हो गयी है, कि भक्ति या धर्म के सम्बन्ध में कौन अधिक जानता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अथवा शंकराचार्य ? जहां तक धार्मिक मुद्दे का सम्बन्ध है तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करने की अपेक्षा क्यों नहीं आप धार्मिक गुरुओं को मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं ? वे लोग जो इस मुद्दे का फैसला न्यायिक प्रक्रिया द्वारा नहीं करना चाहते हैं वह वास्तविकता से घबराते हैं। अतः हमें इस बात पर दबाव डालना चाहिए कि इस मुद्दे का फैसला न्यायालय के निर्णय द्वारा किया जाए। इसके अन्तर्गत, यहां तक कि अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति ने, जिसकी गुजरात इकाई का मैं अध्यक्ष हूं, सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि 15 अगस्त, 1947 की विभाजन रेखा की भांति स्वीकार किया जाना चाहिए। उस तिथि तक हम स्वतन्त्र नहीं थे। यदि वहां हिन्दू शासक थे तो उन्होंने हिन्दुओं के मन्दिरों का निर्माण कराया। जब वहां मुस्लिम शासक थे तो वहां मस्जिदों का निर्माण कराया गया। बौद्ध शासकों ने अपने मन्दिरों का निर्माण कराया। ये सब चीजें जो 15 अगस्त, 1947 तक हुई थीं हमें इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बाद भारत स्वतन्त्र हुआ। अतः 15 अगस्त, 1947 तक जो मन्दिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल बरकरार थे हमें उनकी यथापूर्व स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए। अयोध्या मुद्दे को लेकर चूंकि विवाद उठ खड़ा हुआ है, अतः हमें न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अन्यथा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद के अफवाह फैलाने वाले लोगों के अनुसार तो अहमदाबाद में जहां जामा मस्जिद है वहां कभी भद्र काली मन्दिर हुआ

करता था। क्या कारण है कि लोगों में फूट डालने के लिए हर जगह मन्दिरों और मस्जिदों का ही इस्तेमाल किया जाता है ?

मेरा सुझाव यह है कि इस सभा को समाज के सभी वर्गों के लोगों से इस प्रकार की साम्प्रदायिक अपील का जवाब न देने और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने का अनुरोध करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि वक्त इतना नहीं है कि इस पर बहुत कुछ कहा जा सके। मैं इस वक्त इतना कहना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों के अर्से में कई बार इस मसरायल के ऊपर, इसके मामले के ऊपर यहां पर बहस हुई। मैं यह चाहता हूं कि हुकूमत यह बताए कि इतनी मर्तबा इस पर बहस होने के बाद आपने क्या इकदामात किए हैं, क्या कदम उठाए हैं। 40 सालों से इसका वही हाल है। पार्लियामेंट में इतनी बहस होने के बाद भी वही हाल है। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत अक्लियतों के मसायल को हल करना नहीं चाहती है और फिरकेवाराना फसादात को रोकने के लिए सख्त इकदामात करना नहीं चाहती है।

बाबरी मस्जिद का जब मसला आता है तो पहले ढील दी जाती है लेकिन जब यह मसला इंतिहा पर पहुंच जाता है तो फिर वह कोशिश होती है कि कोई-न-कोई समझौता कराया जाए। हुकूमत यही चाहती है कि अपनी हुकूमत का वकार बढ़ाने का सामान पैदा हो।

इलाहाबाद इलेक्शन के वक्त हिन्दू फिरकापरस्तों को मौका दिया गया। लेकिन हैरत है कि मुसलमान ने भी नाराज होकर उन्हीं को वोट दिया और हिन्दू फिरकापरस्तों ने भी उन्हीं को वोट दिया। लेकिन हमारी सरकार अभी तक इस बात को समझना नहीं चाहती है। इस मौके पर मैं कुछ ज्यादा न कह कर इतना कहना चाहता हूं कि आज सारे हिन्दुस्तान के अंदर यह चीज फैल रही है। पहले यह चीज हिन्दुस्तान के शुमाल के अन्दर ही थी लेकिन अब यह चीज जनूब में भी फैलती जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी शिला पूजा हो चुकी है और वहां भी ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। अगर आप वाकई यह चाहते हैं कि ये फसादात खत्म हों तो आपको वाकई संजीदगी के साथ इस मुल्क में ऐसी चीजों पर पाबंदी आयत करनी होगी। तभी यकीनन हम यह समझेंगे कि वाकई आप दयानतदारी के साथ कोई काम करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम यही समझेंगे कि आप सिर्फ पार्लियामेंट के अंन्दर बेहतरीन और फैसनेबुल किस्म की तकरीर दे देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हर शख्स उसको सुने और हर शख्स अपनी शाख्सियत को उभार दे।

आज हिन्दुस्तान का अवाम यह जान चुका है कि सिर्फ फैशन के तौर पर बातें की जाती हैं और यह कह दिया जाता है कि हम बड़े सैक्युलर हैं, हम बड़े अच्छे हैं और हमें यह होना चाहिए। इंसान को उसके अमल में देखा जाता है, उसकी पालिसी और प्रोग्राम को ही नहीं देखा जाता है। इस बात को देखा जाता है कि उन पर अमल किस हद तक हुआ है। इंसान के अमल को देखा जाता है कि आपने अब तक क्या किया। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि आज जितना खून मुसलमानों का यहां बहा होगा उतना दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं बहा होगा।

**

यकीनन यह इंतिहाई अफसोस की बात है। (व्यवधान) लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

आज हिन्दुस्तान के गांव गांव में हंगामे हो रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आज आपको हमसे हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो इन्हें बन्द करवाते। वे यह एलान कर रहे हैं ? नवम्बर की तारीख तय है। अगर आपको हम से हमदर्दी है तो क्यों नहीं इसको रुकवाते हैं ? जबकि यह केस अदालत में है तो इसे आप बन्द करवाइये। वे लोग वहां जा रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि वह जगह 20 गज के फासले के ऊपर है और एक ऐसा नक्शा तैयार किया जा रहा है कि वहां पर बाबरी मस्जिद को बगैर तोड़े वहां पर मन्दिर नहीं बनाया जा सकता है।

हिन्दुस्तान में लाखों मन्दिर बन रहे हैं। हम जितने मुसलमान हैं हमको उन पर कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज इस बात पर है कि एक मस्जिद को तोड़ कर मन्दिर बनाया जा रहा है। इसीलिए यकीनन हमको एतराज हो रहा है। आखिर कब तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे ?

आप लॉ एण्ड आर्डर का सूरत हाल जानते हैं कि वह मुल्क में आज क्या है। कभी यहां फसाद होता है, कभी वहां फसाद होता है। सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो उनमें सिवाय फसादात के और कुछ नगर नहीं आता। आखिर कब तक इस चीज को बर्दाश्त किया जाता रहेगा और कब तक आप खामोश तमाशाई बन कर रहेंगे ?

आखिर में मैं अपने भाइयों से भी यह कहूंगा जो कि हमको गैर-सेक्युलर और कम्युनल कहते हैं। मेरे भाई खुद अपनी तारीख पर भी गौर कीजिए। आप कांग्रेस में बैठे हैं। आपके यहां मिसाल मौजूद है कि चिंतामणि देशमुख जो कि वजीरे फाइनेंस मरकज में हुआ करते थे। उन्हें जब इख्तिलाफ हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

6.00 म० प०

महावीर त्यागी ने ताशकंद समझौते के ऊपर इस्तीफा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे हादसे पर इस्तीफा दिया लेकिन तारीख में कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि इतने फसाद हुए, किसी मुसलमान मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दिया हो। हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है जब हम यह देखते हैं कि उधर बैठे हुए आप लोग केवल मुस्कराते हैं, तकरीरें करते हैं कि हमारी धारा यह है, हम सेकुलर हैं (**व्यवधान**)

जहां लगी हुई है, इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं, जाहिर है थोड़ा सा धुआं उठता है और जब कबाब के जलने की खुशबू आती है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन वाकयी यह बात है, इस पर फिर से गौर करें। क्या आपका जमीर नहीं है, क्यों इतने हंगामे होते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।

बहरहाल इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरी तजवीज है कि आप ऐलान करिए, आर्डर निकालिए कि यह शिला पूजन बंद किया जाए। जहां-जहां पर फसादात हुए हैं वहां की हुकूमतों को मुअत्तल कीजिए। क्या कारण है कि इतने दिनों के बाद भी फसादात हो रहे हैं, क्यों आप लोग खामोश हैं।

आप घंटी बजा रहे हैं, हमारी भी घंटी बज रही है, खतरे की घंटियां बजती जा रहीं हैं। हमारी हालत पर रहम कीजिए। हमारी जो घंटियां बज रही हैं, उसके ऊपर भी घन्टी बजाइए।

[श्री सुलतान सलाह उद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। चूंकि वक्त इतना नहीं है कि इस पर बहुत कुछ कहा जा सके। मैं इस वक्त इतना कहना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों के अरसे में कई बार इन मसाइल के ऊपर इस मसले के ऊपर यहां बहस हुई। मैं यह चाहता हूं कि हुकूमत यह बताए कि इतनी मरतबा इस पर बहस होने के बाद आपने क्या इंतजामात किए हैं, क्या

قدم اٹھاتے ہیں۔ چالیس سالوں سے اس کا یہی حال ہے۔ پارلیمنٹ میں اتنی بحث ہونے کے بعد بھی وہی حال ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتی ہے اور فرقہ وارانہ فسادات کو رد کرنے کے لئے سخت اقدامات کرنا نہیں چاہتی ہے۔

بابری مسجد کا جب مسئلہ آتا ہے تو پہلے ڈھیل دی جاتی ہے لیکن یہ مسئلہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سمجھوتہ کرایا جائے۔ حکومت یہی چاہتی ہے کہ اسی حکومت کا وقار بڑھانے کا سامان پیدا ہو۔

الہ آباد الیکشن کے وقت ہندو فرقہ پرستوں کو موقع دیا گیا۔ لیکن حیرت ہے کہ مسلمان نے بھی ناراض ہو کر انہیں کو ووٹ دیا اور ہندو فرقہ پرستوں نے بھی انہیں کو ووٹ دیا۔ لیکن ہماری سرکار ابھی تک اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتی ہے۔ اس موقع پر میں کچھ زیادہ نہ کہہ کر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج سارے ہندوستان کے اندر یہ چیز پھیل رہی ہے۔ پہلے یہ چیز ہندوستان کے شمال کے اندر ہی تھی لیکن اب یہ چیز جنوب میں بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں بھی شلا پوجا ہو چکی ہے اور وہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ فسادات ختم ہوں تو آپکو واقعی سنجیدگی کے ساتھ اس ملک میں ایسی چیزوں پر پابندی عاید کرنی ہوگی۔ تبھی یقیناً ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی آپ دیانتداری کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ صرف پارلیمنٹ کے اندر بہترین اور نیشنل لیول قسم کی تقریر دینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص اس کو سنے اور ہر

شخص اپنی شخصیت کو ابھارے۔

آج ہندوستان کا عوام یہ جان چکا ہے کہ صرف فیشن کے طور پر باتیں کی جاتی ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم بڑے سیکولر ہیں ہم بڑے اچھے ہیں اور ہمیں یہ ہونا چاہئیے۔ انسان کو اس کے عمل میں دیکھا جاتا ہے اس کی پالیسی اور پروگرام کو ہی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ ان پر عمل کس حد تک ہوا ہے۔ انسان کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ابتک کیا کیا۔ میں یہ کہنے کیلئے تیار ہوں کہ آج جتنا خون مسلمانوں کا یہاں بہا ہوگا اتنا دنیا کے کسی حصے میں بھی نہیں بہا ہوگا۔

یقیناً یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ (انٹرپشن).....

لیکن آپ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ... (انٹرپشن).....

آج ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں ہنگامے ہو رہے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو ہم سے ہمدردی نہیں ہے اگر ہمدردی ہوتی تو ہمیں بند کرواتے، وہ یہ اعلان کر رہے ہیں۔

۹ نومبر کی تاریخ طے ہے۔ اگر آپکو ہم سے ہمدردی ہے تو کیوں نہیں اس کو رُکواتے ہیں۔ جبکہ یہ کیس عدالت میں ہے تو اسے آپ بند کرواتے وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جگہ بیس گز کے فاصلے کے اوپر ہے اور ایک ایسا نقشہ تیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بابری مسجد کو بغیر توڑے وہاں پر مندر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔

ہندوستان میں لاکھوں مندر بن رہے ہیں۔ ہم جتنے مسلمان ہیں ہمکو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم کو اعتراض اس بات پر ہے کہ ایک مسجد کو توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے اس لئے یقیناً ہم کو اعتراض ہو رہا ہے۔ آخر کب تک

** Expunged as ordered by the Chair.

ہم اسکو برداشت کرینگے۔

آپ لا اینڈ آرڈر کی صورت حال جانتے ہیں کہ وہ ملک میں آج کیا ہے۔ کبھی یہاں فساد ہوتا ہے کبھی وہاں فساد ہوتا ہے۔ صبح جب اخبار پڑھتے ہیں تو ان میں سوائے فسادات کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر کب تک اس چیز کو برداشت کیا جاتا رہے گا اور کب تک آپ خاموش تماشائی بن کر رہیں گے۔

آخر میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہوں گا جو کہ ہم کو غیر سیکولر اور کمیونل کہتے ہیں۔ میرے بھائی خود اپنی تاریخ پر بھی غور کیجئے۔ آپ کانگریس میں بیٹھے ہیں۔ آپکے یہاں مثال موجود ہے کہ چنتامنی دیش مکھ زیر فائینس مرکز میں ہوا کرتے تھے۔ انہیں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ مہاویر تیاگی نے تاشقند سمجھوتے کے اوپر استعفیٰ دیا، لال بہادر شاستری نے ریلوے حادثے پر استعفیٰ دیا لیکن تاریخ میں کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ اتنے فساد ہوتے کسی مسلمان منسٹر نے بھی استعفیٰ دیا ہو۔ ہماری گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ کیوں مسکراتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کہ ہماری دھارا یہ ہے ہم سیکولر ہیں ... (انٹرپشن) .....

جہاں لگی ہوئی ہے اس لئے ایسی بات کہہ رہا ہوں ظاہر ہے تھوڑا سا دھواں اٹھتا ہے اور جب کباب کے سکنے کی خوشبو آتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔

لیکن واقعی یہ بات ہے اس پر پھر سے غور کریں۔ کیا آپ کا ضمیر نہیں ہے
کیوں اتنے ہنگامے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
بہر حال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری
تجویز ہے کہ آپ اعلان کرتے آرڈر نکالیے کہ یہ شلا پوجن بند کیا جائے۔
جہاں جہاں پر فسادات ہوئے ہیں وہاں کی حکومتوں کو معطل کیجئے۔ کیا وجہ ہے کہ
اتنے دنوں کے بعد بھی فسادات ہو رہے ہیں کیوں آپ لوگ خاموش ہیں؟
آپ گھنٹی بجا رہے ہیں ہماری بھی گھنٹی بج رہی ہے خطرے کی گھنٹیاں بجتی
جا رہی ہیں۔ ہماری حالت پر رحم کیجئے ہماری جو گھنٹیاں بج رہی ہیں اس کے
اوپر بھی گھنٹی بجائیے۔]

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं । श्री ओवेसी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं । इसमें देश की वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित तथ्य नहीं हैं और देश में तथा विदेशों में यहां की स्थिति के सम्बन्ध में इससे यह गलत धारणा बनने की संभावना है कि···

महोदय, इससे इस देश के लोगों में भय और भ्रांति उत्पन्न होने की संभावना है । मैं चाहूंगा कि वे या तो अपना वक्तव्य वापस ले लें या फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कार्यवाही वृत्तांत से उनकी टिप्पणियों को निकाल दें ।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं भी आपसे कुछ पूछूंगा, मैं यकीनन इन चीजों के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि आजादी के बाद आज तक कितने लोग मरे हैं, उनके फिगर्स दीजिए; इससे आपको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है । रशिया का अखबार प्रावदा लिखता है कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान में 1966 तक 16 हजार फसाद हुए । आप आजादी के बाद के फिगर्स दे दीजिए; आपको मालूम हो जाएगा । (व्यवधान)

[شری سلطان صلاح الدین اویسی : میں بھی آپ سے کچھ
پوچھوں گا میں یقیناً ان چیزوں کیلئے تیار ہوں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آزادی
کے بعد آج تک کتنے لوگ مرے ہیں انکے فیگرس دیکھئے اس سے آپکو پتہ لگ جائیگا
کہ حقیقت کیا ہے ۔ رشیا کا اخبار " پراودا " لکھتا ہے کہ آزادی کے بعد کے
فیگرس دے دیکھئے آپکو معلوم ہو جائیگا ۔.... (انٹرپشن) .....

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सभा की कार्यवाही वृत्तांत से आप इन टिप्पणियों को निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं ऐसा ही करूंगा। इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

6.02 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

75वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री० पी० नामग्याल) : श्री एच० के० एल० भगत की ओर से मैं कार्य मंत्रणा समिति का 75वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 अक्तूबर, 1989/20 आश्विन, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी भोजपुर, दिल्ली-53